

वित्त विधेयक, 2020

प्रत्यक्ष कर और संबद्ध विधियों से संबंधित उपबंध

प्रस्तावना

वित्त विधेयक, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विधेयक" कहा गया है) के प्रत्यक्ष करों से संबंधित उपबंध, आय कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम' कहा गया है), बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम" कहा गया है) और वित्त अधिनियम, 2013 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कर प्रोत्साहन देकर, सहकारी सोसाइटी, व्यक्ति और हिंदू अविभक्त कुटुंब के लिए कर दर को कम करके, कर आधार को गहन और विस्तृत करके, करदाताओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को दूर करके, कर दुरुपयोग को नियंत्रित करके और कर प्रशासन में प्रभावकारिता, पारदर्शिता और जवाबदेही का संवर्धन करके, प्रत्यक्ष कर में उत्प्लावकता को गति प्रदान करना जारी रखा जा सके।

उपरोक्त को हासिल करने की दृष्टि से, संशोधनों के लिए विभिन्न प्रस्तावों को निम्नलिखित शीर्षों के अधीन व्यवस्थित किया गया है :

- (क) आय कर की दरें;
- (ख) कर प्रोत्साहन;
- (ग) करदाताओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को दूर करना;
- (घ) कर निश्चितता प्रदान करने के लिए उपाय;
- (ङ) कर आधार को विस्तृत और गहन बनाना;
- (च) राजस्व बढ़ाने के उपाय;
- (छ) कर प्रशासन की प्रभावकारिता को बेहतर करना;
- (ज) कर दुरुपयोग निवारण; और
- (झ) अधिनियम के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण।

प्रत्यक्ष कर

क. आय-कर की दरें

I. निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर से दायी आय के संबंध में आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर से दायी निर्धारितियों के सभी प्रवर्गों की आय के संबंध में, आय-कर की दरें, या तो विनिर्दिष्ट धाराओं (जैसे देशी कंपनियों के लिए धारा 15खकक या धारा 15खकख में) विनिर्दिष्ट की गई हैं या विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-1 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये वही दरें हैं जो "अग्रिम कर" की संगणना, "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती और कतिपय मामलों में संदेय कर के प्रभारण के प्रयोजनों के लिए, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा यथा संशोधित, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 की पहली अनुसूची के भाग-3 में अधिकथित हैं।

(1) आय-कर पर अधिभार

आय-कर की रकम को, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा —

- (क) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति निकाय या व्यक्ति संगम, चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है,—
 - (i) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112 के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) पचास लाख रुपए से अधिक है, किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
 - (ii) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112 के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
 - (iii) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112 के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
 - (iv) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112 के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
 - (v) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112 के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु जो उपरोक्त खंड (iii) या (iv) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में अधिनियम की धारा 111क और धारा 112 के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

- (कक) ऐसे व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति निकाय या व्यक्ति संगम, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन आय है,—
- जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ; और
 - जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
 - जहां कुल आय [अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर] दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
 - जहां कुल आय [अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर] पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
 - जहां कुल आय [अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को सम्मिलित करके] दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

- प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
- प्रत्येक देशी कंपनी, ऐसी देशी कंपनियों के सिवाय, जिनकी आय, अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,—
 - जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
 - जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
- देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, दस प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
- किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—
 - जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
 - जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
- अन्य मामलों में (जिनके अन्तर्गत धारा 92गड, धारा 115ण, धारा 115थक, धारा 115द, धारा 115नक या धारा 115नघ है) बारह प्रतिशत की दर पर अधिभार का उदग्रहण किया जाएगा।

(2) सीमांत अनुतोष—

सभी मामलों में, जहां अधिभार अधिरोपित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है, सीमांत अनुतोष भी प्रदान किया गया है।

(3) शिक्षा उपकर—

निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए, सभी मामलों में, इस प्रकार संगणित आय-कर की रकम पर, जिसमें अधिभार भी सम्मिलित है, जहां लागू है, चार प्रतिशत की दर से "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" उद्ग्रहीत किया जाएगा। ऐसे अधिभार के संबंध में कोई सीमांत अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा।

II. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, "वेतन" से भिन्न कतिपय आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, "वेतन" से भिन्न कतिपय आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। सभी प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए दरें वही रहेंगी, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट हैं। उन धाराओं के लिए, जिनमें स्रोत पर कर कटौती की दर विनिर्दिष्ट हैं, कर की कटौती इन धाराओं के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगी। धाराओं में ही दरें विनिर्दिष्ट करते हुए, दो नई धाराएं, धारा 194ट और धारा 194ण अंतःस्थापित की गई हैं। धारा 194 की दर, प्रवृत्त दर से उपांतरित करके दस प्रतिशत की गई है।

(1) अधिभार—

किसी अनिवासी व्यक्ति (किसी कंपनी से भिन्न) की दशा में, इस प्रकार कटौती की गई कर की रकम को, अधिभार द्वारा,—

- (क) प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है,—
- जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य ऐसी आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, पचास लाख रूपए से अधिक है, किन्तु एक करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से संगणित करके बढ़ा दिया जाएगा ;
 - जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य ऐसी आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रूपए से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से संगणित करके बढ़ा दिया जाएगा ;
 - जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य ऐसी आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, दो करोड़ रूपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से संगणित करके बढ़ा दिया जाएगा ;
 - जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य ऐसी आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, पांच करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से संगणित करके बढ़ा दिया जाएगा ;
- (ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित करके बढ़ा दिया जाएगा ;
- (ग) किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—
- जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य ऐसी आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रूपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से संगणित करके बढ़ा दिया जाएगा ;
 - जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य ऐसी आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से संगणित करके बढ़ा दिया जाएगा।

अन्य मामलों में कटौतियों के संबंध में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) शिक्षा उपकर—

भारत में अनिवासी व्यक्तियों की दशा में, जिसके अर्न्तगत किसी देशी कंपनी से भिन्न कंपनी भी है, आय-कर पर, जिसमें अधिभार सम्मिलित है, जहां लागू हो, चार प्रतिशत की दर से "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" उद्गृहीत किया जाता रहेगा।

III. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती, "अग्रिम कर" की संगणना और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें और सभी प्रवर्गों के निर्धारितियों की दशा में उक्त वर्ष के दौरान संदेय "अग्रिम कर" की संगणना से लिए भी दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ऐसे मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, उदाहरणार्थ अनिवासियों को भारत में उद्भूत होने वाले पोत संबंधी लाभों का अनंतिम निर्धारण, वित्तीय वर्ष के दौरान हमेशा के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण, ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण, जिनके द्वारा कर अपवंचन के लिए संपत्ति अंतरित करने की संभावना है, अल्प कालावधि के लिए बने निकायों का निर्धारण, आदि, वहां वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विद्यमान आयों पर आय-कर प्रभारित करने के लिए भी ये दरें लागू हैं। व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब (अधिनियम की धारा 115खकग) और निवासी सहकारी सोसाइटियों (अधिनियम की धारा 115खकघ) के संबंध में इन करदाताओं को एक विकल्प के साथ, कर दरों के लिए नए उपबंध अंतःस्थापित किए गए हैं। उक्त भाग-3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैरों में उपदर्शित की गई हैं—

अ. व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम, व्यक्ति निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क, आय-कर की निम्नलिखित दरों को उपबंधित करता है:—

- प्रत्येक व्यक्ति इन्नीचे (ii) और (iii) में जो उल्लिखित है, उससे भिन्नट या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसको भाग-3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है), आय-कर की दरें निम्नानुसार हैं :—

2,50,000 रूपए तक	शून्य
2,50,001 रूपए से 5,00,000 रूपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रूपए से 10,00,000 रूपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रूपए से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है किन्तु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—

3,00,000 रुपए तक	शून्य
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है,—

5,00,000 रुपए तक	शून्य
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को (जिसमें धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के अधीन पूंजी अभिलाभ भी हैं), साथ ही धारा 115खकग के अधीन संगणित आय-कर की रकम को,—

- (क) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) पचास लाख रुपए से अधिक है, किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से, अधिभार द्वारा बढ़ा दिया जाएगा ;
- (ख) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से, अधिभार द्वारा बढ़ा दिया जाएगा ;
- (ग) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से, अधिभार द्वारा बढ़ा दिया जाएगा ;
- (घ) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से, अधिभार द्वारा बढ़ा दिया जाएगा ;
- (ङ) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु जो खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से, अधिभार द्वारा बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में, अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अधिभार की दशा में सीमांत अनुतोष प्रदान किया गया है।

निर्धारण वर्ष 2021-22 (वित्तीय वर्ष 2020-21) से, व्यक्ति और हिंदू अविभक्त कुटुंब करदाताओं को अधिनियम की नई अंतःस्थापित धारा 115खकग के अधीन कराधान के चयन का विकल्प होगा और निवासी सहकारी सोसाइटी को, अधिनियम की नई अंतःस्थापित धारा 115खकघ के अधीन कराधान के चयन का विकल्प होगा। इस पर बाद में चर्चा की गई है।

आ. सहकारी सोसाइटी

सहकारी सोसाइटियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही बनी रहेंगी, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विनिर्दिष्ट हैं। आय-कर की रकम को, ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

निर्धारण वर्ष 2021-22 से, निवासी सहकारी सोसाइटी को नई अंतःस्थापित धारा 115खकघ के अधीन कराधान के चयन का विकल्प होगा। इस पर बाद में चर्चा की गई है।

इ . फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई हैं। यह दर वही बनी रहेगी, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विनिर्दिष्ट है। आय-कर की रकम को, ऐसी फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

ई . स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विनिर्दिष्ट है। आय-कर की रकम को, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

उ. कंपनी

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग - 3 के पैरा ड में विनिर्दिष्ट की गई हैं। देशी कंपनी की दशा में, यदि पूर्व वर्ष 2018-19 का कुल आवर्त या सकल प्राप्ति चार अरब रुपए से अधिक नहीं है, आय-कर की दर, कुल आय की पच्चीस प्रतिशत होगी और अन्य सभी दशाओं में, आय-कर की दर कुल आय का तीस प्रतिशत होगी। तथापि, देशी कंपनी को भी, धारा 115बकक या धारा 115खकख के अधीन, उनमें अंतर्विष्ट कतिपय शर्तों के पूरा करने पर, कराधान के चयन का विकल्प होगा। धारा 115खकख में कर दर 15 प्रतिशत है और धारा 115खकक में कर दर 22 प्रतिशत है। दोनों दशाओं में अधिभार 10 प्रतिशत है।

देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में, कर की दरें वही हैं जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

किसी देशी कंपनी (उसके सिवाय, जो अधिनियम की धारा 115खकक और धारा 115खकख के अधीन कराधान का विकल्प लेती है) की दशा में, यदि देशी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, सात प्रतिशत की दर से अधिभार को उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा। यदि देशी कंपनी (उसके सिवाय, जो अधिनियम की धारा 115खकक और धारा 115खकख के अधीन कराधान का विकल्प लेती है) की कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर के अधिभार को उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा।

देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में, यदि उनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, विद्यमान दो प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा। यदि देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, जो पांच प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा।

अधिभार में सीमांत अनुतोष प्रदान किया गया है।

अन्य दशाओं में [धारा 92गड की उपधारा (2क), धारा 115ण, धारा 115थक, धारा 115द, धारा 115नक या धारा 115नघ सम्मिलित], बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, सभी मामलों में, इस प्रकार संगणित कर की रकम पर, जिसमें अधिभार भी सम्मिलित है (जहां लागू है), चार प्रतिशत की दर से "आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा। ऐसे मामलों के संबंध में कोई सीमांत अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा।

[खंड 2 और पहली अनुसूची]

IV विभिन्न व्यक्ति के प्रवर्गों के लिए दरों पर अन्य संशोधनों का प्रभाव

क. निवासी सहकारी समिति प्रोत्साहन :

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 के अधिनियम के पश्चात विनिधान आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त राजकोष बढ़ाने, नियोजन पैदा करने और आर्थिक गतिविधियों के कारण अर्थव्यवस्था में वर्धन करने के लिए और विश्वभर के अनेक देशों द्वारा कार्पोरेट आयकर की दर में कटौती को ध्यान में रखते हुए कराधान विधि संशोधन अधिनियम के द्वारा कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापित किया गया था। कराधान विधि संशोधन अधिनियम द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम में धारा 115खकक को पुरःस्थापित किया गया, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई विद्यमान देशी कंपनी 22 प्रतिशत की दर पर कर संदाय का विकल्प ले सकेगी, यदि वह उक्त धारा में यथा उपबंधित किसी प्रोत्साहन या कटौती का दावा नहीं करती है। उक्त धारा के अधीन किसी देशी कंपनी द्वारा 22 प्रतिशत की दर पर कर संदाय का विकल्प चुनने की दशा में, यह उपबंध किया जाता है कि:-

- (क) विनिर्दिष्ट शर्तों का समाधान करने में असफल होने पर रियायत दर के लिए उसे निरहित कर दिया जाएगा और अधिनियम के साधारण उपबंध लागू होंगे।
- (ख) समामेलन जो किसी प्रोत्साहन, कटौती या छूट के लिए माना गया है, से उद्भव समझी गई हानि या अवक्षयण, को आय संगणना में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (ग) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, जहां कहीं किसी ब्लॉक आस्ति के संबंध में शेष अवक्षयण भत्ता, जिसे पूर्व वित्तीय वर्षों में पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं किया गया, 1 अप्रैल, 2019 को ऐसी ब्लॉक आस्तियों के अवलिखित मूल्य पर तत्स्थानी समायोजना किया जाएगा।
- (घ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की यूनिट, यदि कोई हो, के संबंध में, उसमें अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा करने पर, अधिनियम की धारा 80ठक के अधीन कटौती का हकदार होगा।

यह और भी उपबंध किया गया था कि ऐसी कंपनी अधिनियम की धारा 115जख के अधीन निम्नतम अनुकल्पी कर (एम.ए.टी) के अध्यक्षीन नहीं होगी और निम्नतम अनुकल्पी कर प्रत्यय का अग्रनयन तथा मुजरा, यदि कोई हो, अधिनियम की धारा 115जकक के अधीन अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुरूप निवासी सहकारी समिति की दशा में, पणधारियों से कर की रियायत दर का उपबंध करने के लिए, अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एक नई धारा (115खकघ) के अन्तःस्थापन का प्रस्ताव किया गया है, जिससे यह उपबंध हो सके कि:-

- (i) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, परंतु अध्याय 12 के उपबंधों तथा कतिपय शर्तों के समाधान के अधीन रहते हुए, भारत में कोई निवासी सहकारी समिति को उसकी कुल आय के संबंध में निर्धारण वर्ष 2021-22 से आगे 22 प्रतिशत की दर पर कर संदाय का विकल्प होगा, इस प्रकार तथापि यह किसी पूर्व वर्ष में शर्तों का समाधान करने में असफल रहता है, तो विकल्प अवैध हो जाएगा और अधिनियम के अन्य उपबंध लागू होंगे।
- (ii) रियायत दर के लिए शर्त, यह होगी कि—
- (क) सहकारी समिति की कुल आय की संगणना, धारा 10कक या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (2कक) या उपधारा (1) के उपखंड (ii) या उपखंड (iiक) या उपखंड (iii) या धारा 35कघ या धारा 35गगग के उपबंधों के अधीन या अध्याय 6क के किसी उपबंध के अधीन, बिना किसी कटौती के की जाएगी।
- (ख) सहकारी समिति की कुल आय की संगणना किसी पूर्व निर्धारण वर्ष से अग्रणीत हानि या अवक्षयण के मुजरा के बिना की जाएगी, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण उपरोक्त (क) में निर्दिष्ट किन्ही कटौतियों में से मानी गई हो; और
- (ग) सहकारी समिति की कुल आय की संगणना, धारा 32 के अधीन उसकी उपधारा (1) के खंड (iiक) के सिवाय ऐसी रीति में जो विहित की जाए अवक्षयण अवधारित, यदि कोई हो, के दावे के द्वारा की जाएगी।
- (iii) उपरोक्त (ii)(ख) में निर्दिष्ट हानि और अवक्षयण को पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और किसी पश्चातवर्ती वर्ष के लिए ऐसी हानि या अवक्षयण हेतु और कटौती नहीं अनुज्ञात की जाएगी। तथापि, जहां कहीं ब्लॉक आस्ति के संबंध में अवक्षयण भत्ता है जिसे 1 अप्रैल, 2021 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के पूर्व पूर्ण प्रभाव नहीं दिया गया है, 1 अप्रैल, 2020 को विहित रीति में, ऐसी ब्लाक आस्तियों के अवलिखित मूल्य पर तत्स्थानी समायोजन किया जाएगा, यदि विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए किया गया हो; और
- (iv) रियायत दर तब तक लागू नहीं होंगी, जब तक कि सहकारी समिति द्वारा विहित रीति में, 1 अप्रैल, 2021 को या के पश्चात आरंभ हो रहे निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने हेतु अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या से पूर्व, विकल्प प्रयोग नहीं किया जाता और एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगा; और
- (v) यदि किसी व्यक्ति की, धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथा निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र आई.एफ.एस.सी. में कोई यूनिट है, धारा 80ठक के अधीन कटौती उस धारा में अंतर्विष्ट शर्तों के पूरा होने पर ही ऐसी यूनिट को उपलब्ध होगी; और
- (vi) ऐसा प्रयोग किया गया विकल्प वापिस नहीं लिया जा सकता।
- (vii) ऐसी सहकारी समितियों को लागू अधिभार 10 प्रतिशत पर उद्ग्रहीत होगा।

अधिनियम की धारा 115जग का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनुकल्पी निम्नतम कर (एएमटी) से संबंधित उपबंध, ऐसी सहकारी समितियों को लागू नहीं होंगे।

अधिनियम की धारा 115जघ का संशोधन करने का और प्रस्ताव किया गया है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ए.एम.टी. प्रत्यय के अग्रनयन और मुजरा से संबंधित उपबंध, यदि कोई हो, ऐसी सहकारी समितियों को लागू नहीं होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 53, 57 और 58]

ख. व्यष्टिक और हिन्दू अविभक्त कुटुंब प्रोत्साहन:

कराधान विधि संशोधन अधिनियम के अधीन देशी कंपनियों को उपबंधित विकल्पों के अनुरूप और इस विधेयक के अधीन निवासी सहकारी समितियों को उपबंध करने का प्रस्ताव करने के लिए, अधिनियमों में धारा 115खकग के अंतःस्थापन द्वारा व्यष्टिक और हिन्दू अविभक्त कुटुंब को समान विकल्प का उपबंध करने का भी प्रस्ताव है, जो निम्नलिखित उपबंध करती है:-

- (i) कतिपय शर्तों के समाधान पर, किसी व्यष्टिक या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को निर्धारण वर्ष 2021-22 से आगे, कुल आय के संबंध में निम्नलिखित दरों पर कर संदाय के लिए विकल्प होगा:-

कुल आय (रु.)	दर
2,50,000 तक	शून्य
2,50,001 से 5,00,000	5 प्रतिशत
5,00,001 से 7,50,000	10 प्रतिशत
7,50,001 से 10,00,000	15 प्रतिशत
10,00,001 से 12,50,000	20 प्रतिशत
12,50,001 से 15,00,000	25 प्रतिशत
15,00,000 से ऊपर	30 प्रतिशत

- (ii) प्रत्येक पूर्व वर्ष के लिए विकल्प प्रयोग किया जाएगा, जहां व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की कोई कारबार आय नहीं है और अन्य दशा में पूर्व वर्ष के लिए एक बार प्रयोग किया गया विकल्प उस पूर्व वर्ष तथा सभी पश्चात्तर्ती वर्षों के लिए वैध होगा।
- (iii) विकल्प यथास्थिति, पूर्व वर्ष या पूर्व वर्षों के लिए अवैध होगा यदि व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, शर्तों का समाधान करने में असफल रहते हैं और अधिनियम के अन्य उपबंध लागू होंगे।
- (iv) रियायत दर के लिए शर्त यह होगी कि—
- (क) व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की कुल आय की संगणना, धारा 10 के खंड (5) या खंड (13क) या खंड (14) के अधीन विहित (इस प्रयोजन के लिए यथाविहित से भिन्न) या खंड (17) या खंड (32) या धारा 10कक या धारा 16 या धारा 24 का खंड (ख) धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट संपत्ति के संबंध में या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) उपखंड (ii) या उपखंड (iiक) या उपखंड (iii) या उपधारा (2कक) या धारा 35कघ या धारा 35गगग या धारा 57 के खंड (iiक) या धारा 80गगघ की उपधारा (2) या धारा 80जजकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6-क के उपबंधों के अधीन बिना किसी कटौती या छूट की जाएगी;
- (ख) व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की कुल आय की संगणना, किसी हानि के मुजरे के बिना की जाएगी—
- (i) किसी पूर्व निर्धारण वर्ष का कोई अग्रनयन या अवक्षयण, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण उपरोक्त (क) में निर्दिष्ट किन्हीं कटौतियों के कारण हुआ माना जाएगा; या
- (ii) गृह संपत्ति के शीर्ष के अधीन किसी अन्य आय के शीर्ष सहित;
- (ग) व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की कुल आय की संगणना, धारा 32 सिवाय उसकी उपधारा (1) के खंड (iiक) के अधीन यथाविहित ऐसी रीति में आधारित अवक्षयण, यदि कोई हो, के दावे द्वारा की जाएगी;
- (घ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधित किसी भी नाम से ज्ञात द्वारा भत्तों या परिलब्धियों के लिए बिना किसी कटौती या छूट के व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की कुल आय की संगणना की जाएगी।
- (v) उपरोक्त (ii)(ख) में निर्दिष्ट हानि और अवक्षयण को पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और किसी पश्चात्तर्ती वर्ष के लिए ऐसी हानि और अवक्षयण हेतु कोई और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, इस प्रकार तथापि जहां कहीं ब्लॉक आस्ति के संबंध में अवक्षयण भत्ता है जिसे 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पूर्व पूर्ण प्रभाव नहीं दिया गया है, विहित रीति में 1 अप्रैल, 2020 को ऐसे ब्लॉक आस्तियों के अवलिखित मूल्य का तत्स्थानी समायोजन किया जाएगा, यदि विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए किया गया हो;
- (vi) रियायत दर लागू नहीं होगी, जब तक कि विकल्प का प्रयोग व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा विहित प्ररूप और रीति में किया जाए,—
- (क) जहां ऐसे व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की कोई कारबार आय नहीं है, साथ ही अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत की जाए; और
- (ख) अन्य किसी दशा में, अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या से पूर्व, 1 अप्रैल, 2021 को या से पश्चात आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करना और एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगा;
- (vii) यदि व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथाविनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र इविशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग)ट में कोई यूनिट है, धारा 80ठक के अधीन कटौती उस धारा में अंतर्विष्ट शर्तों के पूरा होने पर ऐसी यूनिट को उपलब्ध होंगी; और
- (viii) विकल्प को वापिस केवल एक बार लिया जा सकता है जहां पूर्व वर्ष से भिन्न वर्ष जिसमें इसका प्रयोग किया गया था, व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब जिनकी कारबार आय है के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब कभी भी इस धारा के अधीन विकल्प का प्रयोग करने का पात्र नहीं होंगे, सिवाय जहां ऐसे व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की कारबार आय बंद है, उस दशा में उपरोक्त पैरा (vi)(क) के अधीन विकल्प उपलब्ध होगा।

यह और भी अधिनियम की धारा 115जग का संशोधन प्रस्तावित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनुकल्पी निम्नतम कर से संबंधित उपबंध, ऐसे व्यक्ति और हिन्दू अविभक्त कुटुंब जिनकी कारबार आय है, को लागू नहीं होंगे।

यह और भी अधिनियम की धारा 115जघ का संशोधन प्रस्तावित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ए.एम.टी. प्रत्यय के अग्रनयन और मुजरा से संबंधित उपबंध, यदि कोई हो, ऐसे व्यक्ति और हिन्दू अविभक्त कुटुंब जिनकी कारबार आय है, को लागू नहीं होंगे।

उपर (iiक) पर सूचीबद्ध शर्त से, अधिनियम की नई अंतःस्थापित धारा 115खकग के अधीन व्यष्टिकों या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा कराधान का विकल्प चुनना, अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित छूट/कटौतियों के हकदार नहीं होंगे:—

- (i) धारा 10 के खंड (5) में यथा अंतर्विष्ट छुट्टी यात्रा रियायत;
- (ii) धारा 10 के खंड (13क) में यथा अंतर्विष्ट मकान किराया भत्ता;

- (iii) धारा 10 के खंड (14) में यथा अंतर्विष्ट कुछ एक भत्ते;
- (iv) धारा 10 के खंड (17) में यथा अंतर्विष्ट सांसदों/विधायकों के भत्ते;
- (v) धारा 10 के खंड (32) में यथा अंतर्विष्ट नाबलिंग की आय के लिए भत्ता;
- (vi) धारा 10कक में अंतर्विष्ट एस.ई.जेड यूनिट के लिए छूट;
- (vii) धारा 16 में यथा अंतर्विष्ट मानक कटौती, मनोरंजन भत्ता के लिए कटौती और नियोजन/वृत्तिक कर;
- (viii) धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट स्वतः अधिभोगी या खाली संपत्ति के संबंध में धारा 24 के अधीन ब्याज। (गृह संपत्ति से आय शीर्ष के अधीन किराए के मकान के लिए हानि, किसी अन्य शीर्ष के अधीन मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और विधि के विस्तार अनुसार अग्रेषण अनुज्ञात किया जाएगा);
- (ix) धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) के अधीन अतिरिक्त अवक्षयण;
- (x) धारा 32कघ, 33कख, 33कखक के अधीन कटौतियां;
- (xi) धारा 35 की उपधारा (1) के उपखंड (ii) या उपखंड (iiक) या उपखंड (iii) या उपधारा (2कक) के अंतर्विष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान पर दान या व्यय के लिए विभिन्न कटौतियां;
- (xii) धारा 35गगग या धारा 35कघ के अधीन कटौती;
- (xiii) धारा 57 के खंड (iiक) के अधीन परिवार पेंशन से कटौती;
- (xiv) अध्याय 6क (जैसे धारा 80ग, 80गगग, 80गगघ, 80घ, 80घघ, 80घघख, 80ड, 80डड, 80डडक, 80डडख, 80छ, 80छछ, 80छछक, 80छछग, 80झक, 80झकख, 80झकग, 80झख, 80झखक आदि) के अधीन कोई कटौती। तथापि, धारा 80गगघ की उपधारा (2) (अधिसूचित पेंशन स्कीम में कर्मचारी के खाते में नियोजक द्वारा अभिदाय) और धारा 80जजकक (नए नियोजन के लिए) के अधीन कटौती का दावा किया जा सकता है।

जैसे कि नियमों की अधिसूचना के माध्यम से कई भत्तों का उपबंध किया गया है, आय कर नियम, 1962 (नियम) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया, तत्पश्चात्, जिससे कि प्रस्तावित धारा के अधीन व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को अधिनियम की धारा 10(14) के अधीन अधिसूचित निम्नलिखित भत्तों को अनुज्ञात किया जाए:

- (क) एक दिव्यांग कर्मचारी को अपने निवास स्थान और कार्यस्थल के बीच में आने जाने के व्यय के प्रयोजन के लिए अनुदत्त परिवहन भत्ता।
- (ख) कार्यालय के व्यक्ति के अनुपालन में प्रवहण पर व्यय को पूरा करने के लिए अनुदत्त प्रवहण भत्ता।
- (ग) दौरे या अंतरण पर यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए अनुदत्त कोई भत्ता।
- (घ) किसी कर्मचारी द्वारा अपने कार्यस्थल से अनुपस्थिति पर उपगत साधारण दैनिक प्रभार को पूरा करने के लिए दैनिक भत्ता।

पश्चात्पूर्वी नियमों के नियम 3 का संशोधन भी प्रस्तावित किया गया है, जिससे कि कर्मचारी, जो नियोजक द्वारा प्रस्तावित धारा के अधीन विकल्प का प्रयोग कर रहा है, को वाऊवर के माध्यम से मुफ्त खाना और पेय के संबंध में प्रदान छूट को हटाया जा सके,

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 53, 57 और 58]

ग. धारा 115खकक और धारा 115खकख के अधीन देशी कंपनियों के लिए रियायत कर स्कीमों का उपांतरण

कराधान विधि संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 115खकक और धारा 115खकख अंतःस्थापन किया गया था, जिससे कि देशी कंपनियों को रियायत दरों पर कर देने का विकल्प उपबंधित किया जा सके, बशर्ते कि वह विनिर्दिष्ट कटौती और प्रोत्साहन का लाभ न लें। कुछ प्रतिषिद्ध कटौतियां धारा 80जजकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6-क के अधीन शीर्ष "ग. कतिपय आय के संबंध में कटौती" के किन्ही उपबंधों के अधीन कटौती है।

इन धाराओं के अधीन कराधान के लिए विकल्प चुनने वाली देशी कंपनियों की दशा में, धारा 80जजकक से भिन्न अध्याय 6-क के किन्हीं उपबंधों के अधीन कटौती की अनुज्ञा न देने के लिए धारा 115खकक और धारा 115खकख के उपबंधों का संशोधन अब प्रस्तावित है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू नहीं होंगे।

[खंड 51 और 52]

घ. संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) अध्यक्ष और सदस्य तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त को उपबंधित कतिपय परिलब्धियों या भत्तों पर छूट वापिस लेना:—

अधिनियम की धारा 10 विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन कतिपय आय और क्रियाकलापों के संबंध में छूट उपबंध करती है। वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा अंतःस्थापित खंड (45) उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई भत्ता या परिलब्धि यदि यू.पी.एस.सी. के अध्यक्ष या सदस्यों सेवारत/सेवानिवृत्त को संदत्त है तो उन्हें उनकी कुल आय की संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और इस प्रकार आय कर से उन्हें छूट होगी।

आगे, अधिसूचना सं. 49/2011, 6 सितंबर, 2011, सा.का. 2045 (अ) द्वारा यू.पी.एस.सी. के सेवारत अध्यक्ष और सदस्यों की दशा में, 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी रूप से, अधिनियम की धारा 10 के खंड (45) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित भत्ते और परिलब्धियां आय कर से छूट प्राप्त होंगी:

- (i) किराया मुक्त शासकीय निवास का मूल्य;
- (ii) प्रवहन सुविधा, जिसके अंतर्गत परिवहन भत्ता भी है, का मूल्य;
- (iii) सत्कार भत्ता;
- (iv) यू.पी.एस.सी. के सेवारत अध्यक्ष या सदस्य और उनके परिवार के सदस्यों को उपबंधित छुट्टी यात्रा रियायत का मूल्य।

यू.पी.एस.सी. के सेवानिवृत्त अध्यक्ष और सदस्यों की दशा में, उक्त अधिसूचना कथन करती है कि 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी रूप से अधिनियम की धारा 10 के खंड (45) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित भत्ते और परिलब्धियां आयकर से छूट प्राप्त होंगी;

- (i) किसी अर्दली की सेवाओं को चुकाने और सचिवीय सहायक जो संविदा आधार पर है, के लिए उपगत व्यय को पूरा करने के लिए, प्रतिमास 14,000/- रु. की अधिकतम रकम;
- (ii) मुफ्त निवासीय दूरभाष की लागत का मूल्य और 1500 प्रतिमास की सीमा तक मुफ्त कॉल की संख्या (सभी और दूरभाष प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात प्रतिमास मुफ्त कॉल की संख्या की उपरी सीमा)

निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 की धारा 8, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों को अवधारित करती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को किराया मुक्त निवास, प्रवहन सुविधा, सरकार भत्ता, चिकित्सीय सुविधा के मूल्य पर आयकर छूट का उपबंध करती है और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तों) अधिनियम, 1958 के अध्याय 6 के और तद्वहिन बनाए गए नियम के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश को लागू सेवा की ऐसी अन्य शर्तों का उपबंध करती है।

इन छूटों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, निम्नलिखित प्रस्तावित है :—

- (i) अधिनियम की धारा 10 के खंड (45) का लोप;
- (ii) निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त और कारबार संव्यवहार की शर्तों) अधिनियम, 1991 की धारा 8 का संशोधन किया जाए, जिससे कि किराया मुक्त निवास, प्रवहन सुविधा, सरकार भत्ता, चिकित्सीय सुविधा के मूल्य पर आयकर छूट का लोप किया जाए और उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को यथा लागू सेवा की अन्य ऐसी शर्तों का लोप किया जाए।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 7 और 144]

ख. कर प्रोत्साहन

आबू धाबी विनिधान प्राधिकारी और प्रभुतासंपन्न धन निधि की पूर्णतः स्वामित्व समनुषंगी की कतिपय आय के संबंध में छूट:—

अधिनियम की धारा 10 विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन कतिपय आय और क्रियाकलापों के संबंध में छूट का उपबंध करती है।

प्रभुतासंपन्न धन निधि, जिसके अंतर्गत आबू धाबी विनिधान प्राधिकारी (ए.डी.आई.ए.) की पूर्णतः स्वामित्व समनुषंगी भी हैं, के विनिधान की अभिवृद्धि करने के लिए, उक्त धारा में एक नए खंड का अंतःस्थापन प्रस्तावित है, जिससे किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की लाभांश, ब्याज यी दीर्घ-काल पूंजी अभिलाभ, जो भारत में उसके द्वारा किए गए विनिधान से उद्भूत है, की प्रकृति की किसी आय पर छूट उपबंध किया जाए, चाहे कोई कंपनी या उद्यम जो विकास, प्रचालन और अनुसंधान का कारबार कर रहे हैं, या अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (i) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी अवसंरचना सुविधा का विकास, प्रचालन या अनुसंधान कर रहे हैं या इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य कारबार कर रहे हैं। छूट हेतु पात्र होने के लिए, विनिधान 31 मार्च, 2024 को या से पूर्व किया जाना अपेक्षित है और उसे निम्नतम तीन वर्षों के लिए धारित किया जाना अपेक्षित है।

इस छूट के प्रयोजन के लिए "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" परिभाषित करना प्रस्तावित है, जिससे यह अभिप्रेत हो कि—

- (क) ए.डी.आई.ए. की पूर्णतः स्वामित्व समनुषंगी जो कि यूनाईटेड अरब अमीरात (यू.ए.ई.) का निवासी है और जो यूनाईटेड अरब अमीरात की सरकार द्वारा स्वामित्व निधि में से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनिधान करता है; और
- (ख) प्रभुतासंपन्न धन निधि, जो निम्नलिखित शर्तों का समाधान करती है:—
 - (अ) इस पर विदेशी सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः स्वामित्व रखा जाता है या नियंत्रित रखा जाता है;
 - (आ) इसे विदेशी विधि के अधीन स्थापित और विनियमित किया जाता है;
 - (इ) इसका उपार्जन या तो विदेशी सरकार के खाते में जमा होता है या उस सरकार द्वारा अभिहित किसी अन्य खाते में जमा होता है। यह ध्यान रखा जाए कि उपगत उपार्जन का कोई भी भाग किसी निजी व्यक्ति के फायदे के लिए उपयोग नहीं होगा।
 - (ई) विघटन होने पर इसकी आस्तियां विदेशी सरकार के पास रहती हैं;
 - (उ) यह भारत में या भारत से बाहर किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप का जिम्मा नहीं लेता है; और

(ऊ) इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यह राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 को प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चात्पूर्ति निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 7]

भारतीय नीतिगत पेट्रोलियम आरक्षितियां लिमिटेड के कतिपय आय के संबंध में छूट:

अधिनियम की धारा 10, विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन कतिपय आय और क्रियाकलापों के संबंध में छूट के लिए उपबंध करता है।

वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा अंतःस्थापित खंड (48क), उपबंध करता है कि भारत में कच्चे तेल के भंडारण की सुविधा पर विदेशी कंपनी को उपगत या उद्भूत कोई आय और उसमें से किसी भारतीय निवासी को कच्चे तेल के विक्रय को कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यदि विदेशी कंपनी द्वारा भण्डारण और विक्रय, केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी करार या किसी प्रबंध के अनुसरण में किया गया है; और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, विदेशी कंपनी, और करार या प्रबंध के द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

उक्त धारा के खंड (48ख) का अंतःस्थापन वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा किया गया था और वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधन किया गया, किसी विदेशी कंपनी को खंड (48क) में निर्दिष्ट करार या प्रबंध के अवसान के पश्चात् भारत में सुविधा से कच्चे तेल के बचे हुए स्टॉक, यदि कोई हो के विक्रय पर या यथास्थिति इसमें उल्लिखित निबंधनों के अनुसरण में उक्त करार या प्रबंध के निष्कासन पर इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी शर्तों के अधीन रहने हुए, कोई उपगत या उद्भूत आय के संबंध में छूट उपबंधित करता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन इस निमित्त केन्द्रीय सरकार के निदेशों के अनुसरण में इसके भण्डारण सुविधा में भण्डारित कच्चे तेल की पुनः पूर्ति के लिए प्रबंध के परिणामस्वरूप तेल उद्योग विकास बोर्ड की पूर्णतः स्वामित्व समानुषंगी के रूप में भारतीय नीतिगत पेट्रोलियम आरक्षितियां लिमिटेड (आई.एस.पी.आर.एल.) की उपगत या उद्भूत किसी आय को धारा 10 में नए खंड के अंतःस्थापन द्वारा छूट उपबंधित करने का प्रस्ताव है, यह छूट इस शर्त के अधीन होगी कि कच्चे तेल की उस वित्तीय वर्ष, जिसमें कच्चा तेल भण्डारण सुविधा से पहली बार हटाया गया था, के अंत से तीन वर्ष के भीतर भण्डारण सुविधा में पुनः पूर्ति की जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 तथा तत्पश्चात् निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 7]

स्टार्ट-अप के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण:

अधिनियम की धारा 80-झकग के विद्यमान उपबंध निर्धारित के विकल्प पर किसी पात्र स्टार्ट-अप द्वारा सात वर्ष में से लगातार तीन निर्धारण वर्षों के लिए उसके पात्र कारबार से लाभ और अभिलाभ के सौ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती का उपबंध करते हैं, शर्तों के अधीन रहते हुए कि पात्र स्टार्ट-अप 1 अप्रैल, 2016 को या के पश्चात् परंतु 1 अप्रैल, 2021 से पूर्व निगमित किया गया है और उसके कारबार की कुल आय पच्चीस करोड़ रु. से अधिक नहीं होती है।

स्टार्ट-अप से संबंधित उपबंधों को और सुव्यवस्थित करने के लिए, अधिनियम की धारा 80-झकग का संशोधन प्रस्तावित है, जिससे यह उपबंध हो सके कि-

- उक्त धारा 80-झकग के अधीन कटौती पात्र स्टार्ट-अप को उस वर्ष से आरंभ करके जिसमें वह निगमित हुआ था से दस वर्षों में से लगातार तीन निर्धारण वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।
- उक्त धारा के अधीन कटौती पात्र स्टार्ट-अप को उपलब्ध होगी, यदि उसके कारबार की कुल आवर्त उस वर्ष से जब वह निगमित हुआ था से आरंभ करके पिछले वर्षों में एक सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चात्पूर्ति निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 36]

अधिनियम की धारा 80-झखक के अधीन कटौती प्राप्त करने के लिए वहनीय आवास परियोजना के अनुमोदन के लिए समय सीमा का विस्तार:-

अधिनियम की धारा 80-झखक के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, उपबंध करते हैं कि जहां निर्धारित की सकल कुल आय में वहनीय आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ भी सम्मिलित है, वहां इसमें विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के अधीन, ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के सौ प्रतिशत के बराबर एक रकम कटौती के लिए अनुज्ञात होगी। धारा में अंतर्विष्ट शर्तें, अन्य बातों के साथ साथ, विहित करती है कि परियोजना सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1 जून, 2016 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान अनुमोदित किया गया है।

वहनीय आवास निर्माण को प्रोत्साहित करके ऐसे आवासों की पूर्ति का वर्धन करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के अनुमोदन की अवधि का विस्तार 31 मार्च, 2021 तक प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चात्पूर्ति निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 38]

अधिनियम की धारा 80-डडक के अधीन कटौती प्राप्त करने के लिए वहनीय आवास हेतु ऋण मंजूरी के लिए समय सीमा का विस्तार:

अधिनियम की धारा 80-डडक के विद्यमान उपबंध, वहनीय आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के लिए किसी वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती का उपबंध करते हैं। अनुज्ञात कटौती एक लाख पचास हजार रुपये तक की है और कतिपय शर्तों के अध्यधीन है। शर्तों में से एक शर्त है कि ऋण वित्तीय संस्थान द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान मंजूर किया गया है।

उक्त कटौती, प्रथम क्रेताओं को आवासीय गृह संपत्ति जिनकी स्टाम्प ड्यूटी पैंतालीस लाख रुपये से अधिक नहीं होती है, मं विनिधान को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखती है। वहनीय आवास के क्रय में लगातार अभिवृद्धि के लिए, वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण मंजूरी की अवधि को 31 मार्च, 2021 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-22 और तत्पश्चात् निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 32]

अपतट निधि के लिए शर्तों में उपांतरण, "कारबार संयोजन से छूट:

अधिनियम की धारा 9क, अपतट निधि के संबंध में विशेष व्यवस्था का कतिपय शर्तों के पूरा होने पर भारत में "कारबार संयोजन" के बनाने से उन्हें छूट प्रदान करने का उपबंध करती है। यह उपबंध करती है कि पात्र विनिधान निधि की दशा में, ऐसी निधि के निमित्त कार्य कर रहे पात्र निधि प्रबंधक के माध्यम से किया गया निधि प्रबंध क्रियाकलाप, उक्त निधि का भारत में कारबार संयोजन के लिए गठन नहीं करेगा। आगे, एक पात्र विनिधान निधि केवल इस लिए ही भारत में निवासी नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसके निमित्त पात्र निधि प्रबंधक, जो निधि विनिधान क्रियाकलापों को करवा रहा है, भारत में स्थित है। धारा 9क के अधीन उपलब्ध फायदे उसकी उपधारा (3), (4) और (5) में यथा उपबंधित शर्तों के अध्यधीन है। धारा 9क की उपधारा (3) निधि की पात्रता की शर्तों को उपबंधित करती है।

उक्त उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन उपबंधित निधि की पात्रता शर्तों में से एक शर्त अपेक्षा करती है कि भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान, समग्र निधि पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होता है।

इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो कथन करते हैं कि शर्त का अनुपालन करना शुरूआती वर्षों में इस कारण से कि पात्र निधि प्रबंधक से, जो भारत में निवासी है, से उसका पैसा "स्कीम इन द गेम" के रूप में साख बनाने हेतु विनिधान करवाना अपेक्षित था।

उक्त उपधारा (3) के खंड (ज) के अधीन निधि की पात्रता के लिए एक अन्य शर्त उपबंधित है जो अपेक्षा करती है कि समग्र निधि की मासिक औसत एक सौ करोड़ रुपये से कम नहीं होगी, सिवाय हां निधि पूर्व वर्ष में स्थापित या निगमित की गई हो, की दशा में समग्र निधि उसके स्थापन या निगमन के मास के अंतिम दिन से छह मास की अवधि के समापन पर एक सौ करोड़ रुपये से कम नहीं होगी या ऐसे पूर्व वर्ष के समापन पर, जो भी बाद में हो। यह शर्त उस दशा में लागू नहीं होती है जहां निधि का परिसमापन कर दिया गया है।

इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जो कहता है कि इस शर्त के अनुसार, एक सौ करोड़ रुपये के समग्र की मासिक औसत की अपेक्षा को पूरा करने के लिए अवधि की रेंज छह मास से अठारह मास है, जो इस प्रकार से है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर स्थापित या निगमित निधि होने पर छह मास मिलेंगे और निधि जो वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन पर स्थापित और निगमित हुई है, को अठारह मास मिलेंगे।

यह कथन किया गया है कि इसके परिणामस्वरूप कतिपय निधियों को उनकी स्थापना और निगमन की तारीख के कारण पक्षपात मिला है या के विरुद्ध भेदभाव हुआ है।

तदनुसार, अधिनियम की धारा 9क का संशोधन प्रस्तावित है जिससे इन दो शर्तों को शिथिल करने के लिए, इस प्रकार उपबंध किया जा सके कि-

- भारतीय निवासी द्वारा निधि में की गई सकल सहभागिताओं या विनिधान, की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संगणना के प्रयोजन के लिए, प्रथम तीन वर्षों के दौरान पात्र निधि प्रबंधक का अभिदान पच्चीस करोड़ रुपये तक नहीं लिया जाएगा; और
- यदि निधि पूर्व वर्ष में स्थापित या निगमित की गई है, समग्र निधि के मासिक औसत की शर्त जो एक सौ करोड़ रुपये की है इसके स्थापन या निगमन के मास के अंतिम दिन से बारह मास के भीतर पूरी की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 और तत्पश्चात् निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

विद्युत के उत्पादन को विनिर्माण के अंतर्गत लाने के लिए अधिनियम की धारा 115खकख का संशोधन:

कराधन विधि संशोधन अधिनियम द्वारा अन्य बातों के साथ साथ अधिनियम में धारा 115खकख को अंतःस्थापित किया गया। नई अंतःस्थापित धारा उपबंध करती है कि 1 अक्टूबर, 2019 को या के पश्चात नई विनिर्माण देशी कंपनी स्थापित की गई है, जो 31 मार्च, 2023 से विनिर्माण या उत्पादन शुरू कर देगी और विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौतियों का लाभ नहीं लेती है, कर संदाय के लिए 15 प्रतिशत की रियायत दर को चुन सकेगी। आगे, उपधारा (2) के खंड (ख) का स्पष्टीकरण उपबंध करता है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए कम्प्यूटर साफ्टवेयर के विकास में लगे कारबार, खान, मार्बल ब्लॉक का संपरीवर्तन या समान मर्दों को स्लेब के रूप में संपरीवर्तन, सिलेण्डर में गैस का भरना, किताबों का मुद्रण या सिनेमाटोग्राफ फिल्म का उत्पादन या केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अन्य कारबार को विनिर्माण या उत्पादन के रूप में नहीं माना जाएगा।

विभिन्न पणधारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें यह उपबंध करने का अनुरोध है कि अधिनियम की धारा 115खकख के अधीन रियायत दर के फायदे विद्युत उत्पादन के कारबार को विस्तारित किए जा सकेंगे, जो अन्यथा किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन नहीं होगा। तदनुसार, स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन में विद्युत उत्पादन को सम्मिलित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा

[खंड 52]

विद्यारण कर की रियायत दर की अवधि को विस्तारित करने और आई.एफ.एस.सी. में स्टॉक में सूचीबद्ध बंधपत्रों की रियायत दरों के लिए भी उपबंध करने के लिए अधिनियम की धारा 194ठग का संशोधन:-

अधिनियम की धारा 194ठग, भारत के बाहर स्रोत से विदेशी मुद्रा में लिए गए निम्नलिखित प्रकार के उधार पर अनिवासीयों को संदत्त ब्याज पर, विनिर्दिष्ट कंपनी या कारबार न्यास द्वारा स्रोत पर कर कटौती पांच प्रतिशत की रियायत दर का उपबंध करती है:-

- किसी ऋण करार के अधीन 1 जुलाई, 2012 को या के पश्चात् और 1 जुलाई, 2020 से पूर्व किसी समय पर भी उधार ली गई धन राशि;
- 1 जुलाई, 2012 को या के पश्चात् और 1 जुलाई, 2014 से पूर्व किसी समय पर भी किसी दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्र के जारी होने के माध्यम से उधार ;
- 1 अक्टूबर, 2014 को या के पश्चात् और 1 जुलाई, 2020 से पूर्व किसी समय पर भी दीर्घकालिक बंधपत्र जिसके अंतर्गत दीर्घ कालिक अवसंरचना बंधपत्र भी हैं, के जारी होने के माध्यम से उधार ;

स्रोत पर कर कटौती की पांच प्रतिशत की रियायत दर, विनिर्दिष्ट कंपनी या कारबार न्यास द्वारा भारत के बाहर स्रोत से 1 जुलाई, 2020 से पूर्व रुपए के अंकित बंधपत्र (आर.डी.बी.) के माध्यम से जारी करके उधार ली गई धनराशि के संबंध में भी लागू है, केवल उस विस्तार तक ऐसा ब्याज, जहां इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर संगणित ब्याज की रकम से अधिक नहीं होता है।

समय सीमा के विस्तार के लिए और दीर्घकालिक बंधपत्र और आर.डी.बी. के जारी किए जाने के माध्यम से उधार पर ब्याज संदेय करके स्रोत पर कर कटौती की और रियायत दर के लिए भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो कि केवल किसी आई.एफ.एस.सी. में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ही सूचीबद्ध हैं।

नया विनिधान आकर्षित करने के लिए, नौकरीयां पैदा करने के लिए और अर्थव्यवस्था का वर्धन करने के लिए:-

- स्रोत पर कर कटौती की पांच प्रतिशत की उक्त रियायत दर की अवधि का विस्तार 1 जुलाई, 2020 से 1 जुलाई, 2023 तक करने का प्रस्ताव किया जाता है।
- यह उपबंध है कि किसी दीर्घकालिक बंधपत्र या आर.डी.बी. 1 अप्रैल, 2020 को या के पश्चात् किंतु 1 जुलाई, 2023 से पूर्व जारी किए जाने के माध्यम से भारत के बाहर के स्रोत से विदेशी मुद्रा में उधार धनराशि के संबंध में अनिवासी को संदेय ब्याज की स्रोत पर कर कटौती चार प्रतिशत की दर पर होगी और जो कि केवल किसी आई.एफ.एस.सी. में स्थित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर ही सूचीबद्ध होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 82]

विद्यारण कर की रियायत दर की अवधि का विस्तार और नगरपालिका ऋण प्रतिभूति की इस रियायत दर के भी विस्तार के लिए अधिनियम की धारा 194ठघ का संशोधन:

अधिनियम की धारा 194ठघ, विदेशी संस्थान विनिधानकर्ता (एफ.आई.आई.) उनकी सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान पर ब्याज के संदाय की दशा में निम्न पांच प्रतिशत की स्रोत पर कर कटौती का उपबंध करती है और किसी भारतीय कंपनी की आर.डी.बी. शर्त के अधीन की ब्याज की दर, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दर से अधिक नहीं है। धारा और यह उपबंध करती है कि ब्याज 1 जून, 2013 को या के पश्चात् लेकिन 1 जुलाई, 2020 से पूर्व किसी भी समय संदेय होना चाहिए।

समय सीमा के विस्तार के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और नगरपालिका बंधपत्रों में विनिधान पर संदत्त ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती की रियायत दर के लिए भी और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जैसे कि विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ताओं को अब राज्य विकास ऋण में एफ.पी.आई. विनिधान के लिए उपलब्ध सीमा के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगरपालिका बंधपत्र में विनिधान की अनुज्ञा है।

नए विनिधान आकर्षित करने, रोजगार पैदा करने और अर्थव्यवस्था का वर्धन करने के लिए, धारा 194ठघ का संशोधन प्रस्तावित किया गया है,-

- उक्त धारा के अधीन विद्यमान 1 जुलाई, 2020 से 1 जुलाई, 2023 तक स्रोत पर कर कटौती की पांच प्रतिशत की दर की अवधि का विस्तार;
- यह उपबंध है कि उक्त धारा के अधीन स्रोत पर कर कटौती की पांच प्रतिशत की रियायत दर, नगरपालिका उधार प्रतिभूति में किए गए विनिधान के संबंध में एफ.आई.आई. या क्यू.एफ.आई. 1 अप्रैल, 2020 को या के पश्चात् किंतु 1 जुलाई, 2023 से पूर्व संदेय ब्याज पर भी लागू होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

[खंड 83]

ग. करदाताओं द्वारा सामना की गई कठिनाइयों का हटाया जाना

धारा 94ख के अधीन ब्याज की अननुज्ञा के प्रयोजन के लिए अनिवासी बैंक के स्थाई स्थापन को संदत या संदेय ब्याज का अपवर्जन:

अधिनियम की धारा 94ख, अन्य बातों के साथ साथ, उपबंध करती है कि किसी भारतीय कंपनी या विदेश कंपनी के स्थाई-स्थापन का कटौती योग्य ब्याज या समान व्यय एक करोड़ रुपये से अधिक है, जो सहयुक्त उद्यम को संदत है, ब्याज, कर, अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण या सहयुक्त उद्यम को संदत या संदेय ब्याज, जो भी कम हो, से पूर्व इसके उपार्जन के 30 प्रतिशत तक निर्बंधित रहेगा। आगे, कोई ऋण सहयुक्त उद्यम से समझा जाएगा, यदि सहयुक्त उद्यम उस ऋण के संबंध में अस्पष्ट या सुस्पष्ट गारंटी का उपबंध करता है। उद्यम को इस धारा के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 92क में इसका अर्थ समनुदेशित किया गया है। इस धारा का अधिनियम में अंतःस्थापन वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से किया गया था, ताकि आधिक्य ब्याज कटौतियों के माध्यम से आधारीक क्षरण और लाभ अंतरण के मुद्दे को सुलझाने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.)-जी-20 के संरक्षण के अधीन आधारीक क्षरण और लाभ अंतरण (बी.ई.पी.एस.) की कार्य योजना पर अंतिम रिपोर्ट में सिफारिश किए गए उपायों को कार्यान्वित किया जाए।

भारत में अनिवासी के स्थाई स्थापन जो किसी कारण से बैंकिंग के कारबार में लगे हुए व्यक्ति के रूप में है द्वारा जारी ऋण के संबंध में संदत या संदेय ब्याज को कम करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, विद्यमान उपबंधों के अनुसार भारत में विदेशी कंपनी की शाखा, भारत में एक अनिवासी है। आगे धारा 92क में सहयुक्त उद्यम की परिभाषा, अन्य बातों के साथ साथ, से यह समझा गया कि दो उद्यम सहयुक्त उद्यम है; यदि पूर्व वर्ष के दौरान एक उद्यम द्वारा दूसरे उद्यम को अग्रिम ऋण, अन्य उद्यम की कुल आय बही मूल्य के 50 प्रतिशत दर या से अधिक है। इस प्रकार विदेशी बैंक की शाखा से ऋण के संबंध में संदत या संदेय ब्याज, इस धारा के अधीन उपबंधित ब्याज की परिसीमा के उपबंध आकर्षित कर सकेगा।

इसलिए, अधिनियम की धारा 94ख का संशोधन प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऋणदाता, जो अनिवासी स्थाई स्थापन है, भारत में बैंकिंग के कारबार में लगे हुए व्यक्ति के रूप में है, द्वारा जारी ऋण के संबंध में संदत ब्याज को ब्याज परिसीमा के उपबंध लागू नहीं होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 के निर्धारण वर्ष और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 46]

अधिनियम की धारा 43गक, 50ग और 56 के अधीन सुरक्षित बंदरगाह सीमा में 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की वृद्धि:

अधिनियम की धारा 43गक, अन्य बातों के साथ-साथ, उपबंध करती है कि जहां भूमि या भवन या दोनों के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपगत प्रतिफल की घोषणा की गई, ऐसे अंतरण के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी के संदाय के प्रयोग के लिए राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी (जैसे- स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी) द्वारा अंगीकृत या निर्धारित मूल्य से कम है, तो ऐसा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य, ऐसी आस्तियों के अंतरण से लाभ और अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए होगा, जिसे प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा। उक्त धारा यह भी उपबंध करती है कि जहां स्टाम्प ड्यूटी के संदाय के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य, अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपगत प्रतिफल के एक सौ पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होता है, तो अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपगत प्रतिफल को ऐसी आस्तिके अंतरण से लाभ और अभिलाभ की संगणना के प्रयोजनों के लिए, प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में समझा जाएगा।

अधिनियम की धारा 50 उपबंध करती है कि जहां ऐसे अंतरण के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी के संदाय के प्रयोजन के लिए भूमि या भवन या दोनों के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपगत घोषित प्रतिफल, "स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी" द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य से कम है, तो इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा और पूंजी अभिलाभ अधिनियम की धारा 48 के अधीन ऐसे प्रतिफल के आधार पर संगणित किया जाएगा। उक्त धारा यह भी उपबंध करती है कि जहां स्टाम्प ड्यूटी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपगत प्रतिफल के एक सौ पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होता है, धारा 48 के प्रयोजनों के लिए अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपगत प्रतिफल, को प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा।

अधिकारी की धारा 56 का खंड (10) अन्य बातों के साथ साथ, उपबंध करता है कि जहां कोई व्यक्ति किसी पूर्व वर्ष में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से 1 अप्रैल, 2017 को या के पश्चात्, कोई स्थावर संपत्ति ऐसे प्रतिफल पर, जो संपत्ति की स्टाम्प ड्यूटी मूल्य, जो पचास हजार रु. से अधिक है, से कम का होता है, प्राप्त करता है, जैसे ही ऐसी सम्पत्तियों की स्टाम्प ड्यूटी मूल्य बढ़ती है, तो ऐसा प्रतिफल शीर्ष "अन्य स्रोत से आय" के अधीन कर प्रभार्य होगा। यह भी उपबंध है कि जहां निर्धारित प्रतिफल के रूप में कोई स्थावर संपत्ति प्राप्त करता है और जहां ऐसी संपत्ति प्राप्त करता है और जहां ऐसी संपत्ति की स्टाम्प ड्यूटी मूल्य प्रतिफल के पांच प्रतिशत या पचास हजार से अधिक होता है, जो भी अधिक हो, ऐसी सम्पत्तियों की स्टाम्प ड्यूटी मूल्य जैसे ही बढ़ता है, ऐसा प्रतिफल शीर्ष, "अन्य स्रोत से आय" के अधीन कर प्रभार्य होगा। इस प्रभार्य अधिनियम की धारा 43गक, 50ग और 56 के उपबंध पांच प्रतिशत का सुरक्षित बंदरगाह के लिए उपबंध करते हैं।

इस संबंध में यह निवेदन करते हुए कि उक्त पांच प्रतिशत सुरक्षित बंदरगाह को बढ़ाया जाए, अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अतः सीमा को दस प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 22, 27 और 29]

धारा 35 कघ के अधीन कटौती का उपभोग न करने वाले निर्धारित को कोई विकल्प प्रदान करना

विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती से संबंधित अधिनियम की धारा 35 कघ कतिपय विनिर्दिष्ट कारबार पर निर्धारिती द्वारा उपगत पूंजी व्यय (भूमि, साख, और वित्तीय आस्तियों पर व्यय से भिन्न) पर 100 प्रतिशत कटौती के लिए उपबंध करती है। धारा 35कघ की उपधारा (1) के अधीन पूंजी व्यय की उक्त 100% कटौती ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अनुज्ञे है जिसमें व्यय उपगत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यय की बाबत कोई कटौती को किसी अन्य धारा के अधीन अनुज्ञात नहीं होगी। वर्तमान में उक्त धारा के अधीन प्रोत्साहन का उपभोग न करने के लिए निर्धारित के पास कोई विकल्प नहीं है।

इसके कारण, यह विधिक निर्वचन किया जा सकता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115 खकख के अधीन कर की रियायती दर का दावा करने वाली ऐसी कंपनी, जो धारा 35 कघ के अधीन कटौती का दावा नहीं करती है को धारा 35 कघ की उपधारा (4) के संप्रवर्तन के कारण धारा 32 के अधीन साधारण अवक्षयण से भी इंकार किया जा सकेगा।

अतः धारा 35 कघ की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि उसके अधीन कटौती को अनुकल्पी बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त धारा 35 कघ की उपधारा 4 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूर्ववर्ती वर्ष में किसी अन्य धारा के अधीन या किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में इस धारा के अधीन उपधारा (1) में उपगत व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि कटौती का इस धारा के अधीन निर्धारित द्वारा दावा किया गया है और उसे अनुज्ञात किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण के संबंध में लागू होगा।

[खंड 18]

कतिपय दशाओं में आय कर विवरणी फाईल करने से अनिवासी को छूट

अधिनियम की धारा 115 क ऐसे अनिवासी के लिए कर के अवधारण के लिए उपबंध करती है जिसकी कुल आय में निम्नलिखित सम्मिलित है:

(क) कतिपय लाभांश या ब्याज से आय

(ख) 31 मार्च, 1976, के पश्चात् किये गये किसी करार के अनुसरण में सरकारी या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस (एफटीएस) और जो भारत में अनिवासी के किसी स्थायी स्थापन, यदि कोई हो, से प्रभावी रूप से संयोजित नहीं है।

उक्त धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि कोई अनिवासी, अधिनियम की धारा 139 की उपधारा के अधीन आय की विवरणी देने के लिए अपेक्षित नहीं है, यदि इसकी कुल आय में केवल कतिपय लाभांश या ब्याज से आय सम्मिलित है और ऐसी आय पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की अधिनियम के अध्याय 17-ख के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई है।

जबकि, अधिनियम की धारा 115क में वर्तमान उपबंध अनिवासी को आय की विवरणी फाईल करने से वहां राहत प्रदान करती है जहां अनिवासी ऐसे टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती), जिसे लाभांश या ब्याज से आय पर काटा गया है, से भिन्न कर का संदाय करने के लिए पात्र नहीं है, ऐसी राहत उन अनिवासीयों के लिए विस्तारित नहीं की गई है जिनकी कुल आय में केवल उपरोक्त बिन्दू (ख) में यथा उल्लेखित स्वामिस्व या वित्तीय सेवाओं के लिए फीस सम्मिलित है। इस फायदे को स्वामिस्व और वित्तीय सेवाओं के लिए फीस के लिए भी विस्तारित करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

अतः अधिनियम की धारा 115क का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन कोई अनिवासी को आय की विवरणी फाईल करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा, यदि

- उसकी कुल आय में केवल उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट लाभांश या ब्याज से आय, सम्मिलित है, या उसकी आय में केवल धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट स्वामिस्व या वित्तीय सेवाओं से प्राप्त फीस की प्रकृति की आय सम्मिलित है; और
- ऐसी आय पर टीडीएस की अधिनियम के अध्याय 17-ख के उपबंधों के अधीन ऐसी दर से कटौती की गई है जो धारा 115क की उपधारा (1) के अधीन विहित दरों से निम्नतर नहीं है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण के संबंध में लागू होगा।

[खंड 47]

स्टार्ट-अप के कर्मचारी स्टॉक अनुकल्पी योजना (ईएसओपीएस) से संबंधित आय की बाबत टीडीएस या कर संदाय का आस्थगन

कर्मचारी स्टॉक अनुकल्पी योजना (ईएसओपीएस) स्टार्ट-अप के कर्मचारियों के लिए प्रतिकर का एक महत्वपूर्ण संघटक रहा है, चूंकि यह स्टार्ट-अप और संस्थापकों को ईएसओपीएस द्वारा बनाए जा रहे अतिशेष से उच्च प्रतिभाशाली कर्मचारियों को तुलनात्मक कम वेतन रकम पर नियोजित करने को अनुज्ञात करता है।

वर्तमान में ईएसपीओएस पर नियमों के नियम 3(8)(iii) के साथ पठित आय-कर अधिनियम की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों के रूप में कर लगाया जाता है। ईएसपीओएस के कारधान को दो संघटकों में बांटा गया है:

- प्रयोग के समय वेतन से आय के रूप में परिलब्धियों पर कर
- विक्रय के समय पूंजी अभिलाभ से आय पर कर

विकल्प का प्रयोग करते समय परिलब्धि पर कर संदत किया जाना अपेक्षित है जो नकद प्रवाह समस्या को बढ़ायेगा क्योंकि यह ईएसओपीएस का फायदा वस्तु के रूप में है।

पात्र स्टार्ट-अप के कर्मचारियों द्वारा कर के संदाय या नियोजक स्टार्ट-अप द्वारा टीडीएस के भार को सुकर बनाने के लिए अधिनियम की धारा 192 का संशोधन करने और उसमें उपधारा (1ग) का अंतः स्थापन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि यथास्थिति उपधारा (1) या इसके (1क) के अधीन कटौती या कर संदाय के प्रयोजन के लिए, कोई व्यक्ति जो धारा 80-झकग में निर्दिष्ट कोई पात्र स्टार्ट-अप है, अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की परिलब्धी होने पर निर्धारिती को किसी आय का संदाय करने के उत्तरदायी है। निर्धारण वर्ष 2020-21 या पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ती वर्ष में ऐसी आय पर, यथास्थिति कटौती या संदाय को -

- (i) सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से अद्वितीय मास के अवसान के पश्चात; या
- (ii) निर्धारिती द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण श्रेय के विक्रय की तारीख से : या
- (iii) उस तारीख से जिसको निर्धारिती व्यक्ति का कर्मचारी नहीं रह जाता है

जो भी उस वित्तीय वर्ष में जिसमें उक्त विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण श्रेय को आबंटित या अंतरित किया गया है, प्रवर्त दरों के आधार पर, जो भी पूर्वतर हो से चौदह दिन के भीतर कर सकेगा।

इसी प्रकार के संशोधन धारा 191 (निर्धारिती की अनेक स्रोत पर कर कटौती की दशा में सीधे कर का संदाय करने के लिए) में और धारा 156 (मांग की सूचना के लिए) में और धारा 140क (स्वयं निर्धारण संगणना करने के लिए) में किए गये हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

[खंड 68,71,72 और 73]

कतिपय समामेलनों में हानियों या अवक्षयण के अग्रनीत को अनुज्ञात करना

अधिनियम की धारा 72कक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन किसी अन्य बैंककारी संस्था के साथ बैंककारी कंपनी के समामेलन की दशा में संचयित हानियों और शेष अवक्षयण मोक के अग्रनीत किए जाने का उपबंध करती है। यह धारा, अधिनियम की धारा 2 के खंड (1ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iii) या धारा 72क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रवृत्त होती है।

समामेलित पब्लिक सेक्टर बैंकों और पब्लिक सेक्टर साधारण बीमा कंपनियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए, इस धारा के फायदे को, निम्नलिखित के समामेलन के संबंध में विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है,—

- (i) केंद्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 या दोनों के अधीन प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन एक या अधिक तत्स्थानी नए बैंक या बैंकों का किसी अन्य तत्स्थानी नए बैंक के साथ ; या
- (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 के अधीन मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन एक या अधिक सरकारी कंपनी या कंपनियों के किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ।

"तत्स्थानी नया बैंक" को वही अर्थ देने का प्रस्ताव है, जो उसका बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 2 के खंड (घ) या बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खंड (ख) में है।

"सरकारी कंपनी" को वही अर्थ देने का प्रस्ताव है, जो उसका कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में है। इसके अतिरिक्त, यह साधारण बीमा कारबार में लगाई जानी है और जो साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 4 या धारा 5 या धारा 16 के प्रवर्तन द्वारा अस्तित्व में आई हो।

"साधारण बीमा कारबार" को वही अर्थ देने का प्रस्ताव है, जो उसका साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 3 के खंड (छ) में है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 31]

"कारबार न्यास" की परिभाषा का उपांतरण

अधिनियम की धारा 115पक, कारबार न्यास को लागू किसी कराधान व्यवस्था के लिए उपबंध करती है। उक्त व्यवस्था के अधीन, पूंजी अभिलाभ आय को छोड़कर, न्यास की कुल आय, अधिकतम सीमांत दर से प्रभावी है। इसके अतिरिक्त, किसी विशेष प्रयोजन यान से कारबार न्यास द्वारा प्राप्त ब्याज और भाटक द्वारा आय को उपचार के माध्यम से स्वीकृत किया गया है, अर्थात्, न्यास के हाथों में ऐसे न्यास के हाथों में ऐसे ब्याज और भाटक से आय पर कोई कराधान नहीं है और विशेष प्रयोजन यान के स्तर पर, कर को रोकने का कोई उपबंध नहीं है। कारबार न्यास, आय की विवरणी देने के लिए और अन्य रिपोर्ट की जाने योग्य अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए भी अपेक्षित हैं।

"कारबार न्यास" को अधिनियम की धारा 2 के खंड (13क) में यह उपबंधित करने के लिए परिभाषित किया गया है कि जिससे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए सुसंगत विनियमों के अधीन किसी अवसंरचना विनिधान न्यास या भू-संपदा विनिधान न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसा न्यास अभिप्रेत है, जिसकी इकाईयों का सुसंगत विनियमों के अनुसरण में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना अपेक्षित है।

यह कथन करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि निजी असूचीबद्ध अवसंरचना विनिधान न्यास को अधिनियम के अधीन उपबंधित कर उपचार के संबंध में सूचीबद्ध पब्लिक अवसंरचना विनिधान न्यास के रूप में वही दर्जा दिया जाना चाहिए। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना विनिधान न्यास) (संशोधन) विनियम, 2019 ने अधिसूचना सं0 सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/10 द्वारा, अन्य बातों के साथ, अवसंरचना विनिधान न्यास की सूचीबद्ध करने की आज्ञात्मक अपेक्षा को दूर किया है। इसके आलोक में, अधिनियम के अधीन कारबार न्यास की परिभाषा को, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के संशोधित विनियमों के अनुरूप किया जाना अपेक्षित है।

अतः, "कारबार न्यास" की परिभाषा को उपांतरित करने के लिए, अधिनियम की धारा 2 के खंड (13क) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे कारबार न्यास की इकाईयों का किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की अपेक्षा को दूर किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

घ. कर निश्चितता प्रदान करने के लिए उपाय

धारा 92गख के अधीन सुरक्षित बंदरगाह नियम में और धारा 92गग के अधीन अग्रिम मूल्यांकन करार में स्थायी स्थापन के लाभ का अधिकार देने के लिए संशोधन

अधिनियम की धारा 92गख, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने के लिए सशक्त करती है, जो अधिनियम की धारा 92ग या धारा 92गक के अधीन सन्निकट कीमत के अवधारण के अध्यक्षीन होंगे। उक्त धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार, "सुरक्षित बंदरगाह" से ऐसी परिस्थितियां अभिप्रेत हैं, जिनमें आय-कर प्राधिकारी, निर्धारिती द्वारा घोषित किए गए अंतरण मूल्य को स्वीकार करेगा। विशेषतः छोटे निर्धारितियों से संबंधित मामलों में, अंतरण मूल्य संपरीक्षा और दीर्घकालिक विवादों की संख्या को कम करने के लिए अधिनियम में यह धारा अंतःस्थापित की गई थी। विवादों को कम करने के अतिरिक्त, सुरक्षित बंदरगाह नियम निश्चितता भी प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 92गग, बोर्ड को, किसी व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सन्निकट कीमत अवधारित करते हुए या वह रीति, जिसके द्वारा सन्निकट कीमत अवधारित की जानी है, विनिर्दिष्ट करते हुए, अग्रिम मूल्यांकन करार करने के लिए सशक्त करती है। अग्रिम मूल्यांकन करार, भविष्य के पांच वर्षों के साथ-साथ पूर्ववर्ती चार वर्षों के लिए भी सन्निकट कीमत का अवधारण करने में कर निश्चितता का उपबंध करता है।

सुरक्षित बंदरगाह नियम, सामान्य निबंधनों पर भविष्यगामी वर्षों के लिए तुलनात्मक छोटे मामलों के लिए कर निश्चितता का उपबंध करते हैं, जबकि अग्रिम मूल्यांकन करार, मामला-दर-मामला के आधार पर, न केवल भविष्यगामी वर्षों के लिए, बल्कि पीछे के वर्षों के लिए भी कर निश्चितता का उपबंध करता है। सुरक्षित बंदरगाह नियम और अग्रिम मूल्यांकन करार, दोनों सन्निकट कीमत के अवधारण में मुकद्दमेबाजी को कम करने में सफल रहे हैं।

यह अभ्यावेदन किया गया है कि नियमों के नियम 10 के अनुसरण में अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन किसी अनिवासी को स्थायी स्थापन के लाभ का अधिकार का परिणाम अनेक मामलों में विवादों से बचाव है। निश्चितता प्रदान करने के लिए, स्थायी स्थापन के किसी अनिवासी व्यक्ति के मामले में आय का अधिकार भी, सुरक्षित बंदरगाह नियम और अग्रिम मूल्यांकन करार के उपबंधों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से आने के लिए अपेक्षित है।

उपरोक्त की दृष्टि में, सुरक्षित बंदरगाह नियम और अग्रिम मूल्यांकन करार की परिधि में स्थायी स्थापन के अधिकार के अवधारण को लाने के लिए, अधिनियम की धारा 92गख और धारा 92गग का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

धारा 92गख के संबंध में, संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

धारा 92गग के संबंध में, संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और इसलिए, 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् किए गए किसी अग्रिम मूल्यांकन करार पर लागू होगा।

[खंड 43 और 44]

बीमा कंपनियों को संदाय के आधार पर, धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात रकम के लिए कटौती अनुज्ञात करना

अधिनियम की धारा 44 यह उपबंध करती है कि बीमा के किसी ऐसे कारबार, जिसमें किसी पारस्परिक बीमा कंपनी या किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किए गए ऐसे कारबार भी सम्मिलित है, के लाभों और अभिलाभों की संगणना अधिनियम की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसरण में संगणित की जाएगी।

अधिनियम की धारा 43ख, कतिपय कटौतियों के मोक का, उस पूर्ववर्ष को, जिसमें निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि के संदाय का दायित्व नियमित रूप से रखे गए लेखों की रीति के अनुसार उपगत किया गया था, ध्यान में न रखते हुए, केवल उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी राशि का वास्तव में संदाय किया गया है, उपबंध करती है।

उक्त अनुसूची का नियम 5, अन्य बीमा कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना के लिए उपबंध करता है। यह कथन करता है कि जीवन बीमा से भिन्न बीमा के किसी कारबार के लाभों और अभिलाभों को बीमा अधिनियम, 1938 या उसके अधीन बनाए गए नियम या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार तैयार लाभ और हानि लेखे में यथा प्रकट कर और विनियोगों से पहले लाभ के रूप में इस शर्त के अधीन लिया जाएगा कि लाभ और हानि लेखे से विकलित कोई व्यय, जो धारा 30 से धारा 43ख के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय नहीं है, वापस जोड़ दिया जाएगा; विनिधान की वसूली पर कोई भी अभिलाभ या हानि, यथास्थिति, जोड़ी या घटा दी जाएगी, यदि उसे लाभ और हानि लेखे में जमा या विकलित नहीं किया गया है; लाभ और हानि लेखे से विकलित विनिधान के मूल्य में कमी के किसी निवेश को वापस जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार, इस नियम में अन्य बीमा कंपनियों के मामले में ऐसा कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है, जो धारा 43ख में निर्दिष्ट कतिपय व्ययों के किसी संदाय के लिए कटौती को अनुज्ञात करे, यदि उन्हें पश्चात्पूर्व वर्षों में संदत्त किए गए हैं। इस बात की संभावना है कि ऐसी राशि को उस पूर्ववर्ष में, जिसमें उसका संदाय किया गया है, कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जा सकेगा। विधान-मंडल का यह आशय नहीं है।

अतः, उक्त नियम 5 के खंड (ग) के पश्चात् एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 43ख के अधीन निर्धारित द्वारा संदेय ऐसी किसी भी राशि को, जिसे उक्त नियम के खंड (क) के अनुसार वापस जोड़ दिया गया है, उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी राशि वास्तव में संदत्त की गई है, आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 104]

तकनीकी सेवाओं (वृत्तिक सेवाओं से भिन्न) के लिए फीस पर स्रोत पर कर कटौती की दर को घटाया जाना

अधिनियम की धारा 194ज यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब नहीं है, और जो किसी निवासी को वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस, या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या कोई परिश्रमिक या फीस या कमीशन चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो उन से भिन्न जिनपर किसी निदेशक को कर अधिनियम की धारा 192 के अधीन कटौती योग्य है या स्वामिस्व या धारा 28 के खंड (vक) में निर्दिष्ट किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है अदाता के खाते में ऐसी राशि को जमा करते या संदाय करते समय आय कर के रूप दस प्रतिशत के समतुल्य किसी रकम की कटौती करेगा।

धारा 194ग यह उपबंध करती है कि किसी सविदा के अनुसरण में कोई काम करने (किसी काम को करने के लिए मजदूरों को उपलब्ध कराने सहित) के लिए किसी निवासी को किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति ऐसी राशि का किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को संदाय करते समय एक प्रतिशत के समतुल्य रकम और अन्य मामलों में दो प्रतिशत के समतुल्य रकम की कटौती करेगा।

यह नोटिस किया गया है कि कर उपचार निर्धारित को कम कटौती के ऐसे मुद्दों पर बहुत अधिक मुकदमेबाजी है जहां निर्धारित धारा 194ग के अधीन कर की कटौती करता है, जबकि कर अधिकारी दावा करते हैं कि कर धारा 194ज के अधीन कटौती की जानी चाहिए।

अतः मुकदमेबाजी को कम करने के लिए, तकनीकी सेवाओं (वृत्तिक सेवाओं से भिन्न) के लिए फीस के मामले में धारा 194ज में स्रोत पर कर कटौती के लिए विद्यमान दस प्रतिशत की दर को दो प्रतिशत तक घटाने का प्रस्ताव किया गया है। धारा 194ज के अधीन अन्य मामलों में स्रोत पर कर कटौती की दर वही दस प्रतिशत रहेगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 79]

ड कर आधार को विस्तृत और गहन बनाना

अधिनियम कि धारा 194क के अधीन आय से ब्याज पर कर कटौती के लिए क्षेत्र का विस्तार किया जाना

अधिनियम की धारा 194क प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज को शासित करती है। इसकी उपधारा (1) यह उबंध करती है कि कोई ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब नहीं है और जो प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय से भिन्न ब्याज के रूप में कोई आय किसी निवासी को संदत्त करने के लिए उत्तरदायी है, प्रवृत्त दरो से आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (3) उन परिस्थितियों का उपबंध करती है जिनमें उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे। इसका खंड (i) यह उन परिस्थितियों या उपबंध करता है जहां यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की रकमों का योग जो उस वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्ति द्वारा पाने वाले के खाते में जमा की गई या संदत्त या जमा की जाने या संदत्त की जाने की संभावना है, कतिपय सीमा से अधिक नहीं होगा। खंड (v) उन परिस्थितियों का उपबंध करता है जहां ऐसी आय किसी सहकारी सोसाइटी (किसी सहकारी बैंक से भिन्न) द्वारा किसी सदस्य के खाते में जमा या संदत्त की गई है या आय किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के खाते में जमा या संदत्त की गई है खंड (viiक) उन परिस्थितियों का उपबंध करता है जहां आय किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक प्रत्यय सोसाइटी या किसी सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक में निक्षेपों और सहकारी सोसाइटी से भिन्न सहकारी बैंक या बैंकारी कारबार में लगी सहकारी सोसाइटी या बैंक में निक्षेपों (समयावधि निक्षेपों से भिन्न) की बाबत जमा की गई है या संदत्त की गई है।

वृहत सहकारी सोसाइटी द्वारा संदत्त ब्याज तक इस धारा का विस्तार करने के लिए उप-धारा (3) का संशोधन करने और परन्तुक को अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि उक्त उपधारा (3) के खंड (v) या खंड (viiक) में निर्दिष्ट कोई सहकारी सोसाइटी उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में आय-कर की कटौती के लिए दायी होगी, यदि—

- (क) उस वित्तीय वर्ष के ठीक पहले कि वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, सहकारी सोसाइटी का कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त पचास करोड़ रुपए से अधिक है; और
- (ख) वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किया गया या ऐसे ब्याज की कुल संदत्त, जमा या संदाय के लिए संभाव्य ब्याज की रकम पाने वाले के वरिष्ठ नागरिक होने की दशा में पचास हजार रुपए तथा किसी अन्य दशा में चालीस हजार रुपए से अधिक है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 75]

एक नई धारा के अंतःस्थापन के माध्यम से ई-वाणिज्य संव्यवहारों पर स्रोत पर कर कटौती की परीधि का विस्तार

ई-वाणिज्य सहभागियों को कर दायरे के भीतर लाकर कर दायरे को व्यापक और गहन करने के लिए अधिनियम में एक नई धारा 194ण का अंतःस्थापन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि एक प्रतिशत की दर पर स्रोत पर कटौती के किसी नए उदग्रहण के लिए उपबंधित किया जा सके। जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दु होंगे:-

- टीडीएस को ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा अपने डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्रसुविधा या प्लेटफार्म के माध्यम से माल के विक्रय या उसके द्वारा दी गई सेवाओं के उपबंधों के लिए संदत्त किया जाना है।
- ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा ई-वाणिज्य सहभागी के खाते में विक्रय या सेवा या दोनों की रकम को जमा करते समय या किसी अन्य ढंग से ऐसे सहभागी को उसके संदाय के समय, जो भी पहले हो, कर की कटौती किया जाना अपेक्षित है।
- ऐसे विक्रय या सेवा या दोनों की सकल रकम पर एक प्रतिशत की दर से कर की कटौती किया जाना अपेक्षित है।
- माल के क्रेता या सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा सीधे किसी ई-वाणिज्य सहभागी को किये जाये संदाय का ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा ई-वाणिज्य सहभागी के खाते में जमा या संदत्त की जाने वाली रकम समझा जायेगा और आय-कर की कटौती के प्रयोजन के लिए ऐसे विक्रयों या सेवाओं की सकल रकम में सम्मिलित होगा।
- ई-वाणिज्य प्रचालन द्वारा किसी ई-वाणिज्य सहभागी (जो कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है) के खाते में जमा या संदत्त कोई राशि इस धारा के उपबंधों के अधीन नहीं होगी, यदि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से ऐसे व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की विक्रयों या सेवाओं या दोनों की सकल रकम पांच लाख रुपयों से अधिक नहीं है और ऐसे ई-वाणिज्य सहभागी ने ई-वाणिज्य प्रचालक को अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) या आधार संख्या दे दी है।
- ऐसे संव्यवहार जिसकी बाबत इस धारा के अधीन ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा कर की कटौती की जा रही है जो पूर्व बिन्दु में चर्चा की गई छूट के अधीन कटौती हेतु दायी नहीं है, वहां अधिनियम के अध्याय 7-ख के अन्य उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर कटौती के लिए उस संव्यवहार पर और दायित्व नहीं होगा। इसे यह स्पष्ट करने के लिए उपबंधित किया गया है जिससे कि ऐसा संव्यवहार पर एक बार से अधिक स्रोत पर कर कटौती के अधीन नहीं है। तथापि, यह स्पष्ट किया गया है कि यह छूट किसी प्रचालक द्वारा विज्ञापन करने से या अन्य ऐसी सेवाएं प्रदान करने से जो प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल या सेवा के विक्रय से संबंधित नहीं है, प्राप्त या प्राप्त योग्य किसी रकम पर लागू नहीं होगी।
- "ई-वाणिज्य प्रचालक" को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्रसुविधा या प्लेटफार्म को स्वामित्व रखता है, प्रचालित करता है, या प्रबंध करता है और जो ई-वाणिज्य सहभागी को संदाय के लिये उत्तरदायी है।
- "ई-वाणिज्य सहभागी" को व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है भारत में निवासी है और जो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक प्रसुविधा या प्लेटफार्म के माध्यम से डिजिटल उत्पादों सहित मालों के विक्रय करता है या सेवा या दोनो प्रदान करता है।
- "इलेक्ट्रॉनिक्स वाणिज्य" को डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों सहित माल या सेवाओं या दोनों पूर्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।
- "सेवा" को धारा 194ज में यथा परिभाषित तकनीकी सेवाओं के लिए फीस और वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस को सम्मिलित करने के लिए परिभाषित किया गया है।
- धारा 197 (निम्नतर स्रोत पर कर कटौती के लिए) में, धारा 204 (किसी राशि के संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए) में और धारा 206कक (बिना पैन/आधार के मामलों में 5 प्रतिशत की कर कटौती को उपबंध करने के लिए) में परिणामी संशोधन करने के प्रस्ताव किये जा रहे हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 84]

उदारवादी विप्रेषण स्कीम (एलआरएस) के माध्यम से विदेशी विप्रेषणा पर स्रोत पर कर संग्रहण और विदेशी यात्रा पैकेज के विक्रय के साथ किसी सीमा के ऊपर मालों के विक्रय पर स्रोत पर कर संग्रहण को सम्मिलित करने के लिए धारा 206 की परीधी का विस्तार

अधिनियम की धारा 206ग एल्कोहेल, लिंकर, वनोत्पाद, स्क्रेप आदि में व्यापार के कारबार पर स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो एक विक्रेता है, क्रेता के लेखे में से क्रेता द्वारा संदेय रकम को विकलित करते समय या ऐसी रकम क्रेता से नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट लेकर या अन्य ढंग से प्राप्त करते समय इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विनिर्दिष्ट प्रकृति के किसी माल के क्रेता से, ऐसी रकम के उतने प्रतिशत के बराबर राशि को आय-कर के रूप में संग्रहित करेगा।

कर दायरे को व्यापक और गहन करने के लिए विदेशी विप्रेषण पर और विदेशी यात्रा पैकेज की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रहण का उदग्रहण करने के लिए धारा 206 का निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है:-

- भारतीय रिजर्व बैंक की उदारवादी विप्रेषणादेश स्कीम के अधीन भारत से बाहर विप्रेषण के लिए किसी वित्तीय वर्ष में सात लाख रुपये या उससे अधिक की कोई रकम या रकमों के योग को प्राप्त करने वाला कोई प्राधिकृत व्यौहारी टीसीएस का पांच प्रतिशत की दर से संग्रहण के लिए दायी होगा, यदि वह किसी ऐसे क्रेता से जो भारत के बाहर ऐसी रकम का विप्रेषण करने वाला व्यक्ति है, उक्त रकम से अधिक राशि प्राप्त करता है। बिना पैन/आधार वाले मामलों में दर दस प्रतिशत रहेगी।
- किसी विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज का कोई विक्रेता जो किसी से क्रेता जो ऐसे पैकेज को क्रय करने वाला व्यक्ति है, से रकम प्राप्त करता है पांच प्रतिशत की दर से टीसीएस का संग्रहण करने के लिए दायी होगा। बिना पैन/आधार वाले मामलों में दर दस प्रतिशत रहेगी।
- उपरोक्त स्रोत पर कर संग्रहण के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि क्रेता—

क. अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कर कटौती के लिए दायी है और उसने ऐसी रकम की कटौती कर ली है।

ख. केन्द्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार, कोई राजदूतावास, कोई उच्च आयोग, कोई दूतावास आयोग, कौंसल, किसी विदेशी राज्य का व्यापार प्रतिनिधित्व, धारा 10 के खंड (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित कोई स्थानीय प्राधिकारी या ऐसी शर्तों के अध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उस अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति है।

- "प्राधिकृत व्यौहारी" को परिभाषित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में व्यवहार करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।
- "विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज" को परिभाषित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे ऐसे यात्रा पैकेज से अभिप्रेत है जो भारत से बाहर किसी देश या देशों या राज्यक्षेत्र या राज्यक्षेत्रों में भ्रमण करने या आमंत्रण देता है और जिसमें यात्रा या होटल में ठहरना या भोजन व्यवस्था या आवास के लिए व्यय या उसी प्रकृति के या उससे संबंधित अन्य व्यय भी सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त, कर दायरे को व्यापक और गहन बनाने के लिए कतिपय सीमा से ऊपर मालों की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रहण के उदग्रहण के लिए धारा 206ग का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है, जो निम्न प्रकार से है:-

- माल का विक्रेता किसी पूर्ववर्ती वर्ष में किसी क्रेता से पचास लाख रुपये से अधिक के प्रतिफल की प्राप्ति पर 0.1 प्रतिशत की दर से टीसीएस का संग्रहण करने के लिए दायी है। बिना पैन/आधार वाले मामलों में दर एक प्रतिशत रहेगी।
- केवल ऐसे विक्रेता जिनके द्वारा कारबार करने से उनकी सकल आय, सकल प्राप्तियां या आवर्त किसी वित्तीय वर्ष ने दस करोड़ रुपये से अधिक है ऐसे टीसीएस का संग्रहण करने के लिए दायी होंगे।
- केन्द्रीय सरकार ऐसी अधिसूचना में अंतर्विष्ट शर्तों के अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसे टीसीएस के संग्रहण के लिए दायी होगा।
- केन्द्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार, कोई राज दूतावास, कोई उच्चायोग, कोई दूतावास आयोग, कौंसल कार्यालय, किसी विदेशी राज्य का व्यापार प्रतिनिधित्व, धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित कोई स्थानीय प्राधिकारी या ऐसी शर्तों के अध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उस अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति है, से कोई टीसीएस संग्रहित नहीं किया जाएगा।
- यदि विक्रेता धारा 206ग के अन्य उपबंधों के अधीन टीसीएस का संग्रहण करने के लिए दायी हैं या क्रेता अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन टीसीएस की कटौती के लिए दायी है और ऐसी रकम की कटौती कर ली गई है, तो इस प्रकार का कोई टीसीएस संग्रहित नहीं किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

[खंड 93]

च. राजस्व बढ़ाने के उपाय

मान्यताप्राप्त भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों और राष्ट्रीय पेंशन स्कीम को नियोजक के अभिदाय के कर उपचार का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में किसी कर्मचारी के खाते में नियोजक द्वारा दिया गया अभिदाय जो वेतन के बारह प्रतिशत से अधिक है, कराधेय है। इसके अतिरिक्त, नियोजक द्वारा किसी स्वीकृत अधिवर्षिता निधि को एक लाख पचास हजार से अधिक किसी रकम

के अभिदाय को कर्मचारी के हाथों में परिलब्धि के रूप में माना जाएगा। उसी प्रकार, नई पेंशन स्कीम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये वेतन के चौदह प्रतिशत के अभिदाय और किसी अन्य नियोजक द्वारा किये गये वेतन के दस प्रतिशत के अभिदाय के लिए निर्धारिती को कटौती करने के लिए अनुज्ञात किया गया है। तथापि, नियोजक द्वारा किये गये अभिदाय की रकम पर कटौती के प्रयोजन के लिए कोई संयुक्त उच्च सीमा नहीं है। यह उच्च वेतन कमाने वाले कर्मचारियों को असंगत फायदा देना है। कम वेतन आय वाला कोई कर्मचारी इस सभी तीन निधियों में उसके वेतन के एक बड़े भाग को नियोजन द्वारा अभिदाय करने में समर्थ नहीं है, जबकि उच्च वेतन आय वाले कर्मचारी इस ढंग से अपने वेतन पैकेज को बनाते हैं जिससे उनके वेतन का एक बड़ा भाग इन तीनों निधियों नियोजक द्वारा संदत्त होता है। इस प्रकार, वेतन का यह भाग किसी भी समय कराधान से नहीं गुजरता है, चूंकि इन तीनों निधियों में छूट-छूट-छूट (ईईईई) व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है। इस प्रकार, संयुक्त उच्च सीमा न होना अन्यायपूर्ण है और इसलिए वांछनीय नहीं है।

अतः एनपीएस, अधिवर्षिता निधि और मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में किसी वर्ष में नियोजक के अभिदाय की बाबत सात लाख पचास हजार रुपये की एक संयुक्त उच्च सीमा का उपबंध करने का प्रस्ताव किया गया है और इसके अतिरिक्त प्रस्ताव किया गया है कि इससे अधिक कोई अभिदाय कराधेय होगा। परिणामस्वरूप यह भी प्रस्ताव किया गया है कि निधि या स्कीम के निक्षेप पर अतिशेष को पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान ब्याज, लाभांश या उसी प्रकृति की कोई अन्य रकम द्वारा कोई वार्षिक अनुवृद्धि को उस विस्तार तक जहां तक यह नियोजक के उस अभिदाय से संबंधित है जो कुल आय में सम्मिलित है, परिलब्धि के रूप में माना जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 13]

वस्तु संव्यवहार कर की परिधि का विस्तार

वित्त अधिनियम, 2013 में मान्यताप्राप्त संगमो में व्यापार की गई गैर-कृषि वस्तुओं के आधार पर वस्तु व्युत्पन्नी के विक्रय पर वस्तु संव्यवहार कर को पुरःस्थापित किया गया था। वस्तु संव्यवहार कर को पुरःस्थापित करने के पीछे का आशय प्रतिभूति बाजार और वस्तु बाजारों में व्यापार किए जा रहे व्युत्पन्नी के बीच समानता लाना है। वस्तु संव्यवहार कर का 0.01 प्रतिशत की दर से उदग्रहण किया गया था, जो प्रतिभूतियों में 'भावी वस्तु' (ऐसी संविदा जो किसी अर्न्तनिहित आस्ति से इसका मूल्य व्युत्पन्न होता है और जो भौतिक रूप से प्रदाय द्वारा परिनिर्धारित होती है) के विक्रय पर उदग्रहित प्रतिभूति संव्यवहार कर की दर भी है। परिणामस्वरूप, वस्तु संव्यवहार कर की परिधि को कराधेय वस्तु संव्यवहारों के रूप में वस्तु व्युत्पन्न पर विकल्पों के विक्रय को भी सम्मिलित करते हुए वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा विस्तार किया गया था।

वस्तु व्युत्पन्नी सहित व्युत्पन्नी के व्यापार प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) द्वारा विनियमित होता है। वर्ष 2015 के पूर्व, वस्तुओं में व्यापार अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (एफसीआरए) के अधीन अग्रिम बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता था। वर्ष 2015 में, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, को निरसित कर दिया गया और अग्रिम बाजार आयोग को भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड के साथ आमेलित कर दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम में परिभाषित संगमो को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम से प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसके पश्चात "वस्तु व्युत्पन्नी" की परिधि को अधिसूचना तारीख 27 सितम्बर, 2016 द्वारा विस्तारित किया गया था जिससे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम की धारा को खंड (4ग) में इसकी परिभाषा के प्रयोजन के लिए अनेक माल अधिसूचित किए गये। इन मालों में अनाज और दालें, तेल के बीज/तेह के केन और तेल, मसाले, धातु, कीमती धातु, मणिक और रत्न, फाईबर, ऊर्जा, मधुरक, पौधारोपण, सूखे मेवे और अन्य भी सम्मिलित है।

वर्तमान में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम के विनियमो के अनुसार वस्तुओं में व्यापार वाले व्युत्पन्न केवल 'भावी' वस्तुओं और 'भावी वस्तु पर विकल्प' में अर्न्तनिहित आस्ति एक 'भावी वस्तु' है। इसका अर्थ यह है कि अवसान के पश्चात, यदि विकल्प प्रयोग कर लिया गया है, विकल्पधारी को किसी 'भावी वस्तु' के क्रय और विक्रय का कोई अधिकार मिलता है और प्रत्यक्ष रूप से माल के क्रय या विक्रय का अधिकार नहीं मिलता है। तथापि, अधिसूचना तारीख 18 अक्टूबर, 2016 द्वारा 'माल में विकल्प को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम की धारा 2 के खंड (कग) में 'व्युत्पन्नी' की परिभाषा में भी सम्मिलित किया गया है इससे 'माल में विकल्प' नए व्युत्पन्न उत्पाद के लिए अर्न्तनिहित आस्ति के रूप में प्रत्यक्ष रूप से तारीख 27.09.2016 को अधिसूचित मालों के साथ मार्ग को प्रशस्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त 'भावी वस्तु' को वस्तु व्युत्पन्न बाजार में किसी नए उत्पाद के रूप में पुनःस्थापित किए जाने की संभावना भी है।

अतः वस्तु व्युत्पन्न बाजार में परिवर्तन को वस्तु संव्यवहार कर के उपबंधों के अनुरूप करने के लिए वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय 7 में आवश्यक परिवर्तन प्रस्तावित किए गये हैं। इसके अतिरिक्त, माल के भौतिक या वास्तविक प्रदाय द्वारा परिनिर्धारित, वस्तु संव्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित दरों पर नई वस्तु व्युत्पन्न उत्पादों पर वस्तु संव्यवहार कर से प्रभार्य करने का प्रस्ताव किया गया है:-

- वस्तु व्युत्पन्नी की कीमतों या कीमतों के सूचकों के आधार पर किसी वस्तु व्युत्पन्नी का विक्रेता द्वारा संदेय 0.01 प्रतिशत की दर पर विक्रय जो वही पर है जिस पर वर्तमान में किसी वस्तु व्युत्पन्नी के विक्रय के किसी संव्यवहार पर वस्तु संव्यवहार कर (सीटीटी) प्रभारित किया जाता है;
- माल विकल्प करार कर विक्रय, जहां क्रेता द्वारा संदेय 0.0001 प्रतिशत की दर पर माल के वस्तुतः परिदान के परिणामस्वरूप विकल्प का प्रयोग किया जाता है;
- माल विकल्प करार का विक्रय, जहां क्रेता द्वारा संदेय 0.125 प्रतिशत की दर पर माल के वस्तुतः परिदान से अन्यथा समझौता के परिणामस्वरूप विकल्प का प्रयोग किया जाता है, जो वह दर है जिस पर प्रतिभूति संव्यवहार कर किसी प्रतिभूति विकल्प करार पर वहां उद्गृहीत किया जाता है, जहां विकल्प का प्रयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 2013 में निम्नलिखित परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव है—

- (क) धारा 116 के खंड (7) में कराधेय वस्तुओं के संव्यवहार की परिभाषा का संशोधन निम्नलिखित के लिए किया जाना प्रस्तावित है—
- "माल विकल्प करार" और "वस्तु व्युत्पन्नी की कीमतों या कीमतों के सूचकों के आधार पर वस्तु व्युत्पन्नी के विक्रय" के संव्यवहारों को सम्मिलित करना; और
 - "मान्यताप्राप्त संगम" के स्थान पर "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज प्रतिस्थापित करना"
- (ख) धारा 116 के खंड (8) में एफसीआरए के प्रतिनिर्देश के एससीआरए परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है।
- (ग) धारा 117 में सारणी को ऊपर (क) में विर्दिष्ट कराधेय वस्तुओं के संव्यवहारों को सम्मिलित किए जाने के लिए उसमें वस्तु संव्यवहार कर की दरों को विनिर्दिष्ट करते हुए और उस व्यक्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए जिसके द्वारा वस्तु संव्यवहार कर संदेय है, संशोधित किया जाना है।
- (घ) उपरोक्त पैरा (क)(i) में निर्दिष्ट कराधेय वस्तु संव्यवहार को निगमित करने के लिए धारा 118 में परिभाषित कराधेय वस्तु संव्यवहार के मूल्य में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 146, 147, 148 और 149]

छ. कर प्रशासन की प्रभावकारिता को बेहतर करना

ई-निर्धारण स्कीम का उपांतरण

अधिनियम की धारा 143 में वहां आय-कर विवरणी की प्रक्रिया और निर्धारण के लिए रीति उपबंधित है, जहां कोई विवरणी अधिनियम की धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में दी गई है।

2. धारा 143 की उपधारा (3क) में यह उपबंधित है कि केंद्रीय सरकार, धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी, जिससे उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय साधनों के द्वारा बृहत्तर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को लाया जा सके। तदनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3क) के अधीन ई-निर्धारण स्कीम, 2019 अधिसूचित की गई थी।

3. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3क) का संशोधन —

(i) इसकी व्याप्ति का विस्तार करने, जिससे उपधारा अधिनियम की धारा 144 के निर्धारण के सर्वोत्तम निर्णय से संबंधित निर्देश को सम्मिलित किया जा सके;

(ii) यह उपबंध करने कि केंद्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (3ख) के अधीन 31 मार्च, 2022 तक कोई निदेश जारी कर सके;

करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 69]

विवाद समाधान पैनल (डी.आर.पी) का संशोधन

अधिनियम की धारा 144ग में यह उपबंधित है कि कतिपय पात्र निर्धारितियों अर्थात् विदेशी कंपनियों और ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में जिसके मामले में अधिनियम की धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन अंतरण कीमत के समायोजन किए गए हैं, निर्धारण अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पात्र निर्धारिती को, यदि वह आय या हानि के विवरण में ऐसा कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, जो ऐसे निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है, निर्धारण आदेश का एक प्ररूप अग्रेषित करे। ऐसा पात्र निर्धारिती ऐसे परिवर्तन की बाबत तीन प्रधान आयुक्तों या आय-कर आयुक्तों के कालिजियम वाले विवाद समाधान पैनल को अपना आक्षेप फाइल कर सकेगा। विवाद समाधान पैनल के पास निदेश पारित करने के लिए नौ माह का समय होता है, जो निर्धारण अधिकारी पर आबद्धकर होता है।

यह प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 144ग के उपबंधों को-

(क) इसमें ऐसे मामलों को सम्मिलित करने, जहां निर्धारण अधिकारी कोई ऐसा परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है जो धारा 144ग की परिधि के भीतर निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है;

(ख) पात्र निर्धारिती को अनिवासी, जो कंपनी या कोई विदेशी कंपनी नहीं है, के रूप में परिभाषित करके उक्त धारा की व्याप्ति का विस्तार करने के लिए,

उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

इस प्रकार, यदि निर्धारण अधिकारी पात्र निर्धारिती की दशा में इस तारीख के पश्चात् कोई ऐसा परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है जो निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है, तो उपरोक्त उपबंध लागू होगा।

[खंड 70]

ई-अपील के लिए उपबंध

अधिनियम के अधीन निर्धारण प्रक्रिया में और अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए एक नई ई-निर्धारण स्कीम पहले ही पुरःस्थापित की गई है। ई-निर्धारण स्कीम के आरंभ होने से, अधिनियम के अधीन अधिकांश कार्य/प्रक्रियाएं, जिनमें विवरणी का फाइल किया जाना, विवरणियों का प्रक्रमण, प्रतिदायों या मांग-सूचनाओं का जारी किया जाना और निर्धारण सम्मिलित हैं, जिनमें करदाता और आय-कर विभाग के बीच व्यक्ति-से-व्यक्ति का संपर्क आवश्यक होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में होते हैं। यह व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने हेतु विभाग द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। ये सभी प्रक्रमण अब न केवल फेसलैस हैं अपितु बहुत ही करदाता-अनुकूल हैं। अब करदाता विभाग के कार्यालयों में व्यक्तिगत हाजिरी की किसी आवश्यकता के बिना अधिनियम के अधीन अपनी अधिकांश बाध्यताओं का पालन करने के लिए व्यवस्था कर सकता है।

आयुक्त (अपील) के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में अपीलें फाइल करना पहले ही समर्थ बनाया जा चुका है। तथापि, आयुक्त (अपील) के अधीन प्रथम अपील प्रक्रिया, जो मुख्य कार्य/प्रक्रमणों में से एक है, अभी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में नहीं है। कोई करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रीकृत लेखा के माध्यम से अपील फाइल कर सकता है। तथापि, अपील फाइल करने के पश्चात् जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है वह न तो इलेक्ट्रॉनिक है और न ही फेस-लैस है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यवस्था से मानवीय इंटरफेस को समाप्त करने के लिए विभाग द्वारा आरंभ किए गए सुधार अगले स्तर पर पहुंचें, यह अत्यावश्यक है कि ई-निर्धारण स्कीम के अनुरूप एक ई-अपील स्कीम आरंभ की जाए।

तदनुसार, अधिनियम की धारा 250 में निम्नलिखित उपबंध करने के लिए उपधारा (6क) को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है:-

- अपील का निपटारा करने के लिए एक ई-अपील स्कीम अधिसूचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करना जिससे और अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।
- अपील कार्यवाहियों के अनुक्रम में आयुक्त (अपील) और अपीलार्थी के बीच प्रौद्योगिकी रूप से व्यवहार्य सीमा तक इंटरफेस को समाप्त करना।
- संसाधनों के उपयोग को मितव्ययिता के पैमाने और क्रियात्मक विशेषज्ञता के माध्यम से अनुकूल बनाना।
- परिवर्तनशील अधिकारिता के साथ एक अपील व्यवस्था पुरःस्थापित करना जिसमें एक या अधिक आयुक्त (अपील) द्वारा अपील का निपटारा किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार को, प्रस्तावित उपधारा के अधीन बना गई स्कीम को प्रवृत्त करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश देने के लिए सशक्त करना कि अपील के निपटारे के लिए अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधित इस अधिनियम का कोई भी उपबंध, ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलताओं, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के साथ लागू नहीं होंगे या लागू होंगे। ऐसे निदेश 31 मार्च, 2022 को या इससे पूर्व जारी किए जाने हैं। यह प्रस्ताव है कि जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना आवश्यक होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 95]

अधिनियम की धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण प्रचालनों पर नियंत्रण करने का उपबंध करना

अधिनियम की धारा 133क के विद्यमान उपबंधों के अधीन, इस धारा में यथा परिभाषित आय-कर प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन निर्धारिती के कारबार परिसरों का सर्वेक्षण करने के लिए सशक्त है। ऐसी शक्तियों के संभाव्य दुरुपयोग को रोकने के लिए, वित्त अधिनियम 2003 द्वारा, उक्त धारा में उपधारा (6) का एक परंतुक यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित किया था कि किसी संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे का आयकर अधिकारी यथास्थिति, संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कोई सर्वेक्षण नहीं करेगा।

धारा 133क की उपधारा (6) के परंतुक को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है कि,—

- (क) उस दशा में जहां सूचना विहित प्राधिकारी से प्राप्त की गई है, वहां, यथास्थिति, संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त से नीचे की पंक्ति का कोई आयकर प्राधिकारी उक्त धारा के अधीन कोई सर्वेक्षण नहीं करेगा; और
- (ख) किसी अन्य दशा में, आयुक्त या निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना यथास्थिति, आयुक्त या निदेशक की श्रेणी से नीचे का कोई आय-कर प्राधिकारी उक्त धारा के अधीन कोई सर्वेक्षण नहीं करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 65]

आय-कर अपील अधिकरण द्वारा रोक पर स्पष्टता

अधिनियम की धारा 254 की उपधारा (2क) के पहले परंतुक के विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि आय-कर अपील अधिकरण (आईटीएटी), निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन के गुणागुण पर विचार करने के पश्चात्, आय-कर आयुक्त अपील के आदेश के विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में अधिकतम 180 दिन की अवधि के लिए रोक आदेश पारित कर सकेगा। उक्त उपधारा का दूसरा परंतुक यह विहित करता है कि जहां अपील का निपटारा इस प्रकार नहीं किया जाता है, वहां आय-कर अपील अधिकरण का यह समाधान हो जाने पर कि यह विलंब निर्धारिती के कारण नहीं हुआ है, रोक को ऐसी अतिरिक्त

अवधि के लिए इस निर्बंधन के अधीन रहते हुए विस्तारित कर सकेगा कि आरंभिक रूप से अनुज्ञात अवधि और इस प्रकार विस्तारित अवधि का योग किसी भी दशा में तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक नहीं होगा और अपील अधिकरण इस प्रकार विस्तारित या अनुज्ञात अवधि या अवधियों के भीतर अपील का निपटारा करेगा। उक्त उपधारा का तीसरा परंतुक यह भी उपबंध करता है कि यदि ऐसी अपील का पहले परंतुक के अधीन अनुज्ञात अवधि या दूसरे परंतुक के अधीन विस्तारित या अनुज्ञात अवधि या दूसरे परंतुक के अधीन विस्तारित या अनुज्ञात अवधि या अवधियों के भीतर, जो किसी शी दशा में तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक की नहीं होगी, इस प्रकार निपटारा नहीं किया जाता है, तो ऐसी अवधि या अवधियों की समाप्ति के पश्चात् रोक का आदेश इस प्रकार बातिल हो जाएगा चाहे अपील का निपटारा करने में विलंब निर्धारिती की ओर से न हुआ हो।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि आय-कर अपील अधिकरण पहले परंतुक के अधीन रोक आदेश इस शर्त के अधीन रहते हुए मंजूर कर सकेगा कि निर्धारिती ने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, फीस, शास्ति की रकम या किसी अन्य राशि को कम से कम बीस प्रतिशत जमा कर दिया हो या इसके संबंध में समान रकम की प्रतिभूति दे दी हो।

एक दूसरा परंतुक प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे पर उपबंध किया जा सके कि आय-कर अपील अधिकरण द्वारा वहां रोक का विस्तार नहीं किया जाएगा, जहां ऐसी अपील का निपटारा इस प्रकार नहीं किया गया है जो रोक के आदेश में यथा विनिर्दिष्ट रोक की उक्त अवधि है। तथापि, निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन पर, अतिरिक्त रोक मंजूर की जा सकती है, यदि अपील का निपटारा करने में विलंब निर्धारिती के कारण नहीं हुआ है और निर्धारिती ने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कर ब्याज, फीस, शास्ति या किसी अन्य राशि का कम से कम बीस प्रतिशत जमा कर दिया हो या इसके संबंध में समान रकम की प्रतिभूति दे दी है।

[खंड 97]

ई-शास्ति के लिए उपबंध

अधिनियम के अधीन और अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए पहले ही एक नई ई-निर्धारण स्कीम पुरःस्थापित की गई है।

अधिनियम की धारा 274 में अधिनियम के अध्याय 21 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया उपबंधित है। निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी की गई कारण बताओ सूचना के उत्तर में निर्धारिती या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को अभी निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में जाना अपेक्षित है। ई-निर्धारण स्कीम-2019 के आगमन से और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभाग द्वारा व्यवस्था से माननीय इंटरफेस को समाप्त करने के लिए आरंभ किए गए सुधारों को अगले स्तर पर पहुंचाने के लिए यह अत्यावश्यक है कि ई-निर्धारण स्कीम 2019 के अनुरूप एक ई-शास्ति स्कीम संचालित की जाए।

अतः उक्त धारा में एक नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए ई-स्कीम अधिसूचित कर सके जिससे-

- (क) कार्यवाहियों के अनुक्रम में निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती के बीच प्रौद्योगिकी रूप से व्यवहार्य सीमा तक इंटरफेस को समाप्त करके;
- (ख) संसाधनों के उपयोग को मितव्ययिता के पैमाने और क्रियात्मक विशेषज्ञता के माध्यम से अनुकूल बना कर;
- (ग) शास्ति अधिरोपित करने के लिए एक ऐसी क्रिया-विधि पुरःस्थापित करके जिसमें शास्ति एक या अधिक आयकर प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित की जाएगी; परिवर्तनशील अधिकारिता के साथ, और अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

केंद्रीय सरकार को, प्रस्तावित उपधारा के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रवृत्त करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश देने के लिए सशक्त करने का भी प्रस्ताव है कि शास्ति अधिरोपित करने के लिए अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधित कोई भी उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलताओं के साथ, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, लागू नहीं होंगे या लागू होंगे। ऐसे निदेश 31 मार्च, 2022 को या इससे पूर्व जारी किए जाने हैं। यह प्रस्ताव है कि जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना आवश्यक होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 100]

अधिनियम में करदाताओं के चार्टर का अंतःस्थापन

अधिनियम में नई धारा 119क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को, करदाता के चार्टर को अंगीकृत और घोषित करने के लिए और अन्य आय-कर प्राधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश, निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने के लिए, जो वह ऐसे चार्टर के प्रशासन के लिए ठीक समझे, सशक्त बनाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 64]

ज. कर दुरुपयोग निवारण

अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) उन परिस्थितियों का उपबंध करती है, जिनमें कोई व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी होगा। उसके उपखंड (ग) में यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति उस वर्ष में भारत में निवासी होगा, यदि वह,—

- (i) उसके पूर्ववर्ती चार वर्षों के भीतर कुल मिलाकर तीन सौ पैंसठ दिन या अधिक दिनों की कालावधि तक भारत में रहा है, और

(ii) उस वर्ष कुल मिलाकर साठ या अधिक दिनों की कालावधि तक भारत में रहा है।

उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण-1 के खंड (ख) में यह उपबंधित है कि कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति भारत का निवासी होगा यदि वह उस वर्ष में साठ दिनों की बजाए एक सौ बयासी दिन तक भारत में रहा है। यह उपबंध भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत का निवासी बने बिना अधिक लंबी अवधि तक भारत में आने के लिए उन्हें अनुज्ञात करने के लिए शिथिलता प्रदान करता है।

ऐसे दृष्टांत जानकारी में आए हैं, जहां वर्ष के दौरान भारत आने पर भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति के संबंध में विनिर्दिष्ट एक सौ बयासी दिन की अवधि का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति, जो वास्तव में भारत से सारभूत आर्थिक कार्यकलाप कर रहे हैं, भारत में अपनी ठहरने की अवधि का प्रबंध कर लेते हैं जिससे शाश्वतकाल तक अनिवासी बने रहें और भारत में अपनी वैश्विक आय की घोषणा करना अपेक्षित न हो।

उक्त धारा की उपधारा (6) में ऐसी परिस्थितियां उपबंधित हैं जिसमें कोई व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में भारत में "मामूली तौर पर निवासी" नहीं होगा। इसके खंड (क) में यह उपबंधित है कि यदि ऐसा व्यक्ति व्यक्ति है, जो उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस वर्षों में से नौ वर्षों में अनिवासी रहा हो, या उस वर्ष के पूर्ववर्ती सात वर्षों के दौरान कुल मिलाकर सात सौ उन्तीस या उससे कम दिनों तक भारत में रहा हो। इसके खंड (ख) में हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) के लिए इसी प्रकार के उपबंध अंतर्विष्ट हैं।

इस प्रवर्ग के व्यक्तियों को आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए चिन्हित किया गया है कि किसी अनिवासी को अचानक केवल इस कारण एक निवासी के लिए अनुपालन की जाने वाली अपेक्षा का सामना न करना पड़े कि उसने किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक दिन व्यतीत किए हैं। इस चिन्हित वर्ग के संबंध में वर्तमान विधि में विनिर्दिष्ट शर्तें विवादों, संशोधनों और पुनः विवादों का विषयवस्तु रही हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा भारत में आने के लिए यथा प्रस्तावित दिनों की संख्या में कमी करने के कारण शर्तों में शिथिलीकरण करने की आवश्यकता होगी।

राज्यविहिन व्यक्तियों का मुद्दा काफी समय से कर जगत की परेशानी रहा है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने मामलों की ऐसे तरीके से व्यवस्था करना पूर्णतः संभव है कि वह किसी वर्ष के दौरान किसी देश या अधिकारिता में कर के लिए दायी न हो। यह व्यवस्था विशिष्ट रूप से उच्च कुल आय के व्यक्तियों द्वारा उनके द्वारा अर्जित आय पर किसी भी देश/अधिकारिता में कर के संदाय से बचने के लिए अपनाई जाती है। कर विधियों को ऐसी स्थिति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, जहां कोई व्यक्ति विश्व में कहीं भी कर के लिए दायी न हो। ऐसी परिस्थिति निश्चित रूप से वांछनीय नहीं है; विशिष्ट रूप से ऐसे वैश्विक कर परिवेश में चालू विकास को ध्यान में रखते हुए जहां दोहरे अकराधान के रास्ते को व्यवस्थित रूप से बंद किया जा रहा है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तावित है कि—

- (i) धारा 6 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण-1 के खंड (ख) में उस वर्ष भारत में आने वाले व्यक्तियों के लिए उपबंधित अपवाद को विद्यमान एक सौ बियासी दिन से कम करके एक सौ बीस दिन किया जाए।
- (ii) किसी व्यक्ति या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब के बारे में यह बात कि वह किसी पूर्व वर्ष में "मामूली तौर पर निवासी नहीं है" तब कही जाएगी यदि व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब का कर्ता उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस वर्षों में से सात वर्षों में भारत में न रहा हो। यह नई शर्त धारा 6 की उपधारा (6) के खंड (क) और (ख) में विद्यमान शर्तों को प्रतिस्थापित करने के लिए है।
- (iii) कोई भारतीय नागरिक जो किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र में कर के लिए दायी नहीं है, भारत में निवासी समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4]

अधिनियम की धारा 194ग में "काम" की संशोधित परिभाषा

अधिनियम की धारा 194ग ठेकेदारों को किए गए संदायों पर कर की कटौती करने के संबंध में है। इस धारा में यह उपबंधित है कि किसी संविदा के अनुसरण में कोई काम (जिसके अंतर्गत किसी काम को करने के लिए श्रमिक को प्रदाय भी है) करने के लिए किसी निवासी को किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति ऐसी राशि जमा करने या उसका संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, ऐसी राशि के, जहां संदाय या प्रत्यय किसी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब को किया जा रहा है, एक प्रतिशत और अन्य मामलों में दो प्रतिशत की कटौती करेगा। उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (iv) "काम" को परिभाषित करता है। इस परिभाषा के उपखंड (ख) में किसी ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार परिभाषा के अंतर्गत आने वाले ऐसे ग्राहक से क्रय की गई सामग्री का उपयोग करके उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय भी सम्मिलित है। तथापि, ऐसे ग्राहक से भिन्न किसी व्यक्ति से क्रय की गई सामग्री का उपयोग करके ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय करना, इसके अंतर्गत नहीं है।

यह पाया गया है कि कुछ निर्धारित संविदा किए गए विनिर्माता से अपने संबद्ध पक्षकारों के माध्यम से प्रदाय की गई कच्ची सामग्री को उपाप्त करने के लिए इस धारा का कर से बचने वाले खंड का उपयोग कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, आय की पर्याप्त रकम कर के दायरे से बच जाती है।

अतः, इस धारा में स्पष्टता लाने और कर की चोरी रोकने के लिए परिभाषा का संशोधन करना प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्माण की संविदा में निर्धारित या इसके सहयुक्त द्वारा प्रदान की गई कच्ची सामग्री धारा 194ग के अधीन "काम" की परिधि के अंतर्गत आएगी। सहयुक्त को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाना प्रस्तावित है जिससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे ग्राहक के संबंध में वैसे ही रखा गया व्यक्ति है, जैसे अधिनियम की धारा 40क की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन निर्धारित के संबंध में रखा गया व्यक्ति है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 76]

जाली बीजक के लिए शास्ति

माल और सेवा कर (जीएसटी) के आरंभ होने के पश्चात् हाल ही में जीएसटी प्राधिकारियों द्वारा कपटपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) दावे के कतिपय मामले पकड़े गए हैं। इन मामलों में, जीएसटी के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ताओं द्वारा कपटपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय के दावे के लिए जाली बीजक अभिप्राप्त किए जाते हैं। ये बीजक उन घोटालेबाजों द्वारा जारी किए गए, पाए गए हैं जो वास्तव में कोई माल या सेवाएं प्रदाय किए बिना केवल बीजक जारी करते हैं। ऐसे बीजकों पर प्रभारित दर्शाया गया जीएसटी न तो संदत्त किया जाता है और न ही संदत्त किए जाने का आशय होता है। ऐसे कपटपूर्ण ठहरावों के लिए अधिनियम के अधीन अधिक कठोर उपबंधों के साथ कार्यवाही की जानी चाहिए।

अतः, अधिनियम में एक नया उपबंध पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे व्यक्ति पर शास्ति के उद्ग्रहण के लिए उपबंध किया जा सके, यदि अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान यह पाया जाता है कि उसके द्वारा बनाए रखी गई लेखा बहियों में - (i) मिथ्या प्रविष्टि है या (ii) ऐसे व्यक्ति की कुल आय की संगणना के लिए सुसंगत किसी प्रविष्टि कर दायित्व से बचने के लिए लोप किया गया है। ऐसे व्यक्ति द्वारा देय शास्ति मिथ्या प्रविष्टियों या लोप की गई प्रविष्टि की सकल रकम के समतुल्य होगी। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कोई अन्य व्यक्ति, जो किसी रीति में किसी व्यक्ति से मिथ्या प्रविष्टि या लोप करवाता है या कोई प्रविष्टि का लोप करवाना कारित करता है, शास्ति के मद्ये उतनी राशि का संदाय करेगा जो ऐसी मिथ्या प्रविष्टियों या लोप की गई प्रविष्टि की सकल रकमों के समतुल्य है। मिथ्या प्रविष्टियों में निम्नलिखित का उपयोग करने या उपयोग करने का आशय रखने को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है—

- (क) कूटरचित या मिथ्या दस्तावेज जैसे मिथ्या बीजक या, साधारणतया, कोई मिथ्या दस्तावेजी साक्ष्य; या
 - (ख) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या प्राप्ति के संबंध में उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे माल के वास्तविक प्रदाय या प्राप्ति के बिना जारी किए गए बीजक; या
 - (ग) बीजक जो, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या प्राप्ति के संबंध में इस व्यक्ति को या उस व्यक्ति से, जो विद्यमान नहीं है।
- यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 98]

झ. अधिनियम के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

बहुपक्षीय लिखत (एमएलआई) के साथ दोहरे कराधान के परिवर्जन के लिए करार करने के प्रयोजन का सुमेलन

अधिनियम की धारा 90 केन्द्रीय सरकार को विदेशों या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों (सामान्य तौर पर डीटीए के रूप में ज्ञात) के साथ

- (क) निम्नलिखित के संबंध में अनुतोष प्रदान करना—
 - (i) ऐसी आय की बाबत, जिस पर भारत में और उस विदेश या राज्यक्षेत्र दोनों में कर का संदाय किया गया है, या
 - (ii) पारस्परिक आर्थिक संबंधों, व्यापार और विनिधानों के संवर्धन के लिए भारत और उस विदेश या राज्यक्षेत्र, दोनों की विधियों के अधीन प्रभार्य आय-कर की बाबत राहत देने के लिए;
- (ख) भारत और उस विदेश या राज्यक्षेत्र, दोनों की विधियों के अधीन आय-कर के दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए,
- (ग) भारत और उस विदेश या राज्यक्षेत्र, दोनों की विधियों के अधीन प्रभार्य आय-कर के अपवंचन या परिवर्जन को रोकने के लिए जानकारी के आदान-प्रदान या ऐसे अपवंचन या परिवर्जन के मामलों के अन्वेषण के लिए; या
- (घ) भारत और उस विदेश या राज्यक्षेत्र, दोनों की विधियों के अधीन आय-कर की वसूली के लिए, करार करने के लिए सशक्त करती है।

अधिनियम की धारा 90क में अधिनियम की धारा 90 के समान उपबंध अंतर्विष्ट हैं जिससे केन्द्रीय सरकार को भारत में किसी विनिर्दिष्ट संगम और भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में किसी विनिर्दिष्ट संगम के बीच करार को राहत प्रदान करने के लिए, दोहरे कराधान के परिवर्जन के लिए, सूचना के आदान-प्रदान के लिए और आयकर की वसूली के लिए अंगीकृत और कार्यान्वित करने के लिए सशक्त किया जा सके।

भारत ने आधारिक क्षरण और लाभ अंतरण (जिसे सामान्य तौर पर एमएलआई कहा जाता है) के निवारण के लिए कर संधि से संबंधित उपायों को कार्यान्वित करने के लिए बहुत-से देशों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ बहुपक्षीय अभिसमय (कंवेंशन) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका अनुसमर्थन किया जा चुका है। भारत में ओईसीडी, पेरिस के अनुसमर्थन की लिखत एमएलआई के अधीन, आच्छादित कर करारों (सीटीए), आरक्षणों, विकल्पों और अधिसूचनाओं के निबंधनों के अनुसार अपनी अंतिम स्थिति के साथ जमा कर चुका है, जिसके परिणामस्वरूप एमएलआई 01 अक्तूबर, 2019 को भारत के लिए प्रभावी हुई और इसके उपबंध भारत के डीटीए पर वित्त वर्ष 2020-21 से आगे लागू होंगे।

एमएलआई जी 20-ओईसीडी परियोजना का आधारिक क्षरण और लाभ अंतरण बीईजीएस परियोजना को रोकने का परिणाम है अर्थात् कर योजना की वे युक्तियां जो कर नियमों में अंतरालों और बेमेलपन का बनावटी रूप से लाभ को कम या कर विहिन अवस्थानों में स्थांतरित करके अनुचित लाभ उठाते हैं जहां कम या कोई आर्थिक कार्यकलाप नहीं है जिसके परिणामस्वरूप या तो कम या कुल मिलाकर कोई कोरपोरेट कर संदत्त नहीं किया जा रहा है। एमएलआई से भारत की डीटीएएस में उपांतरण होगा जिससे संधि दुरुपयोग करके और आधारिक क्षरण तथा लाभ अंतरण युक्तियों के माध्यम से राजस्व की हानि पर रोक लग सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभों पर वहां कर लगाया जा सके जहां सारभूत आर्थिक कार्यकलाप लाभ कमाने के लिए चलाए जाते हैं। एमएलआई विद्यमान डीटीएएस के साथ-साथ बीईपीएस के उपायों को कार्यान्वित करने के लिए उनके उपयोजन को उपांतरित करके लागू की जाएगी।

एमएलआई के अनुच्छेद 6 में आच्छादित कर करार (कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट) को प्रस्तावना के निम्नलिखित पाठ को सम्मिलित करने के लिए उपांतरित करने का उपबंध है:-

"इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के विषय में दोहरे कराधान को अकराधान के लिए अवसर सृजित किए बिना या कर के अपवंचन या परिवर्जन के माध्यम से कर कमी करने के लिए आशयित (जिसके अंतर्गत संधि-खरीदारी के माध्यम से किए गए ठहराव भी हैं जिसका उद्देश्य तृतीय अधिकारिताओं के निवासियों के अप्रत्यक्ष फायदे के लिए इस करार में उपबंधित राहतें अभिप्राप्त करना है)",

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) के खंड (ख), जिसमें दोनों देशों या राज्यक्षेत्र (भारत और अन्य विदेशी राज्यक्षेत्र) की विधियों के अधीन दोहरे कराधान परिवर्जन की बाबत अनुतोष प्रदान करने के लिए उपबंध है, ऊपर पैरा 4 में वर्णित अनुसार एमएलआई में उपबंधित पाठ को अंतर्विष्ट किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 90क की दशा में भी, इसी प्रकार का संशोधन किए जाने की आवश्यकता होगी।

अतः अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) के खंड (ख) के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार भारत के बाहर किसी देश की सरकार या भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के साथ, इस अधिनियम के अधीन और यथास्थिति, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन आय-कर के दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए, कर अपवंचन या परिवर्जन करने के लिए, कर अपवंचन या परिवर्जन के माध्यम से अकराधान या अवनत कराधान के लिए अवसरों का सृजन किए बिना (जिसके अंतर्गत किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र के निवासियों के अप्रत्यक्ष फायदे के लिए इस करार में उपबंधित अनुतोषों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी ठहरावों के माध्यम से, भी सम्मिलित है) करार कर सकेगी।

अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) के खंड (ख) में भी इसी प्रकार का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 41 और 42]

आस्तियों के अप्रत्यक्ष अंतरण के कारण महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति प्रस्ताव का आस्थगन, स्रोत नियम का विस्तारण, विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ताओं की करादेयता से छूट को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की संशोधित स्कीम के साथ सुम्मेलित करना।

अधिनियम की धारा 9 में ऐसी आय के संबंध में उपबंध अंतर्विष्ट है जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होने के लिए समझी गई आय हैं। इस धारा की उपधारा (1) यह एक विधिक कल्पना सृजित करती है कि कतिपय आय भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली समझी जाएंगी।

उपधारा (1) का खंड (i) निम्नलिखित आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई है:-

"भारत में किसी कारबारी संपर्क के द्वारा या उससे, भारत में किसी संपत्ति के द्वारा या उससे या भारत में किसी आस्ति से आय के स्रोत द्वारा या भारत में स्थित पूंजी आस्ति के अंतरण द्वारा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी आय।"

वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा, अन्य बातों से साथ-साथ, उक्त खंड का स्पष्टीकरण 2क अंतःस्थापित किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि भारत में किसी अनिवासी की "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एसईपी) भारत में "कारबारी संबंध" गठित करेगा और इस प्रयोजन के लिए "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" का निम्नलिखित अभिप्राय होगा:-

(क) भारत में किसी अनिवासी द्वारा किसी माल, सेवाएं या संपत्ति के संबंध में किया गया संव्यवहार, जिसके अंतर्गत भारत में डाटा या साफ्टवेयर को डाउनलोड करने की व्यवस्था भी है, यदि ऐसे संव्यवहार या पूर्ववर्ष के दौरान संव्यवहारों से उत्पन्न कुल संदाय ऐसी रकम से अधिक है, जो विहित की जाए; या

(ख) कारबार क्रियाकलापों का क्रमबद्ध और निरंतर निवेदन करना या भारत में डिजिटल साधनों के द्वारा उपभोक्ताओं की ऐसी संख्या के साथ अन्योन्यक्रिया में लगना, जो विहित की जाए।

उक्त स्पष्टीकरण में यह भी उपबंधित है कि संव्यवहार या क्रियाकलाप से महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति गठित होगी, चाहे ऐसे संव्यवहारों या क्रियाकलापों के लिए करार भारत में किया गया है या नहीं; या अनिवासी का भारत में निवासस्थान या कारबार का स्थान है या नहीं। यह भी उपबंध किया गया था कि केवल उतनी आय जितनी पैरा 2(क) और (ख) में वर्णित संव्यवहारों या क्रियाकलापों के कारण हुई समझी गई है, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाएगी।

अतः भारत में किसी अनिवासी की महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट संव्यवहारों से उद्भूत कुल सदायों की रकम के लिए और उपयोक्ताओं की संख्या की अवसीमा को आय-कर नियमों में विहित किए जाने की आवश्यकता थी। तथापि, इस मुद्दे पर जी 20-ओईसीडी बीईपीएस परियोजना में अभी चर्चा जारी है, ये संख्या अभी अधिसूचित नहीं की गई है। जी 20-ओईसीडी की रिपोर्ट दिसम्बर, 2020 के अंत तक आने की प्रत्याशा है। इन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एसईपी) की प्रयोज्यता को निर्धारण वर्ष 2022-23 से आरंभ करने को आस्थगित करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव को आस्थगित करते हुए कतिपय प्रारूपिक परिवर्तन भी किए गए हैं।

वर्तमान एसईपी उपबंध का निर्धारण वर्ष 2021-22 से लोप किया जाएगा और नए उपबंध 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे।

[खंड 5]

इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय मंच पर चल रही चर्चा के अनुसार, देश, साधारणतया, सहमत हैं कि ऐसे विज्ञापन से आय जिसका लक्ष्य भारतीय ग्राहक हैं, या भारत से संगृहीत डाटा का उपयोग करके माल और सेवाओं से आय का भारतीय राजस्व में लेखा-जोखा देने की आवश्यकता है। अतः इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए स्रोत नियम के संशोधन का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा। तथापि, महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति संव्यवहार या क्रियाकलाप से संबंधित आय के अधिकार का संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5]

इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त खंड का स्पष्टीकरण-5 अंतःस्थापित किया गया था जिससे यह स्पष्ट हो सके कि ऐसी आस्ति या पूंजी आस्ति के बारे में, जो भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या अस्तित्व में किसी शेयर या हित के रूप में है, यह समझा जाएगा और सदैव से यह समझा जाएगा कि वह भारत में स्थित है, यदि उसे शेयर या हित का अपना मूल्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारवान् रूप में भारत में अवस्थित आस्तियों से व्युत्पन्न होता है। उक्त स्पष्टीकरण का दूसरा परंतुक, जो वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था, यह उपबंध करता है कि स्पष्टीकरण किसी ऐसी आस्ति या पूंजी आस्ति को लागू नहीं होगी जो किसी अनिवासी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2014 (सेवी) (एफपीआई) के अधीन प्रवर्ग-1 या प्रवर्ग-2 के अधीन विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान के रूप में धारित की गई है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने राजपत्र अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/36 द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता विनियम, 2019 (सेबी) (एफपीआई) अधिसूचित किए और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एफपीआई) विनियम, 2014 निरसित किए गए। इन दोनों विनियमों के बीच वर्तमान संदर्भ में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सेबी ने पोर्टफोलियो के प्रवर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए व्यापक आधारीक मानदंड को समाप्त कर दिया गया है। इसको देखते हुए, इस प्रकार अंतःस्थापित किए गए परंतुक में आवश्यक उपांतरण किए जाने की आवश्यकता है। अतः यह प्रस्तावित है कि किसी अनिवासी द्वारा सेबी (एफपीआई) विनियम, 2014 के अधीन विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (एफपीआई) के तत्कालीन प्रवर्ग 1 और 2 में विनिधान के रूप में धारित आस्ति या पूंजी आस्ति के लिए उपबंधित उक्त स्पष्टीकरण 5 से अपवाद को निष्क्रिय समझा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, सेबी (एफपीआई) विनियम, 2019 के अधीन एफपीआई प्रवर्ग-1 में विनिधान के संबंध में इसी प्रकार का अपवाद उपबंधित किया जाए।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 5]

धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ii) में स्वामिस्व के रूप में कतिपय आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझा जाता है। उक्त खंड के स्पष्टीकरण 2 के उक्त खंड में "स्वामिस्व" पद को परिभाषित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, किसी प्रतिलिप्याधिकार, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृति के जिसके अंतर्गत दूरदर्शन से संबंधित उपयोग के लिए टैप भी है, के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों का अंतरण (जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना भी है) किंतु जिसके अंतर्गत सिनेमा फिल्मों के विक्रय, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल नहीं है, अभिप्रेत है।

स्वामिस्व की परिभाषा से सिनेमा फिल्मों के विक्रय, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल के अपवर्जन के कारण भारत में ऐसा स्वामिस्व कर योग्य नहीं है भले ही डीटीए भारत को ऐसे स्वामिस्व पर कर लगाने का अधिकार देता हो। ऐसी स्थिति भारतीय निवासियों के विरुद्ध विभेदकारी है, चूंकि भारत किसी अन्य देश के अनिवासी की दशा में स्वामिस्व पर कर लगाने के अधिकार को उस अन्य देश द्वारा भारतीय निवासी को समान रियायत दिए बिना छोड़ रहा है। अतः स्वामित्व की परिभाषा के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे सिनेमा फिल्मों के विक्रय, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल को स्वामिस्व के अर्थ से अपवर्जित न किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में लागू होंगे।

[खंड 5]

अधिनियम की धारा 295 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे ऐसी रीति, जिसमें और ऐसी प्रक्रिया, जिसके द्वारा निम्नलिखित के संबंध में आय परिकलित की जाएगी, नियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त किया जा सके,—

- (i) अनिवासी द्वारा भारत में की जा रही संक्रियाएं ; और
- (ii) किसी अनिवासी के संव्यवहार या क्रियाकलाप।

खंड (i) का संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा। खंड (ii) का संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 103]

वितरित कर लाभों को हटाना और अंशधारकों/यूनिट धारकों के हाथों में लाभांश कर की पारंपरिक प्रणाली का संचालन।

धारा 115ण यह उपबंध करती है कि किसी घरेलू कंपनी की कुल आय के संबंध में आय कर प्रभार्य के अतिरिक्त किसी रकम, वितरित या संदत्त लाभांशों के द्वारा संदत्त अतिरिक्त आयकर 15 प्रतिशत की दर से अधिरोपित किया जाएगा। कर कंपनी (डीडीटी) द्वारा संदत्त किया गया समझा जाएगा चूंकि वितरित या लाभांश द्वारा संदत्त घोषित, रकम के संबंध में कर का अंतिम संदाय होगा। ऐसा लाभांश धारा 115ण में निर्दिष्ट धारा 10 के खंड (34) के अधीन अंशधारकों को छूट देता है। व्यवसाय न्यास, विशिष्ट छूट की दशा में धारा 155ण की उपधारा (7) के अधीन कतिपय शर्तों के अधीन उपबंधित किया गया है। उसी प्रकार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की ईकाई के वितरित लाभों पर कतिपय शर्तों को पूरा करने लिए धारा 115ण की उपधारा (8) के अधीन उपबंध किया गया है।

उसी प्रकार धारा 115द के अधीन विशिष्ट कंपनियां और पारस्परिक निधि इसमें यूनिट धारकों को उनके द्वारा वितरित आय की किसी रकम पर विनिर्दिष्ट दल पर अतिरिक्त आय कर का संदाय किए जाने के दायी होंगे। ऐसी आय धारा 10 के खंड (35) के अधीन यूनिट धारकों को छूट दी जाएगी।

इस प्रकार, कर का भार दाता कंपनी/पारस्परिक निधि पर होगा न कि प्राप्तकर्ता पर, जहां इसे सामान्यतः होना चाहिए। लाभांश अंशधारकों की आय में से होगा न कि कंपनी की आय में से। इस प्रकार कर का भार प्राप्तकर्ता पर होना चाहिए। इसके अलावा जिस प्राप्तकर्ता पर वितरित लाभों पर समान दर से उदग्रहण कर का वर्तमान उपबंध न्यूनतम दर से ध्यान दिए बिना सामान्य रूप से कर अधिरोपित किया गया है। चूंकि उपबंध विचारणीय, अन्यायी और प्रतिगामी है। कंपनी/पारस्परिक निधि की ओर से लाभांश का कराधान की वर्तमान प्रणाली को वित्त अधिनियम, 2003 (निर्धारण वर्ष 2004-05 से प्रभावी) द्वारा पुनःपरस्थापित किया था चूंकि एकल विषय और नई प्रणाली पर कर संग्रहण और अनुपालन भार में वृद्धि किया जाना आसान था। तथापि, प्रौद्योगिकी के पुनरागमन और आसानी से खोज करनी वाली उपलब्ध प्रमाणी के साथ लाभांश की कराधान की न्यायसंगत चालू प्रणाली के प्रयोजनार्थ स्वयं अधिक समय तक टिका रहने दिया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है कि ईकाईयों से लाभांश और आय लागू दर पर अंशधारकों या ईकाई धारकों से करयोग्य है और घरेलु कंपनी या विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि किसी डीडीटी का संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं है। यह भी उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 57 के अधीन व्यय की कटौती ईकाईयों से लाभांश या आय का अधिकतम 20 प्रतिशत होगी। इसप्रकार यह भी प्रस्ताव किए गए हैं जो इस प्रकार हैं—

- (i) धारा 115ण का संशोधन जिससे यह उपबंध किया जा सके कि घोषित, वितरित या संदत्त लाभांश 1 अप्रैल, 2003 के पश्चात् परन्तु 31 मार्च, 2020 से पूर्व इस धारा के उपबंध के अंतर्गत आएंगे।
- (ii) धारा 10 के खंड (34) का संशोधन जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस खंड का उपबंध लाभांश, प्राप्ति द्वारा किसी आय के लिए 1 अप्रैल, 2020 के पश्चात् लागू नहीं होगा।
- (iii) धारा 115द का संशोधन जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वितरित आय को या 31 मार्च, 2020 को या पूर्व इस धारा के उपबंध के अंतर्गत आएंगे।
- (iv) धारा 10 के खंड (35) का संशोधन जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस खंड के उपबंध किसी आय, ईकाईयों के संबंध में, प्राप्ति को या 1 अप्रैल, 2020 के पश्चात् लागू नहीं होगा।
- (v) धारा 10 के खंड (23चग) का संशोधन जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सभी प्राप्त किए गए लाभांश या विशेष प्रयोजन यान से व्यवसाय न्यास द्वारा प्रायः इस खंड के अधीन आय से छूट है।
- (vi) धारा 10 के खंड (23चघ) का संशोधन छूट से व्यवसाय न्यास से यूनिट धारक द्वारा प्राप्त लाभांश को छोड़कर लाभांश आय व्यवसाय न्यास के यूनिट धारक से करयोग्य है।
- (vii) धारा 115ढक की उपधारा (3) का संशोधन खंड जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपखंड (क) के संदर्भ का लोप किया गया है कि प्रकृति की वितरित आय जैसा कि धारा 10 के खंड (23चग) या खंड(23चगक) को निर्दिष्ट किया गया है, को यूनिट धारक की आय समझा जाएगा। और पूर्ववर्ती वर्ष की आय के रूप में कर के लिए अधिभार होगा। इसप्रकार न्याय व्यवसाय के लिए विशेष प्रयोजन यान द्वारा वितरित लाभांश आय यूनिट धारक की ओर से करादेय होगी।
- (viii) अनेक धाराओं में वितरित आय जैसा कि धारा 57, धारा 115क, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ और धारा 115ग में धारा 115ण के संदर्भ को हटाया जाना।
- (ix) धारा 10 के खंड (23घ) की आरंभिक पंक्ति को हटाना जाना जैसा कि पारस्परिक निधि में अतिरिक्त कर संदाय किया जाना काफी समय से अपेक्षित नहीं था।
- (x) नई धारा 80ड का अंतःस्थापन जैसा कि विद्यमान से पूर्व इसमें क्रमप्रदात प्रभाव को हटाने के लिए वित्त अधिनियम अधिनियम, 2003 द्वारा हटाना उस बदलाव के साथ प्रतिभार पूर्ववर्ती रिटर्न फाइल करने के देय तारीख के स्थान पर रिटर्न के फाइल करने की देय तारीख के एक मास पूर्व कंपनी द्वारा वितरित लाभांश के लिए ही अनुज्ञात होगी।
- (xi) धारा 115खखघक का संशोधन जिससे यह उपबंध किया जा सके जिसमें 10 प्रतिशत की दर से अंशधारक की ओर से दस लाख रूपए की अधिक वितरित आय किसी घरेलु कंपनी द्वारा केवल घोषित लाभांश, वितरित या संदत्त को या 31 मार्च, 2020 से पूर्व के लिए है।
- (xii) धारा 57 का संशोधन जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई कटौती लाभांश आय या पारस्परिक निधि के यूनिटों के संबंध में आय या विनिर्दिष्ट कंपनी को ब्याज व्यय के कारण कटौती को छोड़कर अनुज्ञात दी जाएगी और ऐसी कटौती केवल पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 57 के अधीन कटौती के बिना उस वर्ष के लिए कुल आय में सम्मिलित यूनिटों से लाभांश आय या आय की बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (xiii) कर कटौती के लिए लाभांश को सम्मिलित करने के लिए धारा 194 का संशोधन उपबंध किया जा सके। इसी समय 10 प्रतिशत की दर को विहित करने का प्रस्ताव है और ऊपरी सीमा को नकद से भिन्न संदत्त लाभांश के लिए 2500 रूपए से बढ़ाकर 5000 रूपए करने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त इस समय संदाय का ढंग "खाता देय चेक या अधिदेय" है। इसको परिवर्तित करके कोई भी ढंग करने का प्रस्ताव है।
- (xiv) धारा 194उखक का संशोधन जिससे किसी यूनिट धारक निवासी को संदत्त लाभांश आय पर कारबार न्यास द्वारा कर कटौती 10 प्रतिशत की दर पर करने का उपबंध किया जा सके। अनिवासियों के लिए ब्याज के लिए यह 5 प्रतिशत और लाभांश के लिए 10 प्रतिशत होगी।

(xv) नई धारा 194ट का अंतःस्थापन जिससे यह उपबंध किया जा सके किसी निवासी को धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि की यूनियों या विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक से यूनियों या विनिर्दिष्ट कंपनी की यूनियों के संबंध में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पाने वाले के खाते में ऐसी आय का प्रत्यय करने या किसी भी ढंग से उसका संदाय करने के समय, जो भी पूर्वतर हो उस पर 10 प्रतिशत की दर से कर की कटौती करेगा 5000 रूपए की ऊपरी सीमा का भी उपबंध किया जा सकता है ताकि इससे नीचे की रकम कर कटौती न हो सके। "प्रशासक", "विनिर्दिष्ट कंपनी" का परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है जैसा कि धारा 10 के खंड (35) में पहले से ही परिभाषित है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट उपक्रम (अर्जन और निरसन) अधिनियम 2002 की धारा 2 के खंड (i) के अनुरूप "विनिर्दिष्ट उपक्रम" को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां किसी आय का किसी खाते जैसे उचंत खाता में ऐसी आय का संदाय दायी व्यक्ति के खाते की बहियों में प्रत्यय किया जाता है। इस धारा के अधीन कर कटौती का दायित्व उस समय उद्भूत होगा।

(xvi) धारा 155ण में उपबंधित छूट का लोप करने के लिए धारा 195 का संशोधन।

(xvii) धारा 196क का संशोधन का जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पारस्परिक निधि के यूनियों के संबंध में आय पर टीडीएस की उपयुक्तता पुनर्जीवित की जा सके। इसमें "धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में परिभाषित विनिर्दिष्ट कंपनी से" के साथ और "किसी भी ढंग" के साथ "रकद में या चेक के जारी करके या ड्राफ्ट या किसी अन्य ढंग द्वारा" "यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया" का प्रतस्थापन किए जाने का प्रस्ताव है।

(xviii) धारा 115ण के अधीन लाभांश के उपबंध को हटाने के लिए धारा 196ग का संशोधन। इसमें "किसी भी ढंग" के साथ "नकद में या चेक के जारी करके या ड्राफ्ट या किसी अन्य ढंग द्वारा" प्रतस्थापन किए जाने का प्रस्ताव है।

(xix) धारा 115ण के अधीन लाभांश के उपबंध को हटाने के लिए धारा 196घ का संशोधन। इसमें "किसी भी ढंग" के साथ "नकद में या चेक के जारी करके या ड्राफ्ट या किसी अन्य ढंग द्वारा" प्रतस्थापन किए जाने का प्रस्ताव है।

उपरोक्त खंड (i) से (xii) के संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होंगे। खंड (xiii) से (xix) के संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

[खंड 7, 30, 40, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 62, 74, 80, 81, 85, 86, 87 और 88]

अर्जन की लागत का परिकलन करने के लिए अधिनियम की धारा 55 के उपबंधों का व्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 55 के विद्यमान उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि पूंजी अभिलाभ का परिकलन के लिए किसी निर्धारिती को संपत्ति के अर्जन की लागत और सुधार की लागत के लिए भी कटौती की अनुज्ञात दी जाएगी, यदि कोई हो। तथापि, 1 अप्रैल, 2001 से पूर्व किसी अर्जित संपत्ति के संबंध में पूंजी अभिलाभ को परिकलन करने के लिए, निर्धारिती को 1 अप्रैल, 2001 को या अर्जन की लागत के रूप में संपत्ति का स्पष्ट बाजार मूल्य लेने के लिए दोनों में से किसी एक विकल्प की अनुज्ञात दी जाएगी।

यह प्रस्ताव उपबंध का सुव्यवस्थीकरण और उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (कग) के अधीन स्पष्टीकरण के खंड (ख) के निचले उपखंड (ii) के परन्तुक का अंतःस्थापन का उपबंध करने लिए है कि पूंजी संपत्ति, भूमि या भवन या दोनों की दशा में, 1 अप्रैल, 2001 को ऐसी किसी संपत्ति का स्पष्ट बाजार मूल्य 1 अप्रैल, 2001 को ऐसी संपत्ति की स्टांप ड्यूटी मूल्य से अधिक नहीं होगी जहां ऐसी स्टांप ड्यूटी मूल्य उपलब्ध है। यह प्रस्ताव भी स्पष्टीकरण को अंतःस्थापन करने का उपबंध करती है कि उपखंड (i) और (ii) का प्रयोजन, "स्टांप ड्यूटीमूल्य" स्थावर संपत्ति के संबंध स्टांप ड्यूटी के संबंध में संदाय के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारिणी या निर्धारणीय मूल्य से अभिप्रेत है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021 और पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 28]

न्यास, संस्थान और निधियों से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 11 की उपधारा (7) का संशोधन धारा 10 के खंड (46) के अधीन अधिसूचना को लागू किए जाने के लिए धारा 12क/12कक के अधीन धारित रजिस्ट्रीकरण के अस्तित्वों को अनुज्ञात करना

अधिनियम की धारा 11 धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजन के लिए न्यास के अधीन अवधारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के संबंध में छूट प्रदान करने का उपबंध करती है जिसके विस्तार के लिए ऐसी आय को अधिनियम की धारा 11, 12, 12क, 12कक और 13 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार ऐसे प्रयोजनों के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रयुक्त या संचित है।

अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (7) को 1 अप्रैल, 2015 के प्रभाव से वित्त (संख्याक 4) अधिनियम, 2014 द्वारा अंतःस्थापित किए जाने का उपबंध किया गया है कि जहां न्याय या किसी संस्थान ने धारा 12क इसमें इसके पूर्व वित्त (संख्याक 4) अधिनियम, 1961 द्वारा संशोधन किया गया थाट के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर लिया है और उक्त रजिस्ट्रीकरण किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्रवृत्त में आए हैं, तत्पश्चात धारा 10 [खंड (1) और (23ग) के सिवाय] के अधीन छूट के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

यह उपधारा उस आधार पर अंतःस्थापित की गई थी कि अधिनियम की धारा 11, 12, 12क, 12कक और 13 में अंतर्विष्ट उपबंधों के संपूर्ण कोड का गठन करती है और यदि एकबार किसी न्यास या संस्थान ने आय की छूट के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए स्वेच्छानुसार अपना विकल्प दे दिया हो तो उसे ऐसी छूट की शर्तों का अनुपालन करना चाहिए और ऐसी शर्तों के उल्लंघन की दशा में, यदि वह अपनी आय या उससे संबंधित भाग पर छूट के लिए आयोग्य पाया जाता है तो अधिनियम में कोई अन्य उपबंध नहीं करना चाहिए जिससे कि कुल आय से ऐसी आय या संबंधित भाग को अलग कर दिया जाएगा और कि अधिनियम की धारा 11 के अधीन प्रयुक्त या संचित किए जाने की आवश्यकताओं को आय में सम्मिलित होना चाहिए जिस अधिनियम की धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त होती है।

यह उल्लेख किया गया है कि इसमें धारा 10 के खंड (23) के अधीन संस्थान या रजिस्ट्रीकृत निधि के अपवर्जन के उपबंध द्वारा कुछ विसंगतियां हैं, किन्तु वह अपवर्जन धारा 10 के खंड (46) के अधीन छूट का दावा करने वाले अस्तित्वों के लिए उपलब्ध नहीं है। जिसको केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित या गठित किया जाता है। इस प्रकार ऐसे अस्तित्व धारा 10 के खंड (46) के अधीन अधिसूचित किए जाने के लिए समर्थ नहीं हैं यदि उन्होंने धारा 12क/12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण धारित किए लिए हैं।

उपरोक्त विसंगति को इंगित किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, संपूर्ण कोड के गठन के धर्मार्थ अस्तित्व के संबंध में उपबंधों के रूप और यदि किसी न्यास या संस्थान ने अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करके अपना विकल्प स्वेच्छानुसार दिया है तो वह इसका अनुसरण करेंगे उससे संबंधित शर्तों का अनुपालन करना चाहिए और सुविधा का दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं होना चाहिए। तदनुसार जबकि खंड 46 के अपवर्जन के लिए अनुरोध उन मामलों के तदधीन छूट के लिए स्वीकार किया जा सकेगा वहां धारा 12कक या धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रवृत्त रहता है, जहां उपलब्ध छूट का एक ढंग होना चाहिए और केवल यह परिवर्तन ही अनुज्ञात किया जा सकेगा ताकि ऐसा परिवर्तन नैतिक रूप से नहीं किया जाता है और इसे प्रशासित किया जाना भी दक्ष बना रहता है।

न्यासों, संस्थाओं, निधियों, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि की रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया और संगम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय संस्था या कंपनी आदि के मामले में अनुमोदन को सुव्यवस्थाकरण

धारा 12कक के अधीन न्यासों, संस्थाओं, निधियों, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि की वर्तमान प्रक्रिया या धारा 10 के खंड (12ग) के उपखंड (iv), (v), (vi), (vik) के अधीन और प्रौद्योगिकी के आरंभ करने और क्रियाकलापों को वास्तविक रूप से आरंभ करने से पूर्व रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/अधिसूचना के व्यवहारिक विवादक को ध्यान में रखते हुए संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्था या कंपनी आदि में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

यह भी ध्यान में आया है कि छूट के लिए अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण या अधिसूचना सीमित अवधि के लिए ही होनी चाहिए, यह अवधि किसी समय पर पांच वर्ष से अधिक नहीं थी, जो सुनिश्चित करने लिए जांच के रूप में कार्य करेगा कि अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण या अधिसूचना छूट में बने रहने के लिए होगा। वस्तुतः यह गैर-प्रतिकूल व्यवस्था बने रहने का कारण होगा और दिन प्रति दिन आधार पर अस्तित्व छूट के कार्य लिए में जांच का संचालन नहीं करता है, साधारणतया किसी भी मामले में वे छूट की अवधि समाप्त होने के पूर्व नया रजिस्ट्रीकरण के लिए संबंधित प्राधिकारी पुनः जांच करेंगे। इस नई प्रक्रिया में विद्यमान और नई छूट अस्तित्व दोनों के लिए उपबंधित किए जाने की आवश्यकता है।

दानकर्ता द्वारा दान के दावे की प्रति-जांच के अदाता द्वारा दान का कथन फाइल करना

यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिनियम के कतिपय उपबंध यह उपबंध करते हैं कि अस्तित्व किसी छूट उनके उद्देश्यों के लिए या अदाता जिसके संबंध में क्रियाकलापों के व्यवहार के लिए कतिपय धनराशि या प्राप्त दान, दानकर्ता के नाते, अपनी आय के परिकलन में कटौती पाएगा। इस समय, इसमें ऐसे दान/धनराशि के संबंध में प्राप्त करने वाला दान/ राशि को अस्तित्व छूट द्वारा दायित्व रिपोर्टिंग नहीं करता है। प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ, यह जिस एकैकी मिलान के बीच के माध्यम से प्रक्रिया मानकीकृत करने के लिए व्यवहार्य है क्या अस्तित्व ने छूट प्राप्त की है और क्या निर्धारिणी द्वारा कटौती के रूप में दावा किया गया है। यह मानकीकरण स्रोत पर कर संग्रहण/कटौती के संबंध में उपबंध करना समान हो सकता है। इसलिए दान/राशि प्राप्त करने वाले अस्तित्व उससे संबंधित कथन प्रेषित करने के लिए किया जा सकता है और दानकर्ता/अदाता को प्रमाणपत्र जारी करना और दानकर्ता/अदाता के लिए कटौती के दावे को केवल उस आधार पर अनुज्ञात किया जा सकता है। कथन को उचित रूप से फाइल करने के सुनिश्चित करने के उद्देश्य, फीस का उदग्रहण और शास्ति का उपबंध किया जा सकता है जहां ऐसे मामलों में कथन को प्रेषित करने में असफल रहता है।

अतः अधिनियम के सुसंगत उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि :—

- (i) धारा 10 के खंड (46) के अधीन छूट खंड (1) और (23) के अधीन छूटों की समानता किसी अस्तित्व को अनुज्ञात होगी यद्यपि यह शर्तों के अधीन धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है कि रजिस्ट्रीकरण निष्क्रिय बन जाएगी। यदि अस्तित्व भविष्य में इसके संचालन की इच्छा रखता है तो वह एक आवेदन फाइल करेगा और तत्पश्चात इसे उस तारीख से खंड (46) के अधीन कटौती के लिए हकदार नहीं होगा जिसको तारीख को रजिस्ट्री संचालन में आई है।
- (ii) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण धारा 10 के खंड (123ग) के अधीन छूट किसी अस्तित्व की दशा में और एकरूपता के लिए भी निष्क्रिय हो जाएगी। पुनः इसका संचालन करने के बारे में शर्त भी समान होगी जिसके लिए धारा 10 के खंड (46) के लिए प्रस्ताव किया गया है।
- (iii) अधिनियम की धारा 35 या धारा 12कक, धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन किसी अनुमोदित अस्तित्व, रजिस्ट्रीकृत या अधिसूचित जैसा भी मामला हो अनुमोदित होने के संबंध में अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण या सूचित किए जाने के लिए लागू किया जाना अपेक्षित होगा, जैसा भी मामला हो और ऐसा करना अस्तित्व के संबंध में अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण या अधिसूचना विधिमान्य होगी और 1 अप्रैल, 2020 से संगणित किसी समय पर पूर्ववर्ती पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (iv) धारा 80छ के अधीन पहले से किसी अनुमोदित अस्तित्व को अनुमोदन के लिए लागू किए जाने के अपेक्षित होगा और ऐसा करना अस्तित्व के संबंध में अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण या अधिसूचना विधिमान्य होगी और किसी समय पर पूर्ववर्ती पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (v) धारा 80घ के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन प्रधान आयुक्त या आयुक्त को किए जा सकेगा।
- (vi) धारा 10 के खंड (23ग) के अनुमोदन के लिए, नया आवेदन करने अस्तित्व, धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए, धारा 80घ के अधीन अनुमोदन करने के लिए अस्तित्व, उन मामलों में भी जहां अस्तित्व की क्रियाकलाप अभी आरंभ होने वाले हैं बिना विस्तृत जांच के आवेदन के आधार पर तीन वर्ष के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदित या रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा तथा इसे पुनः अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना जो, यदि अनुदत किया जाता है तो ऐसे अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से वैध होगा। अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के पश्चात रजिस्ट्रीकरण का आवेदन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के कम से कम छह मास पूर्व या क्रियाकलापों के आरंभ के छह मास के भीतर, जो पूर्वतर हो, किया जा चाहिए।

- (vii) अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण के लंबित आवेदन जैसा भी मामला हो नए उपबंधों के अनुसरण में आवेदन के रूप में विचार किया जाएगा, जहां भी उपबंध किया गया है।
- (viii) किसी दानकर्ता को धारा 80छ/80छछक के अधीन कटौती के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि विवरण अदाता द्वारा भेज दिए गए हों जिसको दान प्राप्त करने के संबंध विवरण भेजना अपेक्षित होगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो फीस और शास्ति उदग्रहित की जाएगी।
- (ix) अधिनियम की धारा 80छ के लिए समान्तर, धारा 80छछक के अधीन नकद दान की कटौती 2000 रूपए ही प्रतिबंधित की जाएगी।
- संशोधनों 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

[खंड 7,9,11,12,17,33,34,61,94,96 और 99]

बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम, 1988 के प्रतिषेध के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के सदस्य को नियुक्त किए जाने के मापदंड की पात्रता का विस्तार करना।

बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम, 1988 (बेनामी अधिनियम) के प्रतिषेध की धारा 9 के विद्यमान उपबंधों को अन्य बातों के साथ यह उपबन्ध किया गया है कि भारतीय राजस्व सेवा का कोई सदस्य जिसने आयकर आयुक्त का पद धारित किया हुआ या उस सेवा में समतुल्य पद या भारतीय विधिक सेवा का कोई सदस्य जिसने संयुक्त सचिव का पद धारित किया हुआ है या उस सेवा में समतुल्य पद और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने प्रयोजनार्थ पात्र हैं।

उक्त धारा का संशोधन करने के लिए यह उपबंध किया गया है जिसमें ऐसा संशोधन किया जा सके कि कोई व्यक्ति जिसे जिला न्यायाधीश के लिए योग्य पाया गया है, उसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के प्रयोजनार्थ पात्र होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

[खंड 143]

कतिपय मामलों में कर संपरीक्षा में संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 44कख के अधीन, कारबार में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति की लेखा संपरीक्षा किया जाना अपेक्षित है, यदि किसी पूर्ववर्ती वर्ष में एक करोड़ रूपए से अधिक या आधिक्य कारबार में उसकी कुल वित्त, लेनदेन या सकल प्राप्तियां हैं। व्यवसाय में कार्यरत व्यक्ति की दशा में उसका लेखा संपरीक्षा किया जाना अपेक्षित है, यदि उसकी व्यवसाय में सकल प्राप्ति पूर्व वर्ष में पचास लाख रूपए से अधिक है।

लघु और मध्यम एंटरप्राइजेज पर भार के अनुपालन को कम करने के उद्देश्य से ऐसे मामलों में जहां एक करोड़ रूपए से पांच करोड़ रूपए से व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों के लिए प्रारंभ सीमा की बढ़ोतरी करने का यह प्रस्ताव है;

- (i) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान नकद में सभी प्राप्तियों का पूर्णयोग ऐसी प्राप्ति के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होती है; और
- (ii) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान नकद में सभी संदायों का पूर्णयोग ऐसे संदाय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होता है।

कारबार या व्यवसाय से आय के कार्य में लगे व्यक्तियों के मामले में विवरणी की पूर्व फाइल को समर्थ बनाने के लिए भी, यह अपेक्षित है कि कर संपरीक्षा रिपोर्ट विवरणी फाइल करने की देय तारीख से पूर्व कम से कम एक माह से उक्त निर्धारिणी द्वारा प्रेषित की जाए। इन सभी धाराओं में संशोधनों की अपेक्षा की जाती है जो आय विवरणी फाइल करने की देय तारीख द्वारा या आय की विवरणी के साथ संपरीक्षा रिपोर्ट को फाइल करना अधिदेश है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 10, धारा 10क, धारा 12क, धारा 32कख, धारा 33 कख, धारा 33 कखक, धारा 35घ, धारा 35ड, धारा 44कख, धारा 44घक, धारा 50ख, धारा 80-झक, धारा 80-झख, धारा 80जकक, धारा 92-च, धारा 115जख, धारा 115जग, और धारा 115बभ का तदनुसार संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की देय तारीख का भी संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है:

- (क) अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड 5(क) के संदर्भ में किसी निर्धारिणी के लिए देय तारीख के रूप निर्धारण वर्ष (30 सितम्बर के सामने) का 31 अक्तुबर का उपबंध किया गया है;
- (ख) अधिनियम 139 की धारा (1) की उपधारा 2 के स्पष्टीकरण के खण्ड (क) के उपखंड (iii) में यथा उल्लिखित देय तारीख के संबंध में किसी फर्म के कार्यरत और गैर-कार्यरत साझेदार के बीच भिन्नता का हटाना है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभाव में आएंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 7,8,10,14,15,16,19,20,23,24,26,35,37,39,45,56,57,63 और 66]

लेखा संपरीक्षा की बहियों को प्राप्त करने के लिए विस्तारित किए जाने की अवसीमा के संबंध में संशोधन धारा 194,194ग, 194ज, 194झ, 194ञ, और 203ग में अंतर्विष्ट उपबंधों के टीडीएस/टीसीएस के परिणामिक प्रभाव होंगे चूंकि इन उपबंधों को व्यक्ति की कतिपय श्रेणियों पर टीडीएस/टीसीएस का दायित्व तय होगा, यदि धारा 44कख के खंड (क) या खंड (9) में विनिर्दिष्ट मुद्रा सीमा से अधिक उनके द्वारा कार्य में लगे कारबार या व्यवसाय से सकल प्राप्त या आवृत्त होता है।

इस प्रकार, यह प्रस्ताव इन धाराओं को संशोधन किए जा सकने के लिए है कि अधिनियम की धारा 44कख के खंड(क) या खंड(ख) में विनिर्दिष्ट मुद्रा सीमा के संदर्भ में कारबार के की दशा में एक करोड़ रुपए या व्यवसाय की दशा में पचास लाख रुपए प्रतिस्थापित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020को प्रभाव में आएंगे।

[खंड 75, 76, 77, 78, 79 और 93]

प्ररूप 26कघ से संबंधित उपबंध का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 203कक में अन्य बातों के साथ ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्ररूप 26कघ एक विवरणी तैयार करने और परिदत्त करने हेतु धारा 200 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ विहित आयकर प्राधिकारी या धारा 200 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से यह अपेक्षा करती है कि वह ऐसे व्यक्ति को प्ररूप 26कघ में एक विवरणी तैयार करे और उसे परिदत्त करे जिसकी आय से कर की कटौती की गई है या जिसके आय के संबंध में कर का कटौती किए गए कर की रकम का विनिर्दिष्ट करते हुए संदाय किया गया है या संदाय किया गया है।

अन्य बातों के साथ-साथ इन नियमों में यथाविहित प्ररूप 26कघ स्रोत पर संग्रहित कर या कटौती किए गए कर के बारे में जानकारी अन्तर्विष्ट है तथापि प्रौद्योगिकी में उन्नति और प्रणालियों की क्षमता में अभिवृद्धि के साथ किसी व्यक्ति के संबंध में बहुजानकारी जैसे अचल संपत्ति के विक्रय/क्रय, शेयर संव्यवहार आदि को नियंत्रित किया जा रहा या नियंत्रित किए जाने का प्रस्ताव है भविष्य में यह परिकल्पित है कि अनुपालन को सुधार बनाने के लिए यह सूचना आयकर विभाग की अभिहित पोर्टल पर निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत लेखा में उसे अपलोड करके निर्धारिती को उपलब्ध कराया जाएगा इसे आयकर की विवरणी फाइल करने के लिए और अपने सही कर दायित्व की संगणना करने के लिए निर्धारिती द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

प्ररूप 26कघ के प्रतिदेश के अनुसार कटौती किए गए कर के बारे में सूचना से परे विस्तारित किया जाना अपेक्षित होगा, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित अधिनियम में नई धारा 285(बख) को पुरःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। यह धारा विहित आयकर प्राधिकारी प्रतिदेश के लिए या ऐसे प्ररूप में निर्धारिती विवरण के कारण रजिस्ट्रीकृत में अपलोड किए जाने के लिए ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति और रीति और ऐसी सूचना को बताने के लिए प्रस्ताव है, जो किसी आय कर प्राधिकारी के कब्जे हैं और ऐसे समय के भीतर जैसा विहित किया गया है।

परिणामस्वरूप, धारा 203कक को लोप किए जाने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभाव में आएंगे।

[खंड 90]

पृथक्करण पोर्टफोलियो के संबंध में अधिनियम की धारा-2 के खंड (42क) और धारा 49 के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम का धारा 49पूंजी आस्ति के लिए अर्जन की लागत के उपबंध करती है जिसमें कतिपय परिस्थितियों के अधीन निर्धारणी की संपत्ति आती है। अधिनियम की धारा 2 के खंड (42क) का भी "संक्षिप्त अवधि पूंजी आस्ति" अवधि की परिभाषा का उपबंध करती है।

सेबी ने तारीख 28, दिसम्बर, 2018 के परिपत्र सेबी/एचओ/आईएमडी/डीएफ2/सीआईआर/पी/2018/160 के द्वारा पारम्परिक निधि स्कीमों द्वारा लिखत बाजार मुद्रा और ऋण के पृथक्करण पोर्टफोलियो का सृजन करने को अनुज्ञात किया है। सेबी के परिपत्र के अनुसार प्रत्येक घटना के दिन को प्रभावित स्कीम में यूनितधारकों को मुख्य फोर्टफोलियो में यथा अवधारित पृथक्करण पोर्टफोलियो में यूनितों की समान संख्या आवंटित की जाएगी। पृथक्करण पर यूनित धारक मुख्य स्कीम और पृथक्करण स्कीम-दोनो स्कीमों में यूनितों की वही संख्या अवधारित होगी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (42क) का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव करती है कि पूंजी आस्ति के मामले में धारा 49 की उपधारा (2कछ) के संदर्भ में पृथक्करण पोर्टफोलियो में यूनित और यूनितों के नाते उपबंध किया गया है इसमें मुख्य पोर्टफोलियो में मूल यूनित या यूनितों जिसके लिए अवधि सम्मिलित की जाएगी।

नई उपधारा (2कछ) को अधिनियम की धारा 49 में अतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव उपबंधित किया गया है की पृथक्करण पोर्टफोलियो में यूनित या यूनितों के अर्जन की लागत वह धनराशि होगी जिसे कुल पोर्टफोलियो में निर्धारिती द्वारा अवधारित यूनित या यूनितों के अर्जन की लागत को वहन करेगी, कुल आस्ति के रूप में वही समानुपात पोर्टफोलियो के पृथक्करण के समक्ष तुरन्त कुल पोर्टफोलियो का मूल्य कुल आस्ति का वहन करने लिए पृथक्करण पोर्टफोलियो का स्थानांतरण आस्ति के मूल्य से होगा।

उक्त धारा में एक दूसरी उपधारा (2कज) का अन्तःस्थापन करने के प्रस्ताव का भी उपबंध किया गया है कि मुख्य पोर्टफोलियो में यूनित धारक द्वारा अवधारित मूल यूनितों के अर्जन की लागत उपधारा (2कछ) के प्रस्ताव के अधीन धनराशि द्वारा कम किया जाना समझा जाएगा।

इन दोनों नई धाराओं के नीचे स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किए जाने के प्रस्ताव का भी उपबंध किया गया है कि उपधारा (2कछ) और (2कज) के प्रयोजन के लिए "मुख्य पोर्टफोलियो" "कुल पोर्टफोलियो और पृथक्करण पोर्टफोलियो की अभिव्यक्ति का क्रमशः अर्थ लिया जाएगा जिसके लिए सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11 अधीन सेबी द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. सेबी/एच.ओ/आईएमडी/डीएफ2/सीआईआर/पी/2018, तारीख 28 दिसम्बर, 2018 को समनुदेशित किया गया है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 को प्रभाव में आएंगे तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3 और 25]

आयकर की विवरणी का सत्यापन और प्राधिकृत प्रतिनिधि के प्रकटन से संबंधित अधिनियम के उपबंधों में संशोधन।

अधिनियम की धारा 140 का उपबंध किया गया है कि कंपनी विवरणी के मामले में उससे संबंधित प्रबंध निदेशक (एमडी) द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। जहां एम.डी. किसी अनुउपलब्धता के कारण के लिए सत्यापित किए जाने के लिए समर्थ नहीं है या जहां पर वहां कोई एम.डी. नहीं है, कंपनी के निदेशक के मामले में विवरणी का सत्यापन किया जा सकता है। यह भी उपबंध किया गया है कि किसी कंपनी की दशा में जिनके मामले में दिवालिया संकल्प प्रक्रिया के लिए लागू दिवालिया और शोधनक्षमता कोड, 2016 (आईबीसी) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञान किया गया है, विवरणी को ऐसी कक द्वारा दिवालिया व्यावसायिक नियुक्त द्वारा सत्यापित किया जाना है। समान्तर रूप से, लिमिटेड दायित्व साझेदार (एलएलपी) की दशा में, विवरणी एलएलजी के पदाभिहित साझेदार द्वारा या किसी साझेदार द्वारा सत्यापित किया जाना, यदि इसमें कोई साझेदार पदाभिहित नहीं किया गया है।

इस प्रकार, अधिनियम की धारा 140 के खंड (ग) और (घ) का संशोधन किए जा सकने का प्रस्ताव किया गया है जिसके संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को समर्थ बनाना है, जैसा कि कंपनी और लिमिटेड दायित्व साझेदारी की दशा में आय विवरणी का सत्यापन किए जाने का बोर्ड द्वारा विहित किया जाए।

इसके अतिरिक्त, किसी निर्धारिणी की ओर से किसी आयकर प्राधिकारी या अपीली अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिए हकदार व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 288 का भी उपबंध किया गया है चूंकि इसका संबंध उस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से है। जबकि आईबीसी के निदेशकों या कारपोरेट ऋणी की शक्ति प्रयोग करके दिवालिया व्यावसायिक या प्रशासक को शक्ति प्रदान करती है, यह उल्लेख किया गया है कि कारपोरेट ऋणी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कृत्य करने के लिए किसी दिवालिया व्यवसायिक के लिए अधिनियम की धारा 288 के संदर्भ में सुस्पष्टता की कमी को कतिपय प्रयोजनात्मक कठिनाईयों को उद्भूत किया गया है।

इस प्रकार, धारा 288 की उपधारा (2) को संशोधन का प्रस्ताव है जिससे किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने के लिए कोई बोर्ड द्वारा विहित किसी अन्य व्यक्ति को समर्थ बनाया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

[खंड 67 और 102]

सीमाशुल्क

टिप्पण : (क) "आधारिक सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्ग्रहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है ।

(ख) वर्ग कोष्ठकों [] में खंड संख्यांक , वित्त विधेयक, 2020 के सुसंगत खंड को इंगित करते हैं ।

(ग) वित्त विधेयक, 2020 के माध्यम से किए गए संशोधन इसके अधिनियमन की तारीख को प्रभावी होंगे, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो ।

I. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन :

क्रम सं०	संशोधन	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2020 के खंड
1	धारा 11(2) का खंड (च) केंद्रीय सरकार को सोना या चांदी के अनियंत्रित आयात या निर्यात के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को होने वाली क्षति के निवारण के लिए सशक्त करता है, जिससे कि उनका आयात या निर्यात प्रतिषिद्ध हो जाए । इस खंड का संशोधन, इसकी परिधि में "कोई अन्य माल" (सोना और चांदी के अतिरिक्त) को सम्मिलित करके किया जा रहा है ।	[105]
2	धारा 28 में, सुस्पष्टता से स्पष्ट करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा रहा है जिससे वित्त अधिनियम, 2018 के अधिनियमन से पूर्व उक्त धारा के अधीन जारी कोई नोटिस धारा 28 द्वारा शासित होना जारी रहेगा, जैसे वह उक्त अधिनियमिति, किसी अपील प्राधिकारी के आदेश के होते हुए, अपील अधिकरण, न्यायालय या किसी अन्य विधि में प्रतिकूल बात के होते हुए, पूर्व में विद्यमान थी ।	[106]
3	सीमाशुल्क अधिनियम में एक नया अध्याय 5कक (एक नई धारा 28घक) व्यापार करार के अधीन अधिमानी टैरिफ उपचार प्रक्रिया के प्रशासन के लिए समर्थ बनाने हेतु उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित की जा रहा है । प्रस्तावित नई धारा आयातक पर कतिपय बाध्यता का विनिर्दिष्ट रूप से और शंका की दशा में निर्यातक देश से समयबद्ध सत्यापन विहित करने का उपबंध करने के लिए है । सत्यापन लंबित रहने तक अधिमानी टैरिफ उपचार निलंबित होगा और केवल अंतरीय शुल्क के बराबर प्रतिभूति देने पर ही माल की निकासी होगी । कतिपय मामलों में, टैरिफ उपचार अतिरिक्त सत्यापन के बिना नामंजूर किया जा सकेगा ।	[108]
4	एक नई धारा 51ख अंतःस्थापित की जा रही है, जो सीमाशुल्क प्रणाली में इलैक्ट्रॉनिक शुल्क खाते के सृजन का उपबंध करती है । यह शुल्क प्रत्यय को शुल्क परिहार के बदले निर्यातक या इलैक्ट्रॉनिक रूप में अन्य ऐसे फायदे के संबंध में दिया जाना उसके उपयोग, अंतरण आदि के संबंध में समर्थ करेगा । सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28ककक के अधीन उपबंधित शुल्क की वसूली के लिए उपबंध का विस्तारण भी, ऐसे इलैक्ट्रॉनिक शुल्क प्रत्यय को सम्मिलित करने के लिए किया जा रहा है ।	[107 और 110]
5	धारा 111 का संशोधन एक नए खंड (त) अंतःस्थापित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे यह विहित किया जा सके कि अधिमानी टैरिफ उपचार पर दावा किया गया आयातित माल और अध्याय 5कक के किसी उपबंध, जिसके संबंध में या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन है, जो अधिग्रहण के लिए दायी होगा ।	[111]
6	धारा 156 का, उपधारा (2) में एक नया खंड (i) अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है, जो केंद्रीय सरकार को, नए अंतःस्थापित अध्याय 5कक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, रीति, प्रक्रिया, शर्तें, निर्बंधन और अन्य विषयों को विहित करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है ।	[112]
7.	धारा 157 (2) का संशोधन किया जा रहा है, जो केंद्रीय सरकार को, नई अंतःस्थापित धारा 51ख के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, रीति, प्रक्रिया, शर्तें, निर्बंधन और अन्य विषयों को विहित करने के प्रयोजन के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त करती है।	[113]

II. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधन :

क्रम सं०	संशोधन	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2020 के खंड
1	धारा 8ख, एक नई धारा से प्रतिस्थापित की जा रही है, जो केंद्रीय सरकार को, उस दशा में, जिसमें कोई वस्तु भारत में ऐसी बढ़ी हुई मात्रा में और ऐसी शर्तों के अधीन आयात की गई है, जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हो या कारित होने का खतरा हो, रक्षोपाय करने के लिए सशक्त करती है । ऐसे रक्षोपायों में, रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण या	[114]

	टैरिफ-दर कोटा का लागू होना या ऐसे अन्य उपाय सम्मिलित हैं, जो केन्द्रीय सरकार रक्षोपायों के रूप में समुचित समझे ।	
--	--	--

III. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन

संशोधन					
क.	आधारिक सीमा-शुल्क की टैरिफ दरों में परिवर्तन [02.02.2020 से प्रभावी]* [वित्त विधेयक, 2020 का खंड [115(क)]]			शुल्क की दर	
क्र.सं.	शीर्षक, उप-शीर्षक टैरिफ मद	वस्तु	से	तक	
		खाद्य प्रसंस्करण			
1.	0802 32 00	अखरोट, कवचयुक्त	30%	100%	
		रसायन			
2.	3824 99 00	अन्य रसायन उत्पाद और रसायन या सहायक उद्योगों की तैयारी, जो कहीं और विनिर्दिष्ट नहीं है	10%	17.5%	
		जूते			
3.	6401, 6402, 6403, 6404, 6405	जूते	25%	35%	
4.	6406	जूते के भाग	15%	20%	
		गृहस्थ मदें			
5.	6911 10 6911 90 20 6911 90 90	पार्सिलेन या चाइना के, खाने-पीने के बर्तन, रसोई के बर्तन, पानी का फिल्टर (जिसकी क्षमता 40 लीटर से अधिक न हो) और अन्य गृहस्थ वस्तुएं	10%	20%	
6.	6912 00 10 6912 00 20 6912 00 40 6912 00 90	चीनी मिट्टी के खाने के बर्तन, रसोई के बर्तन, मृत्तिका की वस्तुएं और अन्य गृहस्थ वस्तुएं	10%	20%	
7.	7013	इस प्रकार के कांच का, जिसका उपयोग मेज, रसोईघर, प्रसाधन, कार्यालय, आंतरिक सजावट या वैसे ही प्रयोजनों के लिए किया जाता है (उनसे भिन्न जो शीर्ष 7010 या 7018 में हैं)	10%	20%	
8.	7323	लौह या इस्पात की खाने-पीने की रसोई की या अन्य गृहस्थ वस्तुएं और उनके पुर्जे, लौह या इस्पात उर्ण ; लौह या इस्पात के पात्र अभिमार्जक और अभिमार्जन या पालिशकरण के दस्ताने और वैसे ही वस्तुएं, जिसके अंतर्गत प्रेशर कुकर, पैन, बर्तन, प्रकीर्ण वस्तुएं, जैसे लौह और इस्पात उर्ण, पालिशकरण के पैड, दस्ताने इत्यादि	10%	20%	
9.	7418 10	ताम्र की खाने-पीने की, रसोई की या अन्य गृहस्थ वस्तुएं और उनके पुर्जे ; पात्र अभिमार्जक और अभिमार्जन या पालिशकरण के पैड, दस्ताने और वैसे ही वस्तुएं	10%	20%	
10.	7615 10	एलुमीनियम की खाने-पीने की, रसोई की या अन्य गृहस्थ वस्तुएं और उनके पुर्जे ; पात्र अभिमार्जक और अभिमार्जन या पालिशकरण के पैड, दस्ताने और वैसे ही वस्तुएं	10%	20%	
11.	8301	आधार धातु के विरोज्य ताले और ताले (चाबी, संयोजन या विद्युत प्रचालित), आधार धातु के खटके और खटको सहित फ्रेम, जिनमें ताले बने हुए हैं, पूर्वगामी वस्तुओं में से किन्हीं के लिए आधार धातु की चाबियां (इस प्रकार मोटर गाड़ी के लिए उपयोग ताले से भिन्न)	10%	20%	
12.	9603	झाड़ू, ब्रुश, हस्तचालित यांत्रिक फर्श अपमार्जक, जिसमें मोटर नहीं लगी है, समार्जक और पंख डस्टर; झाड़ू या ब्रुश बनाने के लिए निर्मित गांठे और गुच्छे; पेंट पैड और बैल्लन निष्पीडित्र (बैल्लन निष्पीडित्र से भिन्न)	10%	20%	

13.	9604 00 00	हस्त छन्नी और हस्त प्रचालनी	10%	20%
14.	9615	कंघे, केश स्लाइडें और वैसी ही वस्तुएं ; केश पिन, बलन पिन, बलनग्रिप्स, केश बलित्र और वैसी ही वस्तुएं, उनसे भिन्न, जो शीर्ष 8516 की है और उनके पुर्जे	10%	20%
15.	9617	निर्वात-फ्लास्क और अन्य निर्वात वासन, केस सहित पूर्ण; उनके पुर्जे, कांच की अंतर्वस्तु से भिन्न	10%	20%
		गृहस्थ साधित्र		
16.	8414 51 10	टेबल पंखे	10%	20%
17.	8414 51 20	सीलिंग पंखे	10%	20%
18.	8414 51 30	पदस्थल पंखे	10%	20%
19.	8414 59 20	सुबाह्य ब्लोअर	10%	20%
20.	8509 40 10	खाद्य पेषणित्र	10%	20%
21.	8509 40 90	अन्य पेषणित्र और मिश्रणित्र	10%	20%
22.	8509 80 00	अन्य साधित्र	10%	20%
23.	8510 10 00	शेवर	10%	20%
24.	8510 20 00	केश प्रकृतित्र	10%	20%
25.	8510 30 00	बाल सफाई साधित्र	10%	20%
26.	8516 10 00	जल तापित्र और निमज्जन तापित्र	10%	20%
27.	8516 21 00	भंडार तापन विकिरक	10%	20%

28.	8516 29 00	अन्य विद्युत स्पेस तापन उपकरण	10%	20%
29.	8516 31 00	केश शुष्कित्र	10%	20%
30.	8516 32 00	अन्य केश के प्रसाधन उपकरण	10%	20%
31.	8516 33 00	हस्त शुष्कन उपकरण	10%	20%
32.	8516 40 00	विद्युत सुगम इस्त्री	10%	20%
33.	8516 60 00	अन्य अवन, कुकर, कुकिंग प्लेट, क्वथनवलय, ग्रिलर और भजित्र	10%	20%
34.	8516 71 00	काफी या चाय मेकर	10%	20%

35.	8516 72 00	टोस्टर	10%	20%
36.	8516 79 10	विद्युत-तापीय तरल हीटर	10%	20%
37.	8516 79 20	कीट विकर्षण के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रानिक युक्तियां	10%	20%
38.	8516 79 90	गृहस्थ प्रयोजनों के प्रयोग के लिए अन्य विद्युत तापीय उपकरण	10%	20%
39.	8516 80 00	विद्युत तापण प्रतिरोधित्र	10%	20%
		बहुमूल्य धातु		
40.	7118	सिक्का	10%	12.5%
		मशीनरी		
41.	8414 51 40	रेलगाड़ी के पंखे	7.5%	10%
42.	8414 51 90	अन्य पंखे, जिनमें स्वतःपूर्ण विद्युत मोटर लगी है, जिसका निर्गम 125वाट से अधिक नहीं है	7.5%	20%
43.	8414 59 10	वायु चक्रक	7.5%	10%
44.	8414 59 30	औद्योगिक पंखे, ब्लोअर और समान ब्लोअर	7.5%	10%
45.	8414 59 90	अन्य औद्योगिक पंखे	7.5%	10%
46.	8414 30 00, 8414 80 11	प्रशीतित्र और वायु अनुकूलित का संपीडित्र	10%	12.5%
47.	8419 89 10	भाप वाले बर्तन	7.5%	10%
48.	8418 10 10	वाणिज्यिक टाइप संयुक्त-हिमित्र, जिनमें पृथक वास दरवाजे फिट किए गए हैं	7.5%	15%
49.	8418 30 10	वाणिज्यिक टाइप के संदूक प्ररूपी हिमित्र 800 लीटर से अनधिक धारिता वाले	7.5%	15%
50.	8418 30 90	अन्य संदूक प्ररूपी प्रशीतित्र	10%	15%
51.	8418 40 10	विद्युत प्रशीतित्र संदूक प्ररूपी, 800 लीटर से अनधिक धारिता वाले	7.5%	15%
52.	8418 40 90	अन्य प्रशीतित्र संदूक प्ररूपी, 800 लीटर से अनधिक धारिता वाले	7.5%	15%
53.	8418 50 00	प्रशीतन या हिमकरण प्रदर्शन काउंटर, कैबिनेट, शो केस और वैसा ही	7.5%	15%
54.	8418 61 00	वायु शीतन मशीनों से भिन्न उष्मा पम्प	7.5%	15%
55.	8418 69 10	बर्फ बनाने की मशीनरी	7.5%	15%
56.	8418 69 20	वाटर कूलर	10%	15%
57.	8418 69 30	वैडिंग मशीन, स्वचालित वैडिंग मशीन को छोड़कर	10%	15%
58.	8418 69 40	प्रशीतित्र उपस्कर/युक्तियां, जिनका उपयोग चर्म उद्योग में होता है	7.5%	15%
59.	8418 69 50	प्रशीतित्र फार्म टैंक, औद्योगिक आइस्क्रीम हिमित्र	7.5%	15%
60.	8418 69 90	अन्य [वैसे ही 800 लीटर और अधिक की धारिता वाले हिमित्र इत्यादि]	7.5%	15%

61.	8515 (8515 90 00 के सिवाय)	वैल्डींग और प्लाजमा कर्तन मशीनरी	7.5%	10%
		अन्य इलेक्ट्रॉनिक माल		
62.	8504 40 (8504 40 21 के सिवाय)	स्थैतिक	15%	20%
63.	8504 40 21	डिप पुल संपरिवर्तित्र	10%	20%
64.	8517 70 10	पोपुलेडेट, भारित या भारित मुद्रित सर्किट बोर्ड	10%	20%
		आटोमोबाइल और आटोमोबाइल पुर्जे		
65.	8421 39 20, 8421 39 90	उत्प्रेरक परिवर्तित्र	10%	15%
		फर्नीचर माल		
66.	9401	सीटें और उनके पुर्जे (वायुयान की सीटों और उनके पुर्जों से भिन्न)	20%	25%
67.	9403	अन्य फर्नीचर और पुर्जे	20%	25%
68.	9404	गद्दे के आलम्ब, बिछाने की वस्तुएं और वैसे ही साज समान	20%	25%
69.	9405	लैंप और प्रकाश फिटिंगे, जिनके अंतर्गत सर्चलाइट और स्पॉट लाइट और उनके पुर्जे भी हैं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है, प्रदीप्त चिन्ह, प्रदीप्त नाम पट्ट और वैसे ही अन्य वस्तुएं, जिनमें स्थायी रूप से लगे हुए प्रकाश स्रोत हैं और उनके पुर्जे, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है	20%	25%
		खिलौने		
70.	9503	ट्राइसाइकल, स्कूटर, पैडल कार और वैसे ही पहिएदार खिलौने ; गुड़िया वाहन ; गुड़िया ; अन्य खिलौने ; लघुकृत नाम ('स्कैल') प्रतिरूप और वैसे ही अमोदी-प्रमादी प्रतिरूप, चाहे चालू हालत में है या नहीं, सभी प्रकार की पहेलियां	20%	60%
		लेखन सामग्री मर्दे		
71.	8304 00 00	आधार धातु की फाइले, कैबिनेट, कार्ड इन्डेक्स कैबिनेट, पेपर ट्रे, पेपर रेस्ट, पेन ट्रे, कार्यालय स्टाम्प स्टैंड और वैसे ही कार्यालय या डेस्क उपस्कर, शीर्ष 9403 के कार्यालय फर्नीचर से भिन्न	10%	20%
72.	8305	आधार धातु की लूज-लीफ बंधकों या फाइलों के लिए फिटिंगे, पत्र क्लिपें, पत्र कोने, कागज क्लिपे, इंडेक्स टैग और वैसे ही कार्यालय की वस्तुएं ; आधार धातु के स्ट्रिप्स में स्ट्रेपिलों (उदाहरणार्थ कार्यालय, अपहोल्सटरी, पैकेजिंग के लिए)	10%	20%
73.	8310	आधार धातु के हस्ताक्षर पट्टे, नाम पट्ट और वैसे ही पट्टे, संख्याएं, अक्षर और अन्य प्रतीक, उनको छोड़कर जो शीर्ष सं0 9405 के हैं	10%	20%
		प्रकीर्ण		
74.	6702	कृत्रिम पुष्प	10%	20%
75.	7018 10 20	कांच के मनके	10%	20%
76.	8306	आधार धातु की घंटियां, घंटे, लघु प्रतिमाएं, ट्राफी और वैसे ही वस्तुएं, जो विद्युत की नहीं है ; आधार धातु की लघु प्रतिमाएं और अन्य अलंकरण ; आधार धातु के फोटोग्राफ, चित्र या वैसे ही फ्रेम; आधार धातु के दर्पण	10%	20%

ख.	पहली अनुसूची में जोड़ी गई नई प्रविष्टियां [02.02.2020 से प्रभावी होगा]*		[वित्त अधिनियम, 2020 का खंड 115(ख)]	
	टैरिफ मद	वर्णन	टैरिफ दर	प्रभावी दर
1.	8414 51 50	दीवार पखें	20%	20%
2.	8529 90 30	टेलीविजन सेट के लिए ओपन सेल	15%	0%
3.	8541 40 11	समुच्चियत के लिए नए सोलर सेल	20%	0%
4.	8541 40 12	माड्यूलस में समुच्चियत किए गये या पेनल में बनाए गये सोलर सैल	20%	0%

* अन्ततिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा द्वारा यथाशीघ्र प्रभावी होगा

IV. संबंधित अधिसूचनाओं में आधारिक सीमा शुल्क दरों में परिवर्तनों को सम्मिलित हुए अन्य प्रस्ताव

क्रम सं.	शीर्ष, उप-शीर्ष टैरिफ मद	वस्तु	से	तक
		पशु		
1.	0101 21 00	शुद्ध वंशज प्रजनन अश्व	30%	शून्य
		ईंधन, रसायन और प्लास्टिक		
2.	27	अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क तारीख 30.06.2017 के क्र. सं. 139 की प्रविष्टि के अधीन आईएफओ 180 सीएसटी और आईएफओ 380 सीएसटी को यथा उपलब्ध उन्हीं शर्तों के अधीन 220.400 सीएसटी 0.5% मानक/समुद्री ईंधन में आईएसओ 8217:2017 आरएमजी 380 श्यानता को पूरा करने वाले बहुत कम सल्फर का ईंधन तेल	10%	शून्य
3.	2713 12 10, 2713 12 90	कैल्सीनाइड पेट्रोलियम कोक	10%	7.5%
4.	2843	कालोइडी बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य धातुओं के यौगिक, बहुमूल्य धातुओं के अम्लाम	7.5%	10%
5.	2916 12 10	ब्यूटाइल एक्रिलेट	5%	7.5%
6.	3907 99 90	संयोजको के विनिर्माण में उपयोग के लिए पॉलीस्टर लिक्विड क्रिस्टल पॉलीस्टर (एलसीपी)	7.5%	शून्य
7.	3920 10 99	स्मार्ट कार्ड के विनिर्माण में उपयोग के लिए कैलेंडरीकृत प्लास्टिक चादरें	10%	5%
		कागज उद्योग		
8.	48	(क) अखबारी कागज, यदि आयातकर्ता आयात के समय भारत के अखबार रजिस्ट्रार (आरएनआई) के पाल रजिस्ट्रीकृत कोई स्थापन है (ख) अखबार के मुद्रण हेतु प्रयोग किये गये गैर विलेपित कागज, यदि आयातकर्ता आयात के समय भारत के अखबार रजिस्ट्रार (आरएनआई) के पास रजिस्ट्रीकृत कोई स्थापन है।	10%	5%

		(ग) अंतिम उपयोग की शर्तों के अध्यक्षीन मैगजीन के मुद्रण हेतु प्रयोग किये गये हल्के विलेपित		
		खेल का समान		
9.	44	बिल्लो को सम्मिलित करने के लिए किसी पूर्ववर्ती वर्ष वित्तिय वर्ष में निर्यात किए गये खेल समान के एफओबी मूल्य के 3% तक शुल्क रहित आयात के लिए अनुज्ञात मदों की सूची का संशोधन	लागू दर	शून्य
		बहुमूल्य रत्न और धातुएं		
10.	7108	अर्द्ध चालक डिवाइसो या रोशनी उत्सर्जित करने वाले डायोड के विनिर्माण में प्रयुक्त स्वर्ण	शून्य	12.5%
11.	7103	अनसेट और आयतित अनकट माणिक्य, पन्ना, नीलम	शून्य	0.5%
12.	7103	अपरिष्कृत रंगे हुए जड़ाऊ रत्न	शून्य	0.5%
13.	7103	अपरिष्कृत अर्द्ध-बहुमूल्य रत्न	शून्य	0.5%
14.	7103	बहुमूल्य और अर्द्ध-बहुमूल्य रत्नों के पूर्व रूप	शून्य	0.5%
15.	7104	अपरिष्कृत संशलेषित रत्न	शून्य	0.5%
16.	7104	अपरिष्कृत घनाकार जिरकोनिया	शून्य	0.5%
17.	7104	पोलिश किए गये घनाकार जिरकोनिया	5%	7.5%
18.	7110	निम्नलिखित के विनिर्माण में प्रयुक्त प्लेटिनम या पैलेडियम (क) नोबल धातु यौगिकों और नोबल धातु मिश्रणों सहित सभी सामग्री (2843) (ख) सक्रिय पदार्थ के रूप में बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य धातु के यौगिकों के साथ उत्प्रेरक (381512)	12.5%	7.5%
19.	7112	उपभोग किए गये उत्प्रेरक/भस्म में अर्न्तविष्ट बहुमूल्य धातुओं जैसे स्वर्ण जिससे विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन ऐसी बहुमूल्य धातु को पुनःप्राप्त किया गया है	12.5%	11.85%
		मशीनरी		
20.	84	उच्च वोल्ट विद्युत संचरण परियोजना में उपयोग के लिए अपेक्षित अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क तारीख 30.06.2017 की सूची 10 में विनिर्दिष्ट सामग्री	5%	7.5%
21.	8432 80 20	घूर्णी टीलर/खुरपा	2.5%	7.5%
22.	84 या कोई अन्य अध्याय	सड़क जैसे खंडजा लगाने, सड़को में दरारों को भरने के लिए मशीनों, चलायमान पुल निरिक्षण इकाई आदि के लिए अपेक्षित अधिसूचना सं. 50/2017 सीमा शुल्क तारीख 30.06.2017 की सूची 14 में विनिर्दिष्ट सामग्री	शून्य	लागू आधारिक सीमा शुल्क
23.	8501	मोटर जैसे एकल फेज वाली एसी मोटर, स्टीपर मोटर, वाईपर मोटर आदि	7.5%	10%
		इलैक्ट्रानिक सामान और उनके पुर्जे		
24.	74	विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक मदों के विनिर्माण में कापर और प्रयोग की गई उसकी वस्तुएं	शून्य	लागू आधारिक सीमा शुल्क

25.	8504 40	विनिर्दिष्ट चार्जर और विद्युत अडोप्टर	लागू आधारिक सीमा शुल्क	20%
26.	8517 70 10	सेलूलर मोबाईल फोन का पीसीबीए (01.04.2020 से प्रभावी)	10%	20%
27.	8517 70 90	मोबाईल सेलूलर फोन में प्रयोग के लिए फिंगर प्रिंट रीडर	शून्य	15%
28.	8517 70 90	सेलूलर मोबाईल फोन के वाईब्रेटर/रिंगर (01.04.2020 से प्रभावी)	शून्य	10%
29.	8517 70 90	सेलूलर मोबाईल फोन के डिस्पले पेनल और टच असेम्बली (01.10.2020 से प्रभावी)	शून्य	10%
30.	8518 30 00	हैडफोन और इयरफोन	लागू आधारिक सीमा शुल्क	15%
31.	8518 90 00	माइक्रोफोन के विनिर्माण में प्रयोग के लिए माइक्रोफोन के निम्नलिखित पुर्जे, अर्थात्- (क) माइक्रोफोन कारटेज (ख) माइक्रोफोन होल्डर (ग) माइक्रोफोन जाली (घ) माइक्रोफोन बॉडी आदि	10%	शून्य
32.	8538	माइक्रो-फ्यूज और सब, मिनियेचर फ्यूज के विनिर्माण में प्रयोग के लिए माइक्रो फ्यूज बेस, सब-मिनियेचर फ्यूज बेस, माइक्रो-फ्यूज कवर और सब-मिनियेचर-फ्यूज कवर	7.5%	शून्य
		आटो मोबाईल और आटो मोबाइल पुर्जे		
33.	2843	उत्प्रेरक कनवर्टर और उनके पुर्जों के विनिर्माण में प्रयुक्त नोबल धातु मिश्रण या नोबल धातु यौगिक	5%	लागू आधारिक सीमा शुल्क
34.	7110	उत्प्रेरक कनवर्टर और उनके पुर्जों के विनिर्माण में प्रयुक्त प्लेटिनम या पेल्लेडियम	5%	लागू आधारिक सीमा शुल्क
35.	84 या कोई अन्य अध्याय	(क) उत्प्रेरक कनवर्टर के विनिर्माण हेतु उत्प्रेरक कनवर्टर के पुर्जे (ख) उत्प्रेरक कनवर्टर और इसके पुर्जों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए निम्नलिखित सामग्री- (i) कच्ची मिट्टी (चीनी मिट्टी) (ii) वास लेपित मिट्टी (चीनी मिट्टी) (iii) कच्ची मिट्टी (धातु) (iv) वास लेपित मिट्टी (धातु) (v) जंग रहित इस्पात तार की वस्त्र पट्टिका (vi) वास कोट	5%	7.5%
36.	8702, 8704	वाणिज्यिक यानों (इलैक्ट्रिक यानों से भिन्न) की पूर्ण रूप से बनी ईकाइयां (सीबीयू) (01.04.2020 से प्रभावी)	30%	40%
37.	8702, 8704	वाणिज्यिक यानों की पूर्ण रूप से बनी ईकाइया (सीबीयू) (01.04.2020 से प्रभावी)	25%	40%

38.	8703	अर्द्ध-खुल पुर्जे (एसकेडी) के रूप में इलैक्ट्रिक यात्री यान (01.04.2020 से प्रभावी)	15%	30%
39.	8702, 8704, 8711	अर्द्ध-खुल पुर्जे (एसकेडी) के रूप में इलैक्ट्रिक यान-बस, ट्रक (01.04.2020 से प्रभावी)	15%	25%
40.	8702, 8703, 8704, 8711	पूर्ण खुले पुर्जे के रूप में इलैक्ट्रिक यान-यात्री यान, दोपहिया, तीन पहिया, बस और ट्रक (01.04.2020 से प्रभावी)	10%	15%
		रक्षा सेक्टर		
41.	73,84,85,87, 88,89,90,93	रक्षा सेनाओं के लिए जब रक्षा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों और अन्य उपक्रमों द्वारा आयात किये गये विनिर्दिष्ट सैन्य उपस्कर हेतु आयात शुल्क से छूट	यथा लागू	शून्य

V. सीमाशुल्क की रियायतों/छूटों की कांट-छांट और पुर्नविलोकन:

- क. अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क तारीख 30.06.2017 में विहित आधारिक सीमाशुल्क की रियायती दरों का पुर्नविलोकन: अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क तारीख 30.06.2017 की निम्नलिखित प्रविष्टियों का लोप करते हुए कतिपय मालो पर उपलब्ध आधारिक सीमाशुल्क छूट को वापस लिया जा रहा है।

क्र.सं.	अधिसूचना सं. 50/2017- सीमाशुल्क की क्र.सं.	वर्णन
1.	5	ट्यूना बैट [0303]
2.	7	किसी वित्तीय वर्ष में दूध और क्रीम, पाऊंडर में, कणिकाएं या अन्य ठोस प्ररूप के कुल आयात दस हजार मिट्रिक टन के किसी परिकलन तक का माल
3.	7क	दही का पानी, सान्द्रित वाष्पित या संघनित तरल या अर्द्ध ठोस (04041010]
4.	7ख	अन्य दही या पानी [040490 00]
5.	8	मक्खन घी, मक्खन तेल [0405]
6.	9.	अन्य पनीर [04069000]
7.	10	अग्न्याशय (पशु जनित उत्पाद, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है) [अध्याय 5]
8.	11	प्रशंख [050800]
9.	18	शल्ककंद या कांदिल जड़े, अन्य जीवित पौधे [0601 या 0602]
10.	36	मेसलिन या गेहूं से भिन्न सभी माल [1001]
11.	38	मेसलिन [1001]
12.	40	किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे मालो के कुल आयात के पाच लाख मिट्रिक टन के संकलन तक मक्का [10059000]
13.	47	चुकन्दर के बीज [12091000]

14.	56	खाद्य तेल [1508, 1512, 1513, 1514, 1515 या 151110]
15.	58	खुले या थोक रूप में खाद्य श्रेणी को परिष्कृत वनस्पति तेल (खजूर तेल से भिन्न) [अध्याय 5]
16.	59	वनस्पति के रूप में साधारण रूप से ज्ञात तेल के विनिर्माण या परिष्करण के लिए आयतित खुले या थोक प्ररूप में (क्र. सं. 58 के सामने विनिर्दिष्ट और खजूर तेल से भिन्न) खाद्य श्रेणी के वनस्पति तेल स्पष्टीकरण - पद "वनस्पति तेल" से (क) बिनौले के तेल की दशा में, ऐसा तेल जिसमें मुक्त वसीय अम्ल की मात्रा कम से कम 0.2% है; और (ख) किसी अन्य वनस्पति तेल की दशा में ऐसा तेल जिसके मुक्त वसीय अम्ल की मात्रा कम से कम 0.5% है अभिप्रेत है (15)
17.	68	किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे मालों के कुल आयात के एक खाद्य और पचास हजार मिट्रिक टन के किसी संकलन तथा अपरिष्कृत सूरजमुखी बीज या कुसंब का तेल
18.	69	क्र.सं. 68 के सामने विनिर्दिष्ट से भिन्न अपरिष्कृत सूर्यमुखी बीज या कुसुम बीज [151211]
19.	72	किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे माल के कुल आयात के एक लाख पचास हजार मीट्रिक टन के योग तक परिष्कृत तिलहन या सरसों तेल। [15 14 19 या 15 14 99]
20.	78	खाने योग्य श्रेणी के मारगरीन, पशु या वनस्पति तेल। [15 17 या 15 18]
21.	83	(अपरिष्कृत ग्लिसरोन से भिन्न) ग्लिसरील, अपरिष्कृत; गिलसरील जल और गिलसरील लाइज। [1520 00 00]
22.	88क	ऐसे माल के कुल आयातों के कुल तीन लाख मीट्रिक टन तक अपरिष्कृत चीनी/परंतु अपरिष्कृत चीनी का भौतिक रूप में आयात, आयातक के टैरिफ दर कोटा आबंटन प्रमाणपत्र जारी करने या विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा अनुज्ञप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर पूर्ण हो। परंतु यह और कि आयातक बिल प्रविष्टि की तारीख या अंतःप्रविष्टि की तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, से तीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर, अपरिष्कृत चीनी को सफेद/अपरिष्कृत चीनी में संपरिवर्तित करेगा।
23.	89	डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट
24.	92	चीनी के निष्कर्षण या परिष्करण से उत्पन्न सीरा।
25.	93	च्यूइंगगम चाहे उस पर चीनी की परत हो या नहीं [1704 10 00]
26.	94	(i) 0401 से 0404 तक के शीर्ष वाले माल, 5% या अधिक किन्तु 10% से कम वजन अंतर्विष्टि करने वाले पूर्णतः डीफेटेड आधार पर संगणित कोकोआ; (ii) 40% या अधिक किन्तु 50% से कम वजन अंतर्विष्टि करने वाले पूर्णतः डीफेटेड आधार पर संगणित कोकोआ अंतर्विष्टि करने वाले आटा, मील, मण्ड या माल्ट सार; के खुदरा विक्रय हेतु और नवजात के उपयोग हेतु खाद्य निर्मितिया। [1806 90]
27.	95	[1901 10] खुदरा विक्रय हेतु नवजात के उपयोग हेतु विर्मितियां
28.	98	परिरक्षित आलू [2004 10 00]
29.	99	मूंगफली का मख्खन [2008 11 00]
30.	105	वाइन, सांस्कारिक उपयोग के लिए वाहन [2204]
31.	108	अंगोस्टुरा बिटर [2208]

32.	113	फिन फिश फीड [2301 20, 2309 9032, 2309 90 39]
33.	115	डायटरी सोया फाइबर [2304]
34.	148	दाभोल जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र में रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) के पावर प्लांटों में विद्युत उत्पादन के उपयोग हेतु रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) द्वारा आयातित, नेफथा
35.	149	नाफथा, जब विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 (28) में यथा परिभाषित किसी उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने के कारखानों में लगने के लिए विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए आयात किया गया हो [2701]
36.	152	प्रोपेन, ब्यूटेन [27111200, 27111300]
37.	160	विद्युत ऊर्जा [2716 00 00]
38.	170	फास्फोरिक अम्ल, खादों के विनिर्माण के लिए [28]
39.	212	आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा यूनिसेफ के माध्यम से आयात की गई जापानी इंसेफ्लेरिस(जेई) वेक्सिन [30]
40.	220	क्यानाइट लवण, उर्वरकीय प्रयोजन के लिए उनके उपयोग के उपदर्शक रूप में [31]
41.	243	पृथक्कृत सोया प्रोटीन [3504]
42.	244	कलर पोजिटिव अउड् भाषित चलचित्रात्मक फिल्म भारी-भरकम लपेटनों में और कलर नगेटिव अउड् भाषित चलचित्रात्मक फिल्म 400 फुट और 1000 फुट के लपेटनों में [37]
43.	245	तात्क्षणिक प्रिंट फिल्म [3701 20 00 या 3702]
44.	246	फोटोचित्रण फिल्म, उद्भाषित किंतु डिवलेप नहीं किए गए हैं [3704]
45.	247	प्रोत्साहन-परक सामग्री (जैसे ट्रेलर्स, फिल्म निर्माण आदि) इलैक्ट्रॉनिक प्रमोशन किट (ईपीके)/बेटा केम्स (कोई भी अध्याय) के रूप में आयातित
46.	263	एथिलीन के बहुलक, अर्थात् : - (i) निम्न घनत्व के पालिएथिलीन (एलडीपीई), (ii) रैखिक निम्न घनत्व पालिएथिलीन (एलएलडीपीई), (iii) उच्च घनत्व पालिएथिलीन (एचडीपीई), (iv) रैखिक मध्यम घनत्व पालिएथिलीन (एलएमडीपीई) (v) रैखिक उच्च घनत्व पालिएथिलीन (एलएचडीपीई) [3901]
47.	264	पालिइसो ब्यूटिलीन को छोड़कर सभी माल [3902]
48.	266	सभी माल [3903]
49.	274	कम्पोस्टेबल पोलिमेर या बायो-प्लास्टिक बायो-डिग्रेडेबल एग्रो मलिनग फिल्मों, नर्सरी प्लांटेशन पोट्स और फलावर पोट्स के विनिर्माण में प्रयुक्त [39139090]
50.	275	इंसुलिटिड तारों और केबलों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए जल-रोधक टेप, शीर्ष 8544 के अंतर्गत आने वाली (उप-शीर्ष 85 4411 को छोड़कर) [3919 90 90]]
51.	278	रबड़ पोलिसिटर बेस, मैसर्स हिंदुस्तान फोटो फिल्मस मनुफेक्चरिंग कंपनी लि. उद्घागमंडलम द्वारा चिकित्सा या औद्योगिक एक्स-रे फिल्म और ग्राफिक आर्ट फिल्मों के विनिर्माण के लिए आयातित [3920]

52.	286	पेटेंट चमड़ा [4114 2010]
53.	287	कच्चा फरसकिन्स [4301], चर्मित और शुल्क फरसकिन्स [4302]
54.	386	सीसे की सिल्लियां, छड़े, पार्श्वक और तार [7806]
55.	388	जस्ता की ट्यूबें, पाइपें और ट्यूब या पाइप की फिटिंग्स [7907]
56.	389	टिन प्लेटें, चादरें और पट्टियां जिनकी मोटाई 0.2 मिलीमीटर से अधिक है; टिन पर्णिका (चाहे मुद्रित, या कागज, पेपरबोर्ड, प्लास्टिक या वैसी ही पृष्ठन सामग्री से पृष्ठित हैं या नहीं, जिसकी मोटाई (किसी पृष्ठक को छोड़कर) 0.2 मिलीमीटर से अधिक नहीं है, टिन चूर्ण और पत्रक [8007]
57.	398	उच्च वोल्टेज ऊर्जा संप्रेषण परियोजना में उपयोग के लिए अपेक्षित सूची 10 में विनिर्दिष्ट माल के पूर्ण और कम्पोनेंट्स [किसी भी अध्याय में]
58.	401	दिल्ली मेट्रो रेल निगम लि. द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गई उपस्कर की सभी मर्दें जिसमें मशीनरी और रोलिंग स्टॉक भी है, में उपयोग के लिए - (i) दिल्ली एमआरटीएस परियोजना फेज-1; और (ii) दिल्ली एमआरटीएस परियोजना फेज-2 के विनिर्दिष्ट कोरिडोरों के लिए जिनमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं, अर्थात्- (क) विश्वविद्यालय-जहांगीरपुरी (ख) सेंट्रल सेक्टर-कुतबमीनार (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से होकर); (ग) शाहदरा-दिलशाद गार्डन (घ) इंद्रप्रस्थ-नया अशोक नगर (ङ) यमुना बैंक-आनंद विहार-अंतरराज्यीय बस टर्मिनल; और (च) कीर्ति नगर - मुंडका (शाहदरा-रिटाला कॉरीडोर से आप्रेशनल लिंक के साथ-साथ) (कोई अध्याय)
59.	412	सड़कों के निर्माण के लिए अपेक्षित सूची-15 में विनिर्दिष्ट माल [84 या कोई अन्य अध्याय]
60.	447	आप्टिकल डिस्क ड्राइव्स (ओडीडी) के विनिर्माण के लिए अपेक्षित निम्नलिखित माल, अर्थात् : - (i) पिक-अप एसेम्बली (ii) डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेसन इंटीग्रेटेड सर्किट (iii) डीसी मोटर (iv) एलडीओ वोल्टेज रेगुलेटर [84 या कोई अन्य अध्याय]
61.	456	निम्नलिखित माल, अर्थात् : - (क) कृषि और बागवानी प्रयोजनों के लिए फुहारगन और ड्रिप सिंचाई व्यवस्था; (ख) माइक्रो सिंचाई उपस्कर [8424]
62.	457	तवेदार हैरो [8436 21 00]
63.	459	उपशीर्ष 8443 32 के अंतर्गत आने वाले प्रिंटर के विनिर्माण के लिए पूर्ण (8443 99 51, 8443 99 52, 8443 99 53 से भिन्न) [8443]
64.	465	सीडी-राइटर्स [8471]
65.	474	एमपी 3 या एमपी 4 या एमपीईजी 4 प्लेयर, रेडियो या विडियो रिसेप्शन सुविधा सहित या रहित [85]
66.	483	प्रि-रिकार्डिड कैसेटों का एक सैट जिसके साथ भाषाएं सीखने के लिए पुस्तकों और ऐसी पुस्तकों के आवश्यक संपूरक [85]
67.	484	आडियो कैसेटें, यदि दृष्टिहीन के लिए पुस्तकें, समाचारपत्र या पत्रिकाओं से ली गई सामग्री से रिकार्ड की गई हैं [85]

68.	515	केथोड किरण टेलीविजनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए रंगीन टेलीविजन की पिक्चर ट्यूबें [8540 11]
-----	-----	--

ख. सीमा-शुल्क छूटें जो कतिपय अन्य स्वतंत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रदान की गई थीं, उनका भी पुनर्विलोकन किया गया। निम्नलिखित अधिसूचनाएं, जो सुसंगत नहीं रह गई हैं, वापस ली जा रही हैं :-

क्र. सं.	अधिसूचना सं.	अधिसूचना का विषय
1.	13/2010-सीमा-शुल्क तारीख 19.2.2010	कॉमनवेल्थ खेल, 2010 के संबंध में माल के आयात के लिए छूट
2.	73/1999-सीमा-शुल्क तारीख 8.6.1999	भारतीय पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा रिहंद-सासाराम-बिहार शरीफ एचवी डीसी लिंक बैंक-टू-बैंक परियोजना के लिए आयात हेतु छूट
3.	205/1992-सीमा-शुल्क तारीख 19.5.1992	अग्रिम सीमा-शुल्क अनुमति परमिट के अधीन आयातों के लिए छूट
4.	105/1999-सीमा-शुल्क तारीख 10.8.1999	एसएआरसी अधिमानी व्यापार करार के अधीन छूट
5.	56/2006-सीमा-शुल्क तारीख 7.6.2006	नेपाल में उत्पादित विनिर्दिष्ट माल के लिए विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट
6.	22/2003-सीमा-शुल्क तारीख 4.2.2003	यह अधिसूचना रेड क्रॉस और पेपर मनी द्वारा ऊन या ऊनी वस्त्रों के लिए छूट प्रदान करती है। [रेड क्रॉस से संबंधित प्रविष्टि को अधिसूचना सं. 148/1994-सीमा-शुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 में विलीन किया गया है और पेपर मनी को छूट अब अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 के द्वारा प्रदान की जाएगी। तदनुसार, अधिसूचना सं. 22/2003 सीमा-शुल्क को विखंडित किया जा रहा है।]
7.	22/2007-सीमा-शुल्क तारीख 1.3.2007	कतिपय सीटीएच पर अधिमानी दरें
8.	14/2004-सीमा-शुल्क तारीख 8.1.2004	औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति परियोजनाएं परियोजना आयात के अधीन छूट प्राप्त हैं। यह छूट अब अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 के द्वारा उपलब्ध होगी।

VII. कतिपय मदों के आयात पर स्वास्थ्य उपकर का अधिरोपण

वित्त विधेयक, 2020 के खंड [139] के साथ पठित उक्त विधेयक की चौथी अनुसूची में "स्वास्थ्य उपकर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध है। स्वास्थ्य उपकर शीर्ष 9018 से 9022 के अंतर्गत आने वाले चिकित्सीय उपकरणों के आयात पर सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन यथा अवधारित ऐसे माल के आयात मूल्य पर पांच प्रतिशत की दर से मूल्य अनुसार अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है। यह स्वास्थ्य उपकर सीमा-शुल्क का शुल्क होगा। उक्त उपकर के संदाय के लिए कोई आयात प्रोत्साहन पावती-पत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त
--

	चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुट/पुर्जों को भी स्वास्थ्य उपकरण से छूट होगी। स्वास्थ्य उपकरण के आगम संघ द्वारा देश में स्वास्थ्य अवसंरचना की निधि के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे।
--	--

VIII. अन्य परिवर्तन (कतिपय स्पष्टीकरणों/तकनीकी परिवर्तनों सहित)

1.	सूत के रंजित बुने हुए वस्त्र पर, जिनमें पोलिस्टर तंतुओं की बुनावट का 85 प्रतिशत या अधिक भार है, टैरिफ उप-शीर्ष "540752" के अधीन बीसीडी अधिसूचना सं. 14/2006-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 के क्रम संख्यांक 47 और 48 द्वारा विहित की गई थी। अधिसूचना सं. 82/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 27 अक्टूबर, 2017 क्रम संख्या 31क भी इस मद पर दर विहित करती है। इस प्रविष्टि का लोप किया जा रहा है।
2.	क) शर्त सं. 78 में स्पष्टीकारक प्रकृति के तकनीकी परिवर्तन किए जा रहे हैं जिससे कि इसे अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 की प्रविष्टि सं. 539 के संगत बनाया जा सके। उक्त क्रम संख्या 539 छह माह की अवधि के भीतर उपग्रह या पे-लोड के परीक्षण के लिए आयातित आधारीक उपकरण के आयात के संबंध में है। ख) क्र. सं. 539क के लिए एक अलग नई शर्त (सं. 107) अंतःस्थापित की जा रही है, जो यान और उपग्रह तथा पे-लोड के प्रक्षेपण के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों, यंत्रों उपकरणों के संबंध में है।
3.	अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 की प्रविष्टि सं. 28 को इसमें केवल टैरिफ मद सं. 802 90 00 को प्रतिधारित करने के लिए संशोधित किया जा रहा है। अब तक इस प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाले अन्य माल पर वही टैरिफ है, इसलिए इस प्रविष्टि में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है।
4.	अगरबत्ती के विनिर्माण में उपयोग के लिए बांस के आयात पर अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 की क्रम संख्या 28 पर प्रविष्टि पर 10 प्रतिशत की रियायती दर लागू होती है। यह रियायत इसके पश्चात् वास्तविक उपयोक्ता की दशा के अधधीन होगी।
5.	अधिसूचना सं. 50/2017, तारीख 30 जून, 2017 का क्रम संख्या 57 (कतिपय खाद्य तेलों पर प्रभावी दर को विहित करते हुए) अनावश्यक है क्योंकि ये माल निम्नतर लागू दरों के साथ कतिपय अन्य प्रविष्टियों में आच्छादित हैं। इसलिए इस प्रविष्टि का लोप किया जा रहा है।
6.	शीर्ष 2801, 2802, 2803, 2804, 2805 और 2814 के अंतर्गत आने वाले माल पर टैरिफ द्वारा पांच प्रतिशत बीसीडी लागू होती है। तथापि, अधिसूचना सं. 50/2017 के क्रम संख्या 169 में 7.5 प्रतिशत की बीसीडी दर है। इस विसंगति को दूर करने के लिए इस प्रविष्टि को संशोधित किया जा रहा है।
7.	अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 के क्रम संख्यांक 190 (एक सशर्त छूट) और 177 के द्वारा फास्फोरिक अम्ल पर 5 प्रतिशत बीसीडी लागू होती है। क्र. सं. 170 का अनावश्यक होने के कारण लोप किया जा रहा है।
8.	अधिसूचना सं. 50/2017 सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 का क्रम संख्या 266 शीर्ष 3903 के अंतर्गत आने वाले माल के लिए 7.5 प्रतिशत बीसीडी का उपबंध करता है। क्रम संख्या 262 में शीर्ष 3903 को सम्मिलित करने के लिए इसका संशोधन किया जा रहा है जिससे शीर्ष 3903 के माल पर 7.5 प्रतिशत बीसीडी का उपबंध किया जा सके। तदनुसार, क्रम संख्या 266 पर अनावश्यक प्रविष्टि का लोप किया जा रहा है।
9.	अधिसूचना सं. 50/2017, तारीख 30 जून, 2017 की क्र. सं. 578 निर्याग्य व्यक्तियों के लिए उक्त अधिसूचना की सूची सं. 30 में वर्णित अनुसार सहायक जुगतों, पुर्नवास साहाय्य और अन्य माल पर बीसीडी छूट का उपबंध करती है। इस सूची में क्र. संख्या ई(9) पर मद को इसकी परिधि के बारे में संदिग्धता को दूर करने के लिए संशोधित किया जा रहा है। आशय केवल ऐसी मदों को कवर करने का है जो निर्याग्य व्यक्तियों के उपयोग के लिए हैं।
10.	अधिसूचना सं. 50/2017- सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 की क्रम संख्या 408 (और शर्त 51) में उर्वरक संयंत्रों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए मद पर 5 प्रतिशत की दर से रियायती बीसीडी का उपबंध है।

	इसके लिए उर्वरक विभाग से तकनीकी -आर्थिक अनापत्ति अपेक्षित होती है। शर्त सं. 51 का संशोधन किया जा रहा है जिससे इस अपेक्षा को हटाया जा सके।
--	---

IX. विभिन्न मदों पर समाज कल्याण अधिभार की समीक्षा

क. निम्नलिखित मदों पर समाज कल्याण अधिभार से छूट दी जा रही है।

क्र. सं.	एचएस कोड	विवरण
(1)	(2)	(3)
1	0404 10 10	दही का पानी (वे), गाढ़ा, वाष्पित या संघनित, द्रव्य या अर्ध घनीभूत
2	0406 90 00	पनीर, अन्य
3	0601,0602	शलककंद या कांदिल जड़ें, अन्य जीवित पौधे
4	0802 12 00	बादाम, कवच रहित
5	0802 31 00	अखरोट, कवचयुक्त
6	0802 32 00	अखरोट, कवच रहित
7	1001 11 00, 1001 91 00, 1001 99 20	गेहूं और मेसलीन
8	1005 90	मक्की
9	1704 10 00	चुड़ंग गम, चीनी लेपित हो या हो
10	1901 10	शिशु या वयस बालकों के उपयोग के लिए विनिर्मितियां, जो फुटकर विक्रय के लिए रखी गई हैं
11	2009 11 00	संतरे का रस, हिमशीतित
12	2009 12 00	संतरे का रस, जो हिमशीतित नहीं है या ब्रिक्स मूल्य 20 से अधिक नहीं है
13	2009 19 00	संतरे का रस, अन्य
14	2515 12 20	संगमरमर और ट्रावरटाइन पटियां
15	6802 10 00	टाइलें, क्यूब और वैसी ही वस्तुएं, चाहे वे आयताकार हैं या नहीं (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी हैं), जिनका अधिकतम पृष्ठ क्षेत्र किसी ऐसे वर्ग में परिबद्ध किया जा सकता है, जिसका पार्श्व 7 सें. मी. से कम है; कृत्रिम रूप से रंगी कणिकाएं, चिप्पियां और चूर्ण, अन्य संस्मारकीय या निर्माणी प्रस्तर और उनकी वस्तुएं, जो सपाट या समतल पृष्ठक में कर्षित या चीरी गई हैं
16	6802 21 10	संगमरमर के ब्लॉक या टाइलें
17	6802 21 20	संगमरमर के संस्मारकीय प्रस्तर
18	6802 21 90	अन्य टाइलें, क्यूब्स और वैसी ही वस्तुएं
19	6802 91 00	संगमरमर, ट्रेवरटाइन और एलबास्टर
20	6802 92 00	अन्य कैल्सियमी प्रस्तर
21	8702 या 8704	सभी वाणिज्यिक यान (जिनके अंतर्गत इलक्ट्रिक यान भी हैं), चारे आयातित है या पूर्ण रूप से निर्मित यूनिट (सीबीयू)

क्र. सं. 21 को तारीख 1 अप्रैल, 2020 से एसडब्ल्यूएस के उदग्रहण से छूट होगी

ख. अध्याय 84, 85 और 90 में आने वाली कतिपय मदों पर उपलब्ध समाज कल्याण अधिभार की छूट को इसके पश्चात् वापस लिया जा रहा है। तदनुसार, अधिसूचना सं. 11/2008-सीमा-शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 को संशोधित किया जा रहा है -

(i) उक्त अधिसूचना की सारणी के क्र. सं. 1 के अंतर्गत अध्याय 84, 85 और 90 के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों का लोप किया जाता है।

(ii) उक्त अधिसूचना की सारणी के क्र. सं. 9 से 49 और 51 पर विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाता है।

X. एंटी डम्पिंग शुल्क/प्रतितुलित शुल्क से संबंधित अन्य प्रकीर्ण परिवर्तन

1	एंटी डम्पिंग नियमों में उन माल को डम्प करने के अन्वेषण के लिए रीति और प्रक्रिया उपबंधित है जो घरेलू उद्योग को क्षति कारित करते हैं। इन नियमों में निर्यात कर्ताओं द्वारा भारत से विषयगत माल के निर्यात पर एंटी-डम्पिंग शुल्क की प्रवंचना के मामलों में अन्वेषण करने के लिए भी उपबंध किया है। प्रवंचना के मामलों में अन्वेषण करने के लिए भी उपबंध किया है। प्रवंचना-रोधी उपायों को उनकी परिधि को अतिरिक्त व्यापक और विस्तृत बनाकर प्रबल करके एंटी-डम्पिंग शुल्क की सभी प्रकार की प्रवंचनाओं पर ध्यान देने के लिए इन नियमों में सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय परिपारी के अनुरूप परिवर्तन किए जा रहे हैं। इन नियमों की परिधि में स्पष्टता लाने के लिए इन नियमों में कतिपय अन्य परिवर्तन किए जा रहे हैं।
2	प्रतितुलित शुल्क (काउंटर बेलिंग ड्यूटी) नियमों में उन सहायताप्राप्त माल के आयात के मामलों में अन्वेषण करने के लिए रीति और प्रक्रिया का उपबंध किया गया है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति कारित होती है। वर्तमान में, प्रतितुलित शुल्क नियमों में प्रवंचन के मामले में इन उपायों की प्रतितुलित शुल्क के अधिरोपण के लिए कोई क्रिया-विधि नहीं है। प्रतितुलित शुल्क नियमों में एक उपबंध सम्मिलित किया जा रहा है जिससे प्रतितुलित शुल्क की प्रवंचना के मामले में ऐसे शुल्क का अधिरोपण करने के लिए अन्वेषण को समर्थ बनाया जा सके। नियमों में स्पष्टता लाने के लिए कतिपय अन्य परिवर्तन किए जा रहे हैं।
3	शोधित टेरिफथालिक अम्ल के आयात पर एंटी-डम्पिंग शुल्क का प्रतिसंहरण, जिसका निम्नलिखित में उत्पादन होता है और उससे निर्यात किया जाता है - (i) दक्षिण कोरिया और थाईलैंड, अधिसूचना सं. 28/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) तारीख 24 जुलाई, 2019 को अधिरोपित किया (ii) चीन, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया और ताइवान, अधिसूचना सं. 28/2016- सीमा-शुल्क, तारीख 5 जुलाई, 2016 को अधिरोपित किया।

उत्पाद-शुल्क

- टिप्पणः**(क) "आधारित उत्पाद शुल्क" से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के चौथी अनुसूची में घोषित उत्पाद शुल्क अभिप्रेत हैं।
 (ख) "एन.सी.सी.डी." से वित्त अधिनियम, 2001 की सारणी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से विनिर्दिष्ट माल पर उत्पाद शुल्क के रूप में वित्त अधिनियम, 2001 के उदग्रहित राष्ट्रीय कालमिटी आकस्मिकता शुल्क अभिप्रेत है।
 (ग) स्क्वायर ब्रेकेट में खंड संख्या [] वित्त विधेयक, 2020 के सुसंगत खंड को उपदर्शित करती है।
 (घ) संशोधन वित्त विधेयक 2020 के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए इसके अधिनियमन की तारीख को प्रवृत्त में आएँ, जब तक कि कोई अन्य विनिर्दिष्ट न हो।

I. वित्त अधिनियम, 2001* की सातवी अनुसूची में संशोधन (वित्त विधेयक, 2020 के (खंड 145) :

क्र.सं.	टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	से	तक
1.	2402 20 10	65 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेटों से भिन्न	हजार में	90 रुपए प्रति हजार	200 रुपए प्रति हजार
2.	2402 20 20	65 मि0मी0 से अधिक, किंतु 70 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेटों से भिन्न	हजार में	145 रुपए प्रति हजार	250 रुपए प्रति हजार
3.	2402 20 30	65 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई भी है, फिल्टर की लंबाई 11 मि0मी0 या उसकी वास्तविक लंबाई, इनमें से जो भी अधिक हो)	हजार में	90 रुपए प्रति हजार	440 रुपए प्रति हजार
4.	2402 20 40	65 मि0मी0 से अधिक, किंतु 70 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई भी है, फिल्टर की लंबाई 11 मि0मी0 या उसकी वास्तविक लंबाई, इनमें से जो भी अधिक हो)	हजार में	90 रुपए प्रति हजार	440 रुपए प्रति हजार
5.	2402 20 50	70 मि0मी0 से अधिक, किंतु 75 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई भी है, फिल्टर की लंबाई 11 मि0मी0 या उसकी वास्तविक लंबाई, इनमें से जो भी अधिक हो)	हजार में	145 रुपए प्रति हजार	545 रुपए प्रति हजार
6.	2402 20 90	अन्य (तम्बाकू से बनी सिगरेट)	हजार में	235 रुपए प्रति हजार	735 रुपए प्रति हजार
7.	2402 90 10	सिगरेट और तम्बाकू अनुकल्प	हजार में	150 रुपए प्रति हजार	600 रुपए प्रति हजार
8.	2403 11 10	हुक्का या गुड़कू तंबाकू	कि0ग्रा0	10%	25%
9.	2403 19 10	पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण	कि0ग्रा0	45%	60%
10.	2403 19 90	अन्य धूम्रपान तंबाकू	कि0ग्रा0	10%	25%
11.	2403 91 00	"समांगीकृत" या "पुनर्रचित" तम्बाकू	कि0ग्रा0	10%	25%
12.	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू	कि0ग्रा0	10%	25%
13.	2403 99 20	चबाने वाले तंबाकू की विनिर्मितियां	कि0ग्रा0	10%	25%
14.	2403 99 30	जर्दा सुगंधित तंबाकू	कि0ग्रा0	10%	25%
15.	2403 99 40	नस्वार	कि0ग्रा0	10%	25%
16.	2403 99 50	नस्वार वाली विनिर्मितियां	कि0ग्रा0	10%	25%
17.	2403 99 60	तंबाकू निष्कर्ष और सत	कि0ग्रा0	10%	25%
18.	2403 99 90	अन्य (तंबाकू और अनुकल्प विनिर्माण)	कि0ग्रा0	10%	25%

* कर अधिनियम 1931 के अनंतिम संग्रहण के अधीन उद्घोषणा के तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

माल और सेवा कर

- टिप्पणी: (क) सीजीएसटी अधिनियम से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है।
 (ख) आई.जी.एस.टी से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है।
 (ग) यूटीजीएसटी से संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है।

वित्त अधिनियम, 2020 में जहां तक संभव हो, विधान मंडल के साथ राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र द्वारा पारित किए गए एक समान अधिनियमों के तत्स्थानी संशोधनों के समवर्ती किए गए संशोधन उस तारीख से प्रभाव होंगे जब वह अधिसूचित किए जाएंगे।

I. सी.जी.एस.टी अधिनियम, 2017 में संशोधन:

क्र. सं.	संशोधन	वित्त विधेयक 2020 का खंड
1.	सी.जी.एस.टी अधिनियम का धारा 2 के उपखंड (114) में "संघ राज्य क्षेत्र" की परिभाषा को जम्मू और कश्मीर पुनःगठन अधिनियम, 2019 और दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 को प्रवृत्त में लाने की दृष्टि से संघ राज्य क्षेत्र की परिभाषा का अद्यतन किया जाने के लिए संशोधन किया जा रहा है। परिणामस्वरूप यूटीजीएसटी में भी परिवर्तन किया जा रहा है। संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में भी पारिणामिक परिवर्तन किए जा रहे हैं।	[116]
2.	सी.जी.एस.टी अधिनियम की धारा 10 का संशोधन किया जा सकने के लिए ऐसा करने में लगे हुए कराधान व्यक्ति को कतिपय श्रेणियों के समिश्रित स्कीम को परिधि से बाहर कर दिया है। (i) सेवाओं का प्रदाय सीजीएसटी अधिनियम के अधीन कर के लिए उदग्रहणीय नहीं है, या (ii) सेवाओं का प्रदाय बाहरी अन्तर राज्य (iii) ई वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से सेवाओं का बाहरी प्रदाय	[117]
3.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के प्रयोजन के लिए अंतर्निहित बीजक के जारी किए जाने की तारीख से नामे नोट के जारी किए जाने की तारीख अंसबद्ध करने का संशोधन किया जा रहा है।	[118]
4.	सीजीएसटी की धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ग) को रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए उपबंध किए जाने के लिए संशोधन किया जा रहा है जिसे धारा 25 की उपधारा 3 के अधीन स्वेच्छानुसार प्राप्त किया गया है।	[119]
5.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उपधारा 1 के परन्तुक को योग्य मामलों में रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण के प्रतिबंध के आवेदन की तारीख बढ़ाने के लिए अधिकारिक कर प्राधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए अंतःस्थापन किया जा रहा है।	[120]
6.	सीजीएसटी अधिनियम का धारा 31 कराधान सेवाओं के प्रदाय के मामले में बीजक के जारी करने की, रीति को विहित किए जाने के लिए उपबंध सशक्त बनाने के संशोधन किया जा रहा है।	[121]
7.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 51 को कटौतीकर्ता द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र के जारी करने की अपेक्षा को हटाया जा रहा है और टीडीएस प्रमाणपत्र के जारी करने विलंब के लिए विलंब फीस के तत्स्थानी उपबंध का लोप किया जा रहा है।	[122]
8.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 109 का जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में सीजीएसटी अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के उपबंध किया जा रहा है।	[123]
9.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 का व्यक्ति पर शास्ति उदग्रहण के समान शास्ति के लिए उपलब्ध कपटपूर्वक इनपुट कर प्रत्ययदायी या पासिंगआन के संव्यवहार के फायदाग्राही बनाने के नई उपधारा का अंतःस्थापन करके संशोधन किया जा रहा है जो ऐसा विनिर्दिष्ट अपराध कारित करता है।	[124]

10.	सीजीएसटी की धारा 132 का इनपुट कर प्रत्यय के बिल के बीजक के बीना कपटपूर्ण लाभ लेने के अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती और ऐसा व्यक्ति कारित या कमीशन कारण या दण्ड के लिए दायी विनिर्दिष्ट अपराधों को उद्भूत करते हुए संव्यवहार के लाभ को पुनः प्राप्त करेगा, संशोधन किया जा रहा है।	[125]
11.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 का संव्यवहारिक प्रत्यय लेने के लिए विहित रीति और समय सीमा 1.7.17 से संशोधन किया जा रहा है।	[126]
12.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168 का धारा 143 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक और धारा 66 की उपधारा (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकारिक आयुक्त सशक्त बनाने के उपबंधों का संशोधन किया जा रहा है।	[127]
13.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 172 का 2 वर्ष अर्थात् उक्त अधिनियम के आरंभ की तारीख से पांच वर्ष तक के आदेश से कठिनाईयों को दूर करने अनुरूप सशक्त बनाने के लिए उपबंध करके संशोधन किया जा रहा है।	[128]
14.	सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची II में प्रविष्टि 4(क) और 4(ख) पर उक्त अधिनियम की अनुसूची II से किसी प्रतिफल के बिना किए गए आस्ति कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रदायों का लोप करने के उपबंध को 1.7.17 से संशोधित किया जा रहा है।	[129]

II. आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधन:

क्रम स.	संशोधन	वित्त विधेयक, 2020 के खंड
1.	आईजीएसटी अधिनियम की धारा 25 का और दो वर्ष के आदेश अर्थात् उक्त अधिनियम के आरंभ की तारीख से पांच वर्ष तक कठिनाईयों को दूर करने के अनुरूप सशक्त बनाने का उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।	[132]

III. यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधन:

क्रम स.	संशोधन	वित्त विधेयक, 2020 के खंड
1.	यूटीजीएसटी अधिनियम की धारा 26 का और 2 वर्ष अर्थात् उक्त अधिनियम के आरंभ की तारीख से पांच वर्ष तक, के लिए आदेश से कठिनाईयों को दूर करके सशक्त बनाने का उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।	[136]

IV. माल और सेवा कर (राज्यों की क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 में संशोधन:

क्रम स.	संशोधन	वित्त विधेयक, 2020 के खंड
1.	माल और सेवा कर (राज्यों की क्षतिपूर्ति) अधिनियम की धारा 14 का और 2 वर्ष अर्थात् उक्त अधिनियम के आरंभ की तारीख से पांच वर्ष तक, के लिए आदेश से कठिनाईयों को दूर करके सशक्त बनाने का उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।	[138]

V. जीएसटी दर की अधिसूचनाओं का भूतलक्षी संशोधन

क्रम सं.	संशोधन	वित्त विधेयक, 2020 का खंड
1.	मत्स्य आहार के लिए [एचएस 2301] केन्द्रीय कर, संघ राज्य क्षेत्र कर; एकीकृत कर 1.7.2017 से 30.9.2019 की अवधि के लिए छूट, के अधीन रहते हुए, कि यदि जीएसटी संदत्त की गई है तो वह प्रतिदाय के लिए पात्र नहीं होगा।	[130, 133 और 137]

2.	शीर्षक 8432, 8433, और 8436 की कृषक मशीनरी के पुर्जे के रूप प्रयुक्त और पुली, पहियों और अन्य पुर्जे (शीर्षक 8483 के अधीन आने वाले) पर 01.07.2017 से 31.12.2018 की अवधि के दौरान एकीकृत कर की 12 प्रतिशत दर से उदग्रहण और केन्द्रीय कर 6 प्रतिशत तथा संघ राज्य क्षेत्र कर 6 प्रतिशत के अध्याधीन रहते हुए कि यदि जीएसटी संदत्त की गई है तो वह प्रतिदाय के लिए पात्र नहीं होगा।	[130, 133 और 137]
3.	क्षतिपूर्ति प्रतिकर में संरचना शुल्क विपरीत से उद्भूत तम्बाकू उत्पादन पर क्षतिपूर्ति प्रतिकर का संकलित प्रत्यय का प्रतिदाय तारीख 30.9.2019 की अधिसूचना सं. 3/2019-क्षतिपूर्ति प्रतिकर (दर) द्वारा 1 अक्तूबर से अननुज्ञात है। इस अधिसूचना को 1.7.2017 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा रहा है। तदनुसार संरचना शुल्क के विपरीत के कारण कोई प्रतिदाय किसी तम्बाकू उत्पादकों पर स्वीकार्य नहीं होगा।	[131]